छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **द्वितीय सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024

(माघ 27, शक सम्वत् 1945)

[अंक 10]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024

(माघ 27, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग का प्रश्नोत्तर का दिन है और मेडिकल कैंप भी लगा है, इधर विपक्ष को यहां पूरे ईलाज की जरूरत है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं हम लोग स्वस्थ हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- विधान सभा में दर्शन देने के लिए हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। आपने दर्शन देकर बड़ी कृपा की।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी को सबसे पहले ईलाज की जरूरत है। पूरा मंत्रिमंडल और ट्रेजरी बेंच को देखिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- रोज खाली रहता है।

श्री भूपेश बघेल :- रोज खाली रहता है और आप मुझे टिप्पणी कर रहे हैं। इधर देख लीजिए पूरा खाली है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने टिप्पणी कहां कि मैंने तो दर्शन दिए इसलिए धन्यवाद दिया।

श्री भूपेश बघेल :- मैं हमेशा आपको दर्शन दे दूंगा, चिंता मत करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी पूरा 10 वें दिन हो रहा है तब।

श्री भूपेश बघेल :- क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री अजय चंद्राकर :- शुरूआत में दो दिन आप एक-एक मिनट में बहिष्कार कर दिए थे।

श्री भूपेश बघेल :- आप निकालकर देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल। श्री बालेश्वर साहू।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सक्ती जिला में संचालित अस्पतालों हेतु दवाई क्रय की भुगतान राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (*क्र. 1103) श्री बालेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक सक्ती जिले में संचालित अस्पतालों के लिए दवाई क्रय हेतु शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** दवाईयों की क्रय समिति के सदस्यों के नाम सहित जानकारी देवें?क्रय एजेंसी किसे बनाया गया? **(ग)** दवाईयां क्रय हेतु किन-किन फर्म के द्वारा निविदा फॉर्म भरा गया था ?किस-किस फर्म को दवाईयां उपलब्ध कराने आदेशित किया गया?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र "स" एवं "द" अनुसार।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा सवाल है। हॉस्पिटल में जो दवाई की खरीदी होती है, उसमें कोटेशन और निविदा के माध्यम से खरीदी करना है, निविदा निकालना है। माननीय मंत्री जी बताएं कि वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक सक्ती जिले के संचालित अस्पतालों के लिए दवाई क्रय हेतु शासन द्वारा किन-किन राशि का भुगतान किया गया है। वर्षवार जानकारी दें। दवाई क्रय में कोटेशन के आधार से खरीदी की गयी है, क्या यह नियम में है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो जानकारी पूछी थी, उसका पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ, ब, स और द के माध्यम से जानकारी दे दी गयी है। परंतु इन्होंने अभी पूरक प्रश्न पूछा है जो कोटेशन से संबंधित है। कोटेशन में तीन प्रकार की निविदा बुलाई जाती है। चूंकि स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें छोटे-मोटे दवाईयों के लिए टेंडर की ज्यादा प्रतिक्षा कर पाना आपातकालीन स्थितियों में मुश्किल होता है। इसलिए 50 हजार तक की जो खरीदी है, उसके लिए सिंगल निविदा पर भी कोटेशन लेकर किसी एक संबंधित दुकानदार से खरीद सकते हैं, उसमें 50 हजार तक छूट रहती है और अगर तीन लाख रूपए तक की खरीदी करना है तो उसके लिए 3 फर्म के या दुकान से कोटेशन मंगाकर जो न्यूनतम हो, उसको दे सकते हैं और तीन लाख से उपर तक के लिए निविदा बुलाते हैं। चूंकि पचास हजार और तीन लाख में विज्ञापन वगैरह की प्रक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि उसमें खर्च ज्यादा आता है। नहीं तो वैसे ही हो जाएगा, जैसे कल सदस्य लोग बता रहे थे कि दो करोड़ में 80 लाख रूपए का डी.पी.आर. बनाने में खर्च हो गया। ऐसे ही 50 हजार में 25 हजार विज्ञापन में निकल जाएगा।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, अगर निविदा निकालने में दिक्कत होती है, अस्पताल में ऐसी ही समस्या है, मरीज दवाई की कमी से दम तोड़ रहे हैं, यह रिफर सेंटर बन चुका है। मैं आपसे

मांग करना चाह रहा हूं कि इस निविदा को या तो खत्म करिए या CMHO को अनुमति दीजिए कि दो लाख, तीन लाख की जो दवाई है, वह अपने स्तर से खरीदी कर सके।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि 50 हजार तक CMHO को अधिकार है, वह सिंगल निविदा पर ही, सिंगल कोटेशन पर भी तत्काल में खरीद सकता है। अगर 50 हजार से उपर 3 लाख तक खरीदना है तो 3 लाख तक वह 3 दुकानदारों से या फर्म से कोटेशन मंगाएगा, जो उसका न्यूनतम होगा, उसका सेम डेट में ही निराकरण करके खरीद सकता है।

श्री बालेश्वर साहू :- मंत्री महोदय जी, 50 हजार तक का नियम है लेकिन हमारे CMHO ने दो-दो ढाई लाख तक की दवाई बिना निविदा की खरीदी की है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अस्पताल में मरीजों की समस्या है, 24 घंटे अस्पताल चलना रहता है, निविदा की जो प्रक्रिया है, वह बहुत कठिन है, आप उसको 50 हजार से बढ़ाकर दो तीन लाख तक कर दीजिए, जिससे उनको आसानी होगी। इससे हमारे अस्पतालों में दवाई का स्टॉक रहेगा और दवाई की कोई कमी नहीं होगी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 लाख तक टेण्डर नहीं लगाना है। आसपास में दुकानदार रहते हैं, इसलिए यदि वह चाहे तो 15 मिनट में उन तीनों के रेट का कोटेशन मंगाकर उसको खरीद सकते हैं। उसके लिए उनको भण्डार क्रय नियम में पहले से ही छूट है तो वह लोग ऐसा कर सकते हैं।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हॉस्पिटल से संबंधित है और जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र की बहुत आवश्यकता है। मेरे पास उसकी 10-15 मांगें आई हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष अपनी 3-4 मांगें रखना चाहता हूं कि आप उप स्वास्थ्य केन्द्र सरवानी, ठठारी, सेंदरस और मलदा के लिए घोषणा कर दीजिए। ताकि मेरे क्षेत्र में भी उप स्वास्थ्य केन्द्र बन जाए। जिससे मरीजों को इसकी सुविधा मिले। वहां पर जो रिफर सेंटर बना हुआ है, उसके संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर तत्कालीन में आने वाले मरीजों के लिए आप एक्स-रे और सोनोग्राफी की व्यवस्था का प्रावधान करें। बहुत से मरीज गरीबी और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्राइवेट अस्पतालों में ठीक ढंग से अपना ईलाज नहीं करा पाते हैं, जिससे मरीज दम तोड़ देते हैं। मेरे क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में इसकी व्यवस्था हो जाएगी तो उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगी। मैंने आपसे सरवानी, ठठारी, सेंदरस और मलदा के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र की मांग की है तो यदि आप इसकी घोषणा कर देंगे तो यह मेरे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात होगी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से उद्भूत नहीं है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है और यह स्वास्थ्य का मामला है इसलिए आपने जो भी मांग की है, उसको मैं दिखवा लूंगा। निश्चित रूप से यह मेरी जिम्मेदारी है।

श्री बालेश्वर साहू :- मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई हो।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री गुरू खुशवंत साहेब।

प्रश्न संख्या : 02 XX XX

स्कूल शिक्षा में छत्तीसगढ़ी राजभाषा पाठ्यक्रम का समावेश

[स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 1207) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में कब तक शामिल कर लिया जावेगा? **(ख)** क्या छत्तीसगढ़ी भाषा में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर चुके छात्रों के रोजगार के लिए व्यवस्था की जावेगी? यदि हां,तो किस प्रकार के पद पर कब तक? जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी को स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। शिक्षा सत्र 2020-2021 में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 तथा कक्षा 2 की) की पाठ्यपुस्तक द्वैभाषिक रुप में शामिल की गई है। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की हिन्दी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में छत्तीसगढ़ी भाषा की 25 प्रतिशत पाठ्य सामग्री शामिल की गयी है। कक्षा 6 से 8 तक की हिन्दी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में छत्तीसगढ़ी भाषा की 30 प्रतिशत पाठ्य-सामग्री शामिल की गई है। इसी तरह कक्षा 9 से 10 तक की हिन्दी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में भी छत्तीसगढ़ी भाषा की 15 प्रतिशत पाठ्य सामग्री शामिल की गई है। **(ख)** वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा हेतु सेटअप में व्याख्याता का पद स्वीकृत नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर देश में लगभग 1652 मातृभाषा हें। अपन-अपन जगह में सब भाषा के बढ़िया महत्व हे। छत्तीसगढ़ी भाषा के सब ले बड़े विशेषता ए हरे कि जतका हिन्दी के लोकोक्तियां हैं, वतका कोनो भाखा में नहीं है। दोनों में बहुत फरक दिखथे। छत्तीसगढ़ में व्याकरण अऊ साहित्य के भण्डार हे। छत्तीसगढ़ में हाना अऊ जनऊला के बिकट आनंद हे। मैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से एक ठन प्रश्न करे हो कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाखा ला राजभाषा के दर्जा देबर अऊ आठवीं अनुसूची में शामिल करे बर वर्ष 2007 में यहां ले प्रस्ताव भेजे गेहे। वर्ष 2013 ले लगातार हमर छत्तीसगढ़ियां भाई मन छत्तीसगढ़ी मा पढ़ाई करत हें। लगभग 11 साल हो गेहे तो ऊखर मन बर हमन छत्तीसगढ़ी भाखा के कइसे व्यवस्था करन ? माननीय मंत्री जी हा घोषणा करे हे कि हमन 33 हजार शिक्षक के भर्ती करबो तो माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मोर प्रश्न हे कि का छत्तीसगढ़ी भाखा में पढ़ाई कर चुके हमर अइसन नौजवान साथी मन बर एखर व्यवस्था करे जाही ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर निषाद जी हा अच्छा प्रश्न पूछे हैं, काबर कि हमर छत्तीसगढ़ के लिपि नहीं हे। हमन छत्तीसगढ़ में दूसरी, तीसरी अऊ चउथी कक्षा में हिंदी के किताब में 25 प्रतिशत छत्तीसगढ़ी में विषय ला रखथन। पांचवी से आठवी तक के कक्षा में 30 प्रतिशत विषय रखथन अऊ नौवी, दसवी, ग्यारहवीं बारहवीं में 15 प्रतिशत विषय रखथन। हमर हिन्दी के शिक्षक मन छत्तीसगढ़ी ला पढ़ाथे, काबर कि लगभग हर कक्षा में हिंदी के शिक्षक हैं। ऐखर खातिर ओखर अलग से व्यवस्था करे के जरूरत नहीं हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर छत्तीसगढ़ ला समझना है तो सबले पहिली छत्तीसगढ़ी ला समझो। सियान मन कहे हे कि -

गोठ-गोठ में गोठ हे,

छत्तीसगढ़ी भाखा आन भाखा ले पोठ हे,

अऊ अंगाकर कस रोठ हे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ला निवेदन करना चाहहूं कि पूरा देश में, हर राज्य में अपन-अपन बोली के हिसाब से पढ़ाई होथे । पूर्व में माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा घोषणा भी करे गे हे कि प्राथमिक स्तर के पढ़ाई ला हमन छत्तीसगढ़ी में अनिवार्य रूप से करबो और शासन स्तर पर एस.सी.आर.टी. वाले मन अपन कोति ले पूरा तैयार कर चुके हे, केवल सरकार के आदेश के इंतजार हे। आपने निवेदन करना चाहहूं कि यदि आदेश हो जाये तो जेन सैकड़ों लईका मन आज नौकरी के बाट जोहथे, जेन मन छत्तीसगढ़ी पढ़ाई पूरा कर ले हें, तेकर मन बर एक ठन रद्दा खुल जतिस ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर सिंह निषाद तो खाली छत्तीसगढ़ी के बात करथे । हमन मन तो तैयारी करथन कि सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोड़ी, भतरी एमे भी लोकल भाषा में अपन घर के भाषा में बच्चा मन ला पढ़ाए जाये (मेजों की थपथपाहट) अउ एकर खातिर भी हमन किताब ला तैयार करवाए हन । अउ आने वाला समय में हमन कोशिश हे कि हमर यहां जोन एम.ए. (हिन्दी) के जोन छात्र मन हे, ओकर संख्या बहुत कम हे, मुश्किल से पूरा प्रदेश में 200-300 होही तो ओमन ला एडजेस्ट करे बर, ओमन ला भर्ती मा शामिल करे बर हमन ये साल के नियम में परिवर्तन करथन ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्य को बड़ी चिन्ता हो रही है । इनकी सरकार पांच साल में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नहीं बना पाई थी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी राजभाषा में नहीं जाथौ अनुज भाई । मैं हमर छत्तीसगढ़ी बोली में अभी जाथौ, चिन्ता ए बात के हे। माननीय मंत्री जी किहिन, मैं ओकर बात

से सहमत हौं कि हमर राज्य मा क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग प्रकार के बोली बोले जाथे । सियान मन केहे हे कि -

कोस-कोस मा पानी बदलौ, चार कोस मा बानी ।

हमर भाखा सुने में मीठ, अउ पढ़े लिखे में लागय नीट ।

निश्चित ही जेन छत्तीसगढ़िया बोली हे, चातर राज दुर्ग संभाग हो या रायपुर अउ बिलासपुर संभाग मा लगभग शासन के रिकार्ड के आधार पर 65.83 प्रतिशत छत्तीसगढ़ी बोली मन के हे, 9.38 प्रतिशत सरगुजिया वाले मन के हे, 4.19 प्रतिशत हल्बी के हे, 3.7 प्रतिशत सादरी के हे और दंतेवाड़ा साईड जेन गोंडी बोले जाथे, ओकर 2.33 प्रतिशत हे अउ बस्तर डहार बोले जाथे, ओकर बोली 1.73 प्रतिशत हे, उड़ीया बोली 1.74 प्रतिशत अउ भतरी 1.04 प्रतिशत हे । तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ी बोली के ज्यादा प्रभाव पूरा छत्तीसगढ़ मा हे । मंत्री जी, जईसे आप हल्बी अउ गोंडी के साफ्टवेयर के बात करे हवव तो छत्तीसगढ़ी के भी साफ्टवेयर होना चाहिए काबर के एकर व्याकरण अतना ज्यादा हे कि बहुत अकन जेन हमर साहित्यकार मन जेन छत्तीसगढ़ी के विधा से जुड़े हुए हे, जेन मन बड़ अकन साहित्य के भी रचना करे हे । अगर महाकाव्य देखन तो प्रणय जी के कृष्ण कथा अउ महाभारत, खण्ड काव्य देखन त पंडित सुन्दरलाल शर्मा जी के दानलीला, शहीद वीर नारायण सिंह, गोविन्द विट्ठल के और साथ ही यदि कहानी देखन त पालेश्वर शर्मा जी के सुसज्जन करे रिहीसे सुरता के अउ डोकरी के कहिनी अउ केयूर भूषण के मोंगरा, श्यामलाल चतुर्वेदी के भोलाराम, उपन्यास ला देखन त बंशीधर पाण्डेय जी के हीरू के कहीनी, केयूर भूषण के कुल के मर्जाद, अईसे नाटक देखन त पंडित लोचन प्रसाद के कलीकाल अउ खूबचंद बघेल जी के ऊंच अउ नीच अउ करमछड़हा, बिटवा के बिहाव, किसान के करलई अउ केयूर भूषण जी के सउरा । अईसे बड़अकन छत्तीसगढ़ी के जेन बात हे, वह साहित्य के माध्यम से हवय । साथ ही छत्तीसगढ़ी के जेन प्रभाव माननीय गुरू घासीदास बाबा जी के जेन भाग कि मनखे-मनखे एक समान के भी प्रवाह छत्तीसगढ़ के बात के बात हो सकथे ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई प्रश्न है, आपका कुछ प्रश्न है क्या ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही चाहथौं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो पूरा किस्सा कहानी 10 मिनट से सुना रहे हैं । आप प्रश्न करिए न ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहना चाहथौं कि जतका हमर साहित्य कला समृद्ध हे त ए बात के चिन्ता हे कि ए साल मैं माननीय मंत्री जी से चाहहूं कि कम से कम प्राथमिक स्तर में छत्तीसगढ़ी भाखा के पढ़ाइ ला चालू कर देवय, ताकि हमन लईका मन पर बढ़िया व्यवस्थित बन जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा 24-25 साल की हो रही है । मेरे ख्याल से अब तक का सबसे लंबा प्रश्न करने का यह रिकार्ड होगा । जहां तक मुझे लगता है कि इतना लम्बा प्रश्न किसी सदस्य ने आजतक नहीं किया होगा । बृजमोहन जी से अपेक्षा है कि इतना ही लम्बा उत्तर आप दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, निषाद जी ने प्रश्न किया ही नहीं, उन्होंने संदर्भ बताया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इतना ही लंबा उत्तर आना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंवर सिंह निषाद जी के जोन प्रश्न हे, वह भावनात्मक रूप से तो अच्छा हे। परन्तु हमर छत्तीसगढ़िया मन ला आगे बढ़ाना हे कि नइ बढ़ाना हे ? सब झन ला देश के शिक्षा स्तर पर लाना हे कि नहीं लाना हे। अगर छत्तीसगढ़ी के अतेक चिंता रहिस तो तुंहर पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हे, ये आत्मानंद स्कूल, छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल काबर नइ खोलिस ? अंग्रेजी के काबर स्कूल खोलिस, जरा एखर जवाब दे दे। आखिर हमला का चीज के जरूरत हे ? अध्यक्ष महोदय, भावना अलग चीज हे अउ छत्तीसगढ़ के बच्चा मन के भविष्य ला बनाना, ओला आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता मा शामिल होना, ये एक अलग चीज हे। तोर भावना से मैं भी सहमत हव। परन्तु आज के समय मा हमला राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता मा शामिल होना हे तो अभी जेन देश के जरूरत हे, हमला ओखर शिक्षा दे के जरूरत पड़ही। माननीय कुंवर सिंह निषाद जी हा जेन बात ला बोलत हे, पहली बार तुमन 5 साल मा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी करे हव, कुछु नइ करे हव। मैं पहली बार निर्णय लेव हव कि हमन जेन 33 हजार शिक्षक के भर्ती करत हन, ओमा जेन मन एम.ए. हिन्दी करे हे, ओखर मन के भर्ती ऐमा करे जाही, ये हमन पहली बार निर्णय करे हन। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ी के बात करत हव, ऐमा भावना के बात नइ हे। छत्तीसगढ़िया मन के बोली के सम्मान के बात हे। भावना अलग चीज हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, जब तक छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में नहीं जुड़ेगा, हम उसमें कुछ भी कर ले, राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे प्रदेश में मान्यता नहीं मिलेगी। तो पहला जरूरी है कि हम सब मिलकर उसको 8वीं अनुसूची में जुड़वाने के लिए प्रयत्न करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुंवर सिंह निषाद के प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसमें भर्ती करेंगे, जिन्होंने हिन्दी में डिग्री ली है, उसमें भर्ती करेंगे। जबकि आप मूल प्रश्न 'ख' को देखेंगे तो इस प्रदेश में बहुत सारे छात्र-छात्राएं हैं, वह छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर लिए हैं। जब डिग्री हासिल कर लिए हैं और आप छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करा रहे हैं, जब आप प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं, हायर एजुकेशन में डिग्री दे रहे है और उन्होंने डिग्री ले ली है तो कम से कम उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप 33 हजार शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, यह अच्छी

बात है। लेकिन जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में मास्टर डिग्री हासिल कर लिए हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, यह मूल प्रश्न है। आप इसको बतायें ? क्योंकि आपने हिन्दी के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ी के बारे में नहीं बताया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जोन एम.ए. छत्तीसगढ़ी करे हे, ओ मन ऐमा मा भर्ती करे जाही, इही बात ला मैं 'हिन्दी' बोल दे रहेव।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओही बात रहिस हे। आप हिन्दी के बतायेव तो थोरकिन हमन असमंजस मा पड़ गय रहेन।

श्री भूपेश बघेल :- आपने दो बार हिन्दी-हिन्दी बोला न।

श्री अजय चन्द्राकर :- असमंजस हिन्दी शब्द हे।

श्री अनुज शर्मा :- संसो कहथे गा।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, आप सीधा बात मत करें। माननीय अध्यक्ष जी, जब कुंवर सिंह निषाद छत्तीसगढ़ी में प्रश्न कर रहे थे तो वह हिन्दी विषय में जिन्होंने डिग्री हासिल की है, जब यह वाक्य दो बार बोले तो फिर मैंने हिन्दी में प्रश्न करना शुरू किया, तब मंत्री जी ने कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में डिग्री ली है उसको मौका मिलेगा। धन्यवाद।

<u>जांजगीर-चांपा जिले में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 976) श्री ब्यास कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं ? वर्ष 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस योजना से कुल कितनी राशि के मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों हेतु निर्माण एजेंसी/ठेकेदार कौन-कौन हैं ? स्वीकृत कार्यो में कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जाएंगे ? स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं ?स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने-कितने कार्यरत हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है। इस उत्तर में कुछ ऐसे विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार ने ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने की बात की है। परन्तु मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो अप्रारंभ के स्तर पर है या निविदा हो चुकी है। ऐसे काम स्वास्थ्य के विषय से संबंधित हैं। यह छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन निर्माण एजेंसी है। इसके अन्तर्गत एन.एच.एम. (राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन) या केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत आता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर इन कामों को रोकने की बात थोड़ी होगी ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी, जो पुस्तकालय में प्रपत्र "अ" "ब" "स" एवं "द" के माध्यम से दी गई है, लेकिन जो कार्य है, इन्होंने डिटेल्स में पूछा है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। कोई ऐसा काम पर्टिकूलर बता दें, जो विभाग के द्वारा रोका गया है ?

श्री व्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में रोका नहीं गया है, परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा ऐसा है कि जो काम है, वह सब काम नहीं होंगे, निरस्ती के स्तर पर अगर ऐसी बात होगी तो स्वास्थ्य की चिन्ता का विष्य है । कम से कम केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के 15 वें वित्त आयोग से एनएचआरएम या केन्द्र प्रवर्तित योजना की जो राशि आई है, उस राशि का सही सदुपयोग हो, स्वास्थ्य की चिन्ता के लिये यह विषय रख रहा हूँ ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य विभाग का निर्माण एजेंसी और टेण्डर करने की जो एजेंसी है, वह सी.जी. एम.एस.सी. है । इसके माध्यम से जो भी टेण्डर का काम है, वह किये गये हैं, जिनके निविदा हो चुके हैं, एल 1 आ चुके हैं, जिसका वर्क आर्डर हो चुका है, वह सभी कार्य प्रारंभ है । कुछ काम ऐसे जगहों में जहां जमीन की समस्या है या भूमि का आवंटन नहीं हो पाया है, वैसे ही काम रूके हैं । कोई काम रोका नहीं गया है, सभी काम जारी है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री व्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, हमारे जनप्रतिनिधियों के भूमि दिलाने की भी व्यवस्था हम करेंगे, कृपया स्वीकृति दे देंगे । अध्यक्ष महोदय, एक विषय और है, प्रपत्र स में आया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के जो स्वीकृत पद है, वर्तमान स्वीकृत पद में अभी भी लगभग 39 पद रिक्त है, कम से कम रिक्तियों की भर्ती समयसीमा पर हो जाये, ताकि बेरोजगारों को लाभ भी हो, इसमें हमारी स्वास्थ्य की भी चिन्ता है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा विधान सभा में जो रिक्त पद है, कम ही है । हमारे पास जो प्रथम श्रेणी के पद हैं, उसकी संख्या ज्यादा है, उसके लिये हम लोगों ने पी.एस.सी. को लिखा है । अभी कुछ पद भर्ती की प्रक्रिया में है । हम लोग जैसे-जैसे भर्ती करते जायेंगे, रिक्त पद कम होगा । यह अभी प्रक्रियाधीन है, हम उसे जल्द ही कर देंगे ।

श्री व्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की गारण्टी में यह बात का भी उल्लेख है कि प्रत्येक लोक सभा या प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी । दो वर्ष पूर्व भी मेडिकल कॉलेज के विषय में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की भी घोषणा हो चुकी है । स्थल भी चिन्हांकित हो गया है । स्थल चिन्हांकित होने के बाद अफसर भी नियुक्त हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । अलग से पूछ लीजिए । श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्राप्त व व्यय राशि

[स्कूल शिक्षा]

5. (*क्र. 1275) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2021 से 15 जनवरी, 2024 तक जिला शिक्षा अधिकारी अथवा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को किन-किन मदों से, राशि प्राप्त हुई हैं? प्राप्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिये किया गया हैं ? क्या प्राप्त राशि का व्यय किसी प्रकार की खरीदी के लिये किया गया हैं? यदि हां, तो क्रय करने का माध्यम क्या था, किन नियमों के तहत खरीदी की गई है? प्राप्त राशि का विकासखण्डवार, सामग्रीवार व्यय की जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2021 से 15 जनवरी, 2024 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ को वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण, विशेष सेवाओं हेतु अदायगियां, सामग्री एवं पूर्तियां, कोचिंग/प्रतियोगिताएँ, डी.एम.एफ एवं समग्र शिक्षा मद में राशि आबंटित की गई। प्राप्त राशि का उपयोग 21 कार्यो के लिये किया गया। जी हाँ। खरीदी का माध्यम ई-मानक व निविदा है, छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों के तहत खरीदी की गई है। प्राप्त राशि का विकासखण्डवार, सामग्रीवार व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[1] अनुसार है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से है । आप यह बताने की कृपा करेंगे कि डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2021 से 15

[1] परिशिष्ट "दो"

जनवरी 2024 तक जिला शिक्षा अधिकारी अथवा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को किन-किन मदों से राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि का उपयोग कितने कार्यों के लिये किया गया है ? क्या प्राप्त राशि का व्यय किसी प्रकार की खरीदी के लिये किया गया है ? यदि हां तो क्रय करने का माध्यम क्या था ?

अध्यक्ष महोदय :- जो माननीय सदस्य पहली बार जीत कर आये हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि जो छपे हुये प्रश्न है, उसको हुबहू पढ़ने की जरूरत नहीं है । इससे जो प्रश्न उद्भूत होता है, जो आप चाहते हैं, वह इसमें सामने आयेगा । लिखित जवाब आ चुका है । मैं रोक नहीं रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे जो प्रश्न उद्भूत होता है, वह करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान जल्दी निकलेगा ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल इसीलिए शार्ट में बताया था, लेकिन आज इस प्रश्न को पढ़ने का मेरा उद्येश्य यह था कि इसमें मैंने मदवार जानकारी चाही थी ।

अध्यक्ष महोदय :- पूछ लीजिए ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरे द्वारा डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र से प्रश्न किया गया था, जिसमें मैंने शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई खरीदी की जानकारी मदवार मांगी थी । आपने माध्यम ई मानक और निविदा संविदा के खरीदी की ही दी गई है, इसमें बाकी जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । मंत्री जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिशिष्ट दिया गया है, उसमें इसकी जानकारी दी गई है, कुल मिलाकर हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी है, उनको जो पैसा दिया जाता है, वह इस प्रकार है :- वेतन भत्ते, मजदूरी, यात्रा भत्ता, डाक तार, दूरभाष, फर्नीचर क्रय, उत्तर पुस्तिका देयक भुगतान, बिजली बिल एवं वर्दी का कपड़ा, लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यान्ह भोजन, परीक्षा प्रश्न-पत्र, उत्तर पुस्तिका छपाई, खेलकूद सामग्री का क्रय, जिला खनिज न्यास संस्थान डी.एम.एफ. मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य, स्वच्छता सामग्री का क्रय, विज्ञान सामग्री का क्रय, सहायक अनुदान पुस्तकालय हेतु सामग्री, समग्र शिक्षा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भवन निर्माण शालाओं हेतु स्मार्ट टी.व्ही.। इतने कुल 21 मदों के लिये पैसे दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, एक और प्रश्न कर लीजिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक कार्यालयीन व्यय का आंकड़ा मांगा था, उसमें इन्होंने पहले 16 लाख रूपये बताया और बाद में अभी हमको सूचना मिली कि वह 32 लाख 95 हजार 114 रूपये है । वर्ष 2021-22 में 28 लाख 61 हजार 165 रूपये और वर्ष 2023-24 में 15 जनवरी तक, 15 लाख 14 हजार 707 रूपये का व्यय किया गया। माननीय मंत्री जी, वर्ष 2021 से 15 जनवरी, 2024 तक 80 लाख 64 हजार 462 रूपये का व्यय किया

गया। विभाग द्वारा ऐसे कैसे कार्य किये गये हैं कि हमको सही विभागीय जानकारी नहीं दी जा रही है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी क्योंकि आपने जो जानकारी दी है, उसमें आपने यह नहीं बताया है कि जो स्टेशनरी, झाड़ू, बाल्टी, जो छोटी-छोटी सामग्रियां हैं, छोटे-छोटे काम हैं, उसके लिये 02 करोड़ 34 लाख 71 हजार 153 रूपये व्यय हुआ है। जिसमें छोटी-छोटी सामग्री ही ली गई है और उसकी कोई रूप रेखा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्ष 2023-24 में समार्ट टी.व्ही. में 10 लाख 43 हजार 445 रूपये का व्यय हुआ है, जबकि हमको क्षेत्र में जाने से यह जानकारी मिली कि वहां के जो ग्रामीणों की समिति बनती है, उनसे पैसा लिया गया और उनसे स्मार्ट टी.व्ही. की खरीदी की गयी। मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने विभागीय राशि का क्या किया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जो विभागीय पैसे जिस काम के लिये दिये गये हैं, उसी काम में खर्च किये गये हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि डोंगरगढ़ विधान सभा के लगभग 15-16 गांव ऐसे हैं, जहां से मेरे पास स्मार्ट टी.व्ही. स्टेशनरी, झाड़ू, बाल्टी जैसी सारी सामग्रियों को लेकर शिकायतें आयी थीं। जिसमें अभी तक विभागीय तौर पर कोई भी व्यय नहीं मिला है। आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने स्मार्ट टी.व्ही. के लिये चन्दा इकट्ठा करके हर स्कूलों में स्मार्ट टी.व्ही. लगायी है। मुझे ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां पर कलेक्टर का आदेश था। क्या आप बतायेंगे कि विभाग ऐसी गलती क्यों कर रहा है ? मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार आपकी रहे या हमारी रहे, आप विभाग की इन गलतियों को छिपाने के बजाये इसकी अच्छी व्यवस्थित तौर जानकारी दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हर्षिता जी को यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई शिकायतें हैं, तो आप मुझे दे दीजिये। हमें जो जानकारी प्राप्त है, उस जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है। क्योंकि यह पूरी सामग्रियां ई-निविदा के माध्यम से खरीदी गई है। इसमें भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है, यह एक स्कूल के लिये नहीं है, यह पूरे ब्लॉक के स्कूलों के लिये है। इसलिये मैंने पूरे ब्लॉक के स्कूलों का खर्चा बताया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास कोई शिकायत है तो आप लिखकर दे दीजिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास शिकायतें आयी हैं, मैं इसीलिये बोल रही हूं। मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि आप विधायकों की जांच समिति बना दीजिये ताकि इसमें जांच बैठायी जा सके क्योंकि यह बड़े मुद्दे हैं और मेरे पास बहुत सारी शिकायतें हैं। यह घुमका ब्लॉक का मामला है, आप इसकी जांच करवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- हर्षिता जी, आप लिखित में दे दीजिये, मंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच करा ली जायेगी। श्री इंद्र कुमार साहू ।

<u>अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत/कार्यरत पद</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (*क्र. 719) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/उप स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कौन कौन से पद कितनी कितनी संख्या में स्वीकृत हैं? कृपया ग्रामवार, स्थानवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त समस्त केंद्रों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं? कितने पद रिक्त हैं? **(ग)** रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है। **(ख)** उक्त समस्त केन्द्र में स्वीकृत 267 पद के विरूद्ध 222 कर्मचारी /अधिकारी कार्यरत है एवं 45 पद रिक्त है। **(ग)** रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही सतत प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री इंद्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहत हव कि मोर अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के संबंध में मंत्री जी हा जो उत्तर दे हे, ये मे ग्रामवार स्वीकृत पद के साथ-साथ रिक्त पद की जानकारी मंगे रेहेव। मगर ये मे परिशिष्ट "3" में जो ग्रामवार जानकारी दे गे हे, वह केवल कार्यरत पद की जानकारी हे। वह गांव में कतका पद रिक्त हे, एकर जानकारी परिशिष्ट में दर्ज नहीं हे। मे हा मंत्री जी से कहना चाहत हव कि ओमन एखर ग्रामवार जानकारी दिही।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में केवल जो स्वीकृत पद हैं, इन्होंने उनकी जानकारी मांगी है। यदि अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूरे स्थानवार जानकारी चाहिए तो मैं आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री इन्द्रकुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मे मोर दूसरा प्रश्न हे कि ए मे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अउ कर्मचारी, जो अपन मूल पदस्थापना से अन्य हॉस्पिटल मन में पदस्थ हे। मोर अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में जो जानकारी हे कि उहां 267 पद के विरूद्ध 222 कर्मचारी कार्यरत हैं और 45 पद रिक्त हे । ओखर अतिरिक्त आज भी करीब 27 व्यक्ति दूसरा हॉस्पिटल में कार्यरत हे। तो का ए में संल्गनीकरण के कोई नियम हे? एला बताए के कृपा करही।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां इनकी जानकारी में जो रिक्त पद हैं, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं उससे ज्यादा रिक्त पद हैं। हम लोग 17 पदों पर जो ग्रामीण

---

[2] परिशिष्ट "तीन"

स्वास्थ्य संयोजक पुरूष हैं, उसमें दावा आपत्ति की स्थिति में आ गये हैं हम उसको कर रहे हैं। हम 78 पद एन.एच.एम. से भर रहे हैं। इन्होंने जो संल्गनीकरण की बात कही है । कुछ ऐसी आवश्यक सेवाएं होती हैं जिनमें संलग्न करना पड़ता है। जैसे माना एयरपोर्ट में एक डॉक्टर अटैच हैं। उसी प्रकार से माना एयरपोर्ट में ग्रामीण चिकित्सा सहायक अटैच हैं। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कासी नगर में है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मठपुरैना रायपुर में है और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में एक कर्मचारी अटैच हैं। इस प्रकार से मेरी जानकारी में यह 5 कर्मचारी अटैच हैं।

श्री इन्द्रकुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, में माननीय मंत्री जी से जानना चाहत हौं कि मोर नया पारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो नगर पालिका हे, उहां वर्ष 2018 से 3 डॉक्टर अनुपस्थित हे। एमे करीब 4 कर्मचारी दूसरा जगह संलग्न हे। उहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर के अभाव के कारण बहुत तकलीफ हे।

अध्यक्ष महोदय :- इनकी समस्या यह है कि संल्गनीकरण की वजह से वहां चिकित्सक जो दूसरे स्थान पर संलग्न हैं क्या उनको उनके मूल स्थान में भेजेंगे ? आप यही चाहते हैं ? आप इसमें बता दीजिए ?

श्री इन्द्रकुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस दिन पदभार संभाला उसके पहले ही दिन मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि सभी संल्गनीकरण समाप्त कर दिये जाएं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। आपका काम हो जाएगा ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे प्रदेश में इसका बहुत कड़ाई से पालन करने हेतु कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- उनका केवल यही प्रश्न है।

श्री रिकेश सेन के स्थान पर श्री अनुज शर्मा प्रश्न करेंगे।

<u>जिला-दुर्ग के शिक्षा विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मचारी</u>

[स्कूल शिक्षा]

7. (*क्र. 1034) श्री रिकेश सेन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-दुर्ग के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला), प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला), प्राचार्य (हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी) के कितने पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला), प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला), प्राचार्य (हाई स्कूल)/(हायर सेकेंडरी) पद पर कितने प्रभारी कार्य कर रहे हैं? **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी **संलग्न[3] प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिले में समस्त स्कूलों में जो शिक्षकों की स्थिति है, उस पर माननीय रिकेश सेन जी ने सवाल पूछा था और उसमें जानकारी आयी है। मेरा सवाल यह है कि लगभग ढाई सौ से अधिक स्कूल प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं प्रधान पाठक या प्राचार्यों के लिए। लगभग यह ढाई सौ स्कूल हैं और वहां पर लगभग 1500 पद रिक्त हैं ? तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रभारियों के भरोसे जो स्कूल चल रहे हैं उसमें कितने ऐसे प्रभारी हैं या वहां कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है ? उनका उन पदों पर प्रमोशन नहीं हो पाया है ? जिला-दुर्ग के शिक्षा विभाग में ऐसे कितने हैं, जिनका प्रमोशन ड्यू है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रभारियों की व्यवस्था कोई दो महीने में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं उन सीनियर व्याख्याताओं को प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है जो उसी स्कूल में कार्यरत रहते हैं और कई सालों से प्रमोशन की कार्यवाही भी नहीं हुई है। मैंने परसों ही अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि एक साल के अंदर हमारी यह कोशिश होगी कि हम प्रमोशन से जितने ज्यादा से ज्यादा किये जा सकते हैं उनका प्रमोशन करें। जितने नये भार्तियों के माध्यम से भरे जा सकते हैं उनको ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप सक्षम मंत्री हैं, आप एक साल की बात क्यों कर रहे हैं ? आप यह बोलिए कि 6 महीने के अंदर सारे पदों को भरा जाएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- यह वर्षों से पेंडिंग हैं। इसको आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है परन्तु मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में लगभग ढाई लाख शिक्षक हैं और जो अलग-अलग स्तर के शिक्षक हैं 50 हजारर से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी हमें सी.आर. ही नहीं मिल रही है और इसलिए यह कठिनाई है, परन्तु हमारी यह कोशिश है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सके। आपने जो 6 महीने का निर्देश दिया है। हम 6 महीने के अंदर प्रमोशन की जितनी कार्यवाही है उसको पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्। आप और कोई प्रश्न करना चाहेंगे ?

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कम से कम वह सूची उपलब्ध करा दें कितने लोगों का प्रमोशन ड्यू है। माननीय मंत्री जी दूसरी चीज यह थी कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? क्योंकि यह बहुत चिंता का विषय है कि अगर 1500 शिक्षकों का

[3] परिशिष्ट "चार"

एक ही जिले में अभाव है, जब तक ये 1500 शिक्षकों के पद खाली हैं, उसके कारण से कहीं न कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। इसके लिए विभाग के द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे प्रदेश के भी आंकड़े हैं। पिछले 05 सालों में भर्तियों की प्रक्रिया को पेन्डिंग में डाल दिया गया था। अभी भी पिछले 05 सालों में जो भर्ती की गई है, उसमें से 4 हजार से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई है, हम उनको नियुक्ति दे रहे हैं। हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे रहे हैं कि वहां पर अतिथि शिक्षक और शिक्षा मित्र के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। हम जल्द से जल्दी शायद प्रदेश की सबसे बडी भर्ती का मामला है कि हम 33 हजार शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं और हमने उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हमारी यह कोशिश है कि अगले 01 साल में हम अधिकांश शिक्षकों की पूर्ति कर दें और जो बचे हुए शिक्षक हैं, हम उनकी भी भर्ती जल्द से जल्द कर लेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अगर उसकी कुछ समय सीमा तय कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- 01 साल बोल दिये हैं।

श्री अनुज शर्मा :- 01 साल, जी ठीक है।

<u>जिला-बस्तर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम</u>

[स्कूल शिक्षा]

8. (*क्र. 1356) श्री बघेल लखेश्वर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2023-24 में दिनांक 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में जिला-बस्तर राज्य के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्थाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का निर्विघ्न संचालन हो रहा है? **(ख)** यदि हां तो प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में ही प्राथमिक शालाओं एवं माध्यमिक शालाओं में सेवारत रसोईयों के मानदेय एवं संस्थाओं को कुकिंग कॉस्ट दिए जाने की अद्यतन स्थिति बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जी हाँ। **(ख)** बस्तर जिले अंतर्गत सेवारत रसोईयों को माह अक्टूबर 2023 तक एवं संस्थाओं में कुकिंग कॉस्ट की राशि अक्टूबर 2023 तक का भुगतान किया गया है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जिला बस्तर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन से संबंधित प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह नवंबर, दिसंबर 2023 एवं जनवरी 2024 तक की राशि कब भुगतान होगी ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसमें 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार से, 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होता है। हमने बस्तर क्षेत्र में अक्टूबर तक की राशि तो पहुंचा दी है, वह भी हमारी सरकार आने के बाद हमने पहुंचाई है, नवंबर, दिसंबर की राशि भी दो-चार दिनो के अंदर में रिलीज हो जायेगी और वहां पर उनको राशि मिल जायेगी।

श्री बघेल लखेश्वर :- नवंबर, दिसंबर 2023 एवं जनवरी 2024 की राशि का कब तक भुगतान हो जायेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नवंबर, दिसंबर की राशि एक सप्ताह के अंदर में उनको मिल जायेगी। हमने इसकी कार्यवाही कर दी है। यह हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जनवरी, फरवरी की राशि भी उनको पहुंचा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमने निर्णय लिया है कि मध्यान्ह भोजन को पूरे देश ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रायरटी में लिया है। हमने एक पत्र जारी दिया है, उस पत्र के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारियों के पास में, वहां के प्राचार्य के पास में या वहां के बी.ओ. के पास में अगर कोई भी राशि है तो मध्यान्ह भोजन के मामले में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। उस राशि से उसका पेमेन्ट कर दें, बाद में विभाग के द्वारा उनको उपलब्ध करवा दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयां को कम वेतन मिलता है, 1800 से 2000 रुपये के अंदर में वेतन मिलता है, उनके वेतन का भी समय पर भुगतान नहीं होता है। अभी भी उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है, उनके वेतन का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने रसोइयों के बारे में कहा है, शेम स्थिति वहां के मध्यान्ह भोजन बनाने वालों की भी है। उनकी भी जो स्थिति है, यही है। उनको भी नवंबर, दिसंबर की राशि एक सप्ताह में मिल जायेगी और उनकी राशि का हम जल्द भुगतान करा देंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा। श्री आशाराम नेताम।

<u>कांकेर जिले में संचालित सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. (*क्र. 598) श्री आशा राम नेताम : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्तमान में कांकेर जिले में संचालित सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? बायो मेडिकल वेस्ट निष्पादन हेतु शासन एवं

एन.जी.टी. के क्या दिशा निर्देश हैं ? वर्तमान में किन-किन शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में इंसीनरेटर की स्थापना की गई है एवं वर्तमान में कहां-कहां इंसीनरेटर संचालित हैं ? अगर कहीं संचालित नहीं हैं तो इसका क्या कारण है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : बॉयो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु डीप पिट एवं शार्प पिट की व्यवस्था की गई है। बायो मेडिकल वेस्ट निष्पादन हेतु दिशा निर्देश संलग्न प्रपत्र अनुसार है। वर्तमान में कांकेर जिले के किसी भी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में इंसीरनेटर की स्थापना नहीं की गई है तथा कहीं भी इंसीनरेटर संचालित नहीं है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड नया रायपुर द्वारा बस्तर संभाग में कॉमन बॉयोमेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट फेसिलिटी जिसमें इंसीनरेटर की स्थापना एवं संचालन के लिए कोण्डागांव का चयन किया गया है। इस कारण जिला कांकेर में किसी भी संस्था में इंसीनरेटर का संचालन नहीं किया जा रहा है।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि कांकेर जिला में बायो मेडिकल वेस्ट निष्पादन हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय बायो मेडिकल निष्पादन हेतु दो प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। एक तो जो रूई, कपड़े, मानव अंग, ब्लड हैं, इत्यादि के लिए डीप पिट बनाये जाते हैं। 2X2 मीटर के गढ्ढे करके उसको करते हैं और दूसरा एक कम गहरा होता है, उसको सार्प पिट कहते हैं। जिसमें नुकिली सुई वगैरह जैसे हार्ड चीजों को डालते हैं जिससे कि लोगों को न लगे। उसमें वह वेस्ट बंद रहता है। उसमें केवल उसको डालने भर का स्थान रहता है। इस प्रकार से यह हमारे सभी हॉस्पिटलों में है। लेकिन माननीय सदस्य जो जानना चाह रहे हैं, इनके प्रश्न में उल्लेखित था कि बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए इंसीनरेटर की स्थापना की गई है? उसकी स्थापना कांकेर जिले के किसी भी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में नहीं है। उसके लिए एन.जी.टी. के द्वारा स्वयं ही यह लगाये जाते हैं और अभी कोण्डागांव में एन.जी.टी. ने यह लगाने का निर्णय लिया है जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड है। उसके माध्यम से ही उसका निबटान होता है।

अध्यक्ष महोदय :- वह शासकीय चिकित्सालय का भी पूछ रहे हैं और निजी चिकित्सालय का भी पूछ रहे हैं। वह दोनों चिकित्यालयों में इंसीनरेटर की स्थापना की बात पूछ रहे हैं। आपको उसकी कुछ जानकारी है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, हाँ। मेरे पास शासकीय चिकित्सालय की भी जानकारी है और निजी चिकित्सालय की भी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय :- मूल प्रश्न यह है कि निजी चिकित्सालय में भी इंसीनरेटर है या नहीं है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, जो इंसीनरेटर है, वह उस जिले में न शासकीय चिकित्सालय में है और न ही निजी चिकित्सालय में है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं है। चलिये, आगे प्रश्न करिये।

श्री आशा राम नेताम :- माननीय मंत्री जी, बायो मेडिकल वेस्ट निष्पादन हेतु शासन के एन.जी.टी. के क्या दिशा-निदेश हैं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको एन.जी.टी. का निर्देश दिया हुआ है। मैं निर्देश की कापी रखा हूं। आप बोलेंगे तो मैं पढ़ देता हूं। पूरे निर्देश को पढ़ूंगा तो आधा घण्टा लगेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप उनको उपलब्ध करवा दीजिए।

<u>बस्तर संभागान्तर्गत शासन के योजनांतर्गत मेला, महोत्सव का आयोजन</u>

[संस्कृति]

10. (*क्र. 1262) श्री किरण देव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग में वर्ष 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक कब-कब व कहां-कहां शासन के योजनांतर्गत मेला, महोत्सव का आयोजन किया गया है ? शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि/अनुदान कहां-कहां, प्रदाय की गयी है ? जिलेवार व वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार कितने मेलों, महोत्सव को पूर्णतः राज्य शासन संचालित करती है तथा कितने मेले/महोत्सव का आयोजन अन्य संस्था, सामाजिक संस्था द्वारा संचालित होता है ? जिलेवार संस्था/सामाजिक संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार मेला महोत्सव आदि के लिये राज्य शासन द्वारा विगत 3 वर्षो में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था तथा कितनी कितनी राशि व्यय की गयी ? क्या व्यय की गई राशि में भ्रष्टाचार/अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो व कहां कहां ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार, संस्थावार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) बस्तर संभाग में वर्ष 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक शासन के योजनांतर्गत मेला, महोत्सव के आयोजन हेतु बजट आबंटन/अनुदान राशि प्रदाय की गयी है, जिलेवार व वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[4] में दर्शित है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार 04 मेला, महोत्सव (गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा, चित्रकोट, रामाराम मेला) को पूर्णतः राज्य शासन संचालित करती है तथा अन्य संस्था, सामाजिक संस्था द्वारा मेला, महोत्सव संचालित होता है, जिलेवार संस्था/ सामाजिक संस्थावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार मेला महोत्सव आदि के लिये राज्य शासन द्वारा विगत 3 वर्षों में राशि 3,49,90,000/- (रू. तीन करोड़ उनचास लाख नब्बे हजार) मात्र का बजट प्रावधान किया गया था तथा राशि 3,49,90,000/- (रू. तीन करोड़ उनचास लाख नब्बे

[4] परिशिष्ट "पाँच"

हजार) मात्र व्यय की गयी है। व्यय की गई राशि में भ्रष्टाचार/अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ वैसे भी अपनी संस्कृतिक धरोहर और परंपरा मेला, मड़ई, उत्सव के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से इसी संदर्भ में यह प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बताने की कृपा करेंगे और यह बस्तर संभाग को लेकर स्पेशिफिक प्रश्न है कि बस्तर संभाग वैसे भी मेला, मड़ई, जात्रा पूजा विधान आदि इस तरीके की तथा अन्य सांस्कृति, पारंपरिक पूजा संबंधित परंपराओं को समेटे हुए वर्षभर यह यह कार्यक्रम होते हैं तो बस्तर संभाग के अंतर्गत ऐसे कितने मेला, मड़ई और जात्रा पूजा विधान में हमारे शासकीय मद से या शासन के द्वारा अनुदान दिया जाता है ? मेरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय जी से वर्ष 2021 से आज पर्यन्त तक यह जानकारी के संबंध में है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य किरण देव जी जिस बात को कह रहे हैं कि हमारी बस्तर की संस्कृति, हमारी आदिवासी संस्कृति और मेला, पर्व इसके माध्यम से लोगों का जीवन जीवंत होता है और उसके माध्यम से उल्लास में वातावरण में पूरे बस्तर के हमारे आदिवासी पर्व मनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तभी हमने पहली बार इन सब उत्सवों के लिए पैसा देना शुरू किया। पहले तो इन उत्सवों को पैसा नहीं मिलता था। माननीय किरण देव जी ने जो प्रश्न पूछा है कि इनको वर्ष 2021-2022 में 1 करोड़ 25 लाख 50 हजार रूपये, वर्ष 2022-2023 में 1 करोड़ 65 लाख 45 हजार रूपये, वर्ष 2023-2024 में 58 लाख 95 हजार रूपये, उपलब्ध करवाया गया है। मैंने उसकी लिस्ट भी दी है। मुख्य रूप से यहां पर गोंचा पर्व, चित्रकोट महोत्सव और साथ में रामाराम मेला, यह तीन मेलें प्रमुख रूप से होते हैं और इसके लिए हम सिर्फ संस्कृति के माध्यम से ही नहीं बल्कि हम पर्यटन विभाग के माध्यम से भी इसका पैसा उपलब्ध करवाते हैं और कलेक्टर अन्य माध्यमों से भी इन मेलों को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए और दशहरा महोत्सव के लिए पैसा उपलब्ध करवाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप और कोई प्रश्न करना चाहते हैं?

श्री किरण देव :- माननीय मंत्री महोदय, हमारे बस्तर में जो बस्तर का दशहरा है वह केवल समूचे देश में ही नहीं बल्कि वहां पूरा विश्वविख्यात पर्व मनाया जाता है । यह आयोजन 75 दिवस का होता है । साथ ही हमारा जो गोंचा पर्व है ऐसे अन्य समय के साथ-साथ चूंकि संसाधनों का और व्यय का जो अंतर है वह निरंतर बढ़ रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहता हूं और प्रश्न में भी समाहित है चूंकि इस माह के बाद ही लगातार हमारे बस्तर संभाग का मेला, मड़ई और उत्सव के त्यौहार सब प्रारंभ हो जाते हैं तो यह सारे कार्यक्रम, कार्ययोजना, पूजा- विधान थोड़ा सा

व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके । क्या इसके लिये आप अनुदान के रूप में और अधिक राशि प्रदत्त कर सकते हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो बस्तर का दशहरा है वह अनूठा दशहरा है । वहां दशहरे में मां दंतेश्वरी माई की पूजा के साथ में उनका रथ निकलता है और पूरे विश्व के लोग बस्तर के दशहरे को देखने के लिये आते हैं । अभी तक हम बस्तर दशहरे के लिये संस्कृति विभाग से 10 लाख रूपये और धर्मस्व विभाग से 25 लाख रूपये इस प्रकार 35 लाख रूपये देते थे । माननीय सदस्य की चिंता को जायज मानते हुए कि अब आने वाले समय पर पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति तीनों विभागों से मिलाकर हम बस्तर दशहरे के लिये हर वर्ष 50 लाख रूपये देंगे । (मेजों की थपथपाहट) साथ में रामाराम मेला है । उस रामाराम मेले के लिये हम प्रतिवर्ष पर्यटन और संस्कृति विभाग दोनों के माध्यम से 10 लाख रूपये देते हैं । हम इसको भी अब हर वर्ष बढ़ाकर 15 लाख रूपये देंगे । (मेजों की थपथपाहट) गोंचा पर्व के लिये 3 लाख रूपये दिये जाते हैं उसको भी हम बढ़ाकर 5 लाख रूपये देंगे और चित्रकोट महोत्सव के लिये भी 10 लाख रूपये के स्थान पर अब हम 15 लाख रूपये देंगे । चूंकि इसमें सदस्य की चिंता थी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा । ठीक ।

श्री किरण देव :- माननीय मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न करिये ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय मंत्री जी, पिछले 2 साल से मैं प्रभारी मंत्री था तो आपके विभाग से 5 लाख रूपये रामाराम को देते थे । यह बहुत बड़ा मेला होता है। 5-10 लाख रूपये से नहीं होगा । जब हमारी सरकार थी तो 10 लाख रूपये तो उसको बनाने के लिये दिये थे । चूंकि आजकल महंगाई का जमाना है, आप पिछले साल का देख लीजियेगा । उसके पहले भी संस्कृति विभाग से चूंकि वह विभाग अमरजीत भगत जी के पास था, चिट्ठी लिखने से 5 लाख रूपये दिये जाते थे । रामाराम में हम लोग 3 करोड़ रूपये देकर वहां भी अच्छा बनाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी, उन्होंने तो बढ़ा दिया न । (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- उन्होंने 15 कर दिया है । आजकल 15 में क्या होता है? एक बोकरा भी नहीं होता है, वहां तो 20-20 बोकरा पहुंचते हैं । महंगा हो गया है। उसको 5 लाख रूपये कर दीजियेगा । अभी 15,000 रूपये कर दिये हैं न ।

श्री भूपेश बघेल :- उन्होंने 15 लाख रूपये बोला है ।

अध्यक्ष महोदय :- 15 लाख रूपये किये न ।

श्री कवासी लखमा :- 15 लाख रूपये हो गया ?

अध्यक्ष महोदय :- बोकरा 15,000 रूपये में आता है । (हंसी)

श्री किरण देव :- रिवर्स मत कर दीजियेगा ।

श्री अनुज शर्मा :- क्या दादी, सुबह से ही । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- 15 लाख रूपये में कितना बोकरा आयेगा ? आप हिसाब लगा लीजिये । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी, क्या आज सुबह से हो गया ? (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- दादी, आज सुबह से ही । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- श्री रोहित साहू ।

श्री अजय चंद्राकर :- जब दादी धमतरी रूकते हैं तब उनका होता है । (हंसी)

राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय अस्पताल

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. (*क्र. 1144) श्री रोहित साहू : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? **(ख)** उक्त संचालित केंद्रों में दिसंबर,2023 की स्थिति में चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के कौन-कौन से कितने पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार। (ख) जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हम सबके जीवन से जुडे बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग का है । मैंने राजिम विधानसभा के स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की, कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं और कितने स्वीकृत हैं । उन पदों की जानकारी चाही गयी थी, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि मेरे गरियाबंद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्र में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजिम विधानसभा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी के 8 पद हैं उसमें 9 कार्यरत हैं, 1 एक्सेस है उसमें रिक्त नहीं है । अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ 83 स्वीकृत है उसमें 57 कार्यरत हैं और 26 रिक्त हैं । चतुर्थ श्रेणी के 28 स्वीकृत हैं, 22 कार्यरत हैं, 6 पद रिक्त हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार उप स्वास्थ्य केन्द्र में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक होते हैं, उसमें महिला एवं पुरूष होते हैं। कुल पद 160 स्वीकृत हैं, उसमें 63 पुरूष और 66 महिलाएं हैं और उसमें केवल 14 महिला पद ही रिक्त हैं बाकी पुरूष के पूरे भरे हैं। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है,

उसके चलते 18 स्वीकृत में मात्र हमारे 3 कार्यरत हैं, 15 रिक्त हैं। चिकित्सा अधिकारी 15 में 11 कार्यरत हैं, 4 रिक्त हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ 86 में 64 कार्यरत हैं, 22 रिक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, पर्याप्त हो गया। और कोई प्रश्न हो तो पूछें?

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां जिला अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप चाहते क्या हैं? आप पूछ लें।

श्री रोहित साहू :- जी। मेरे यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जो जानकारी मैंने चाही थी, उसमें रिक्त पदों में कार्यरत की जानकारी मिली है। माननीय महोदय, पूरे भगवान भरोसे चल रहे हैं। जितना जो पद स्वीकृत हुआ, 148 पद स्वीकृत हैं। जिसमें से 50 पद आज भी रिक्त हैं। जो आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मेरा क्षेत्र है और ग्रामीण जनता को वहां जाने से रायपुर रेफर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, रिक्त पदों को कब तक भरेंगे?

श्री रोहित साहू :- माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे गरियाबंद जिले में अभी बजट में भी बहुत अच्छा प्रावधान किये हैं। मैं चाहूंगा कि रिक्त पदों की भर्ती कब तक हो जायेगी?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया चालू है और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले के जो जिला चिकित्सालय हैं, उसको आदर्श जिला चिकित्सालय में हमने शामिल किया है। आने वाले समय में उसमें विशेष स्वास्थ्य की हम लोग व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद दीजिए। आदरणीय संगीता सिन्हा।

श्री रोहित साहू :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

<u>संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में संचालित अस्पतालों में चिकित्सकों के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. (*क्र. 1459) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित जिला अस्पताल, मातृ-शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकीय स्टॉफ के कौन-कौन

से पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं? रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शासन के द्वारा क्या पहल की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : चिकित्सकीय स्टॉफ की **जानकारी संलग्न प्रपत्र†[5] अनुसार** है। सतत प्रक्रिया है, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा यह पहला प्रश्न है और मोर सगा घलोक हरे। तो मोला उम्मीद हे अउ आशा हे कि मोर मांग भी पूरा होही अउ प्रश्न के उत्तर भी मिलही।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोन हे तोर सगा?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमन ला मालूम नहीं रहिस, अच्छा करेस ते बता देस कि तोर सगा हे। खाली सगा भर हे न अउ कुछू तो नहीं हे। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं, सगा हे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में आया है कि पद रिक्त हैं। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाह रही हूं कि उस रिक्त पद को कब तक भरा जायेगा?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य जी ने चिंता की है, उसे अतिशीघ्र भर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया कुछ पदों पर प्रारंभ है और जल्द से जल्द आपके यहां स्टाफ दे रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे क्षेत्र में जो जिला चिकित्सालय है, उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ का स्थान 6 है और उसमें 6 में सिर्फ 1 डॉक्टर है और 01 डॉक्टर में वो भी जो मातृत्व छुट्टी मिलती है, उसमें छुट्टी में चली गयी है। अध्यक्ष महोदय जी, उसके साथ ही निश्चेतना के जो विशेषज्ञ होते हैं, वे एक भी नहीं हैं। जबकि वहां पर 4 सर्जन हैं। साथ ही पैथालॉजिस्ट नहीं है। मनोरोग विशेषज्ञ नहीं है। इतने रिक्त पद हैं और जिला अस्पताल है वहां हर क्षेत्र के चाहे डौंडी की बात करूं, पूरे वनांचल क्षेत्र से वहां इलाज के लिए आते हैं। इस रिक्त पद में अगर कोई भी डॉक्टर आते हैं तो उसमें वह डॉक्टर सिर्फ 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने बस रहते हैं। उसके बाद वे किसी न किसी कारणवश छुट्टी में चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी मांग है कि अगर कोई नियुक्ति में आते हैं तो उस नियुक्ति के नियमों में या जो भी आपके अनुसार वहां रहते हैं, वहां पर किस तरीके से आप कार्ययोजना बनायेंगे या उसमें परिवर्तन करेंगे कि वहां कोई भी डॉक्टर आते हैं तो किसी कारण से बाहर न जायें।

अध्यक्ष महोदय :- डॉक्टर कैसे आयेंगे, यह बता दीजिए।

---

[5] † परिशिष्ट "छ:"

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो चिंता की है, वह जायज है और पूरे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो मांग के अनुरूप आपूर्ति के लिए हमारे पास संख्या बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जहां भी विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते हैं, उन्हें 24 अवर में हम लोग एन.एच.एम. से भर्ती कर लेते हैं और उसके टॉपअप एमाउंट के लिए जिला के कलेक्टरों को भी हमने निर्देश दिया है। अगर आपके नॉलेज में कहीं भी ऐसे डॉक्टर दिखते हैं तो मुझे बताइए, मैं 24 अवर में उनकी नियुक्ति करा दूंगा, यह सदन में घोषणा कर रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, यह जिला चिकित्सालय है। यहां पर कम से कम स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और जो ऑपरेशन करते हैं, डिलीवरी केस आता है, वह रात को आता है और वहां रात को रेफर किया जाता है , वहां डिलवरी केस वालों की मृत्यु भी हो चुकी है । मेरा निवेदन है कि या तो नियमों में परिवर्तन किया जाए । क्योंकि होता यह है कि वहां नियुक्ति होती है, डॉक्टर आते हैं लेकिन वे डॉक्टर किसी न किसी छुट्टी पर चले जाते हैं । यह आज की समस्या नहीं है बरसों की समस्या है, यह केवल संजारी बालोद की समस्या नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूं । यहां डॉक्टर आते जरूर हैं और अपना प्रायवेट क्लिनिक खोलकर वहां इलाज करते हैं लेकिन जिला चिकित्सालय में नहीं बैठते हैं । उसके लिए नियमों में कुछ परिवर्तन करेंगे कि 2 साल तक लगातार रहें, या 3 साल तक लगातार रहे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अप्रेल महीने में पी.जी. कम्प्लीट करके बांड डॉक्टर आ रहे हैं, उनमें से महिला और निष्चेतना विशेषज्ञ की नियुक्ति आपके यहां कर देंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धन्यवाद् अध्यक्ष महोदय ।

<u>बलरामपुर जिलान्तर्गत जर्जर एवं भवन-विहिन स्कूल</u>

[स्कूल शिक्षा]

13. (*क्र. 1369) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** दिनांक 31 दिसंबर,2023 की स्थिति में बलरामपुर जिला में कितने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर एवं भवन-विहीन है एवं अहाता विहीन हैं? संपूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश "क" के जर्जर एवं भवन विहीन शालाओं को भवन व अहाता विहीन शालाओं को अहाता कब तक उपलब्ध हो जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निम्नानुसार हैः-

भवन का विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
जर्जर (जीर्णशीर्ण)शालाएं	30	3	0	1
भवन विहीन	20	7	2	0
अहाता विहीन	785	230	24	18

(ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहती हूं और आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि हमारे बलरामपुर जिले में जो स्कूल शिक्षा, माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन जर्जर हैं और कुछ भवनविहीन हैं, कुछ भवन अहाता विहीन हैं । इसके बारे में पूछना चाहूंगी और मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने 33 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बजट में प्रावधान किया है तो हमारे बलरामपुर जिले में भी शिक्षक विहीन स्कूल हैं, यहां भी शिक्षक की जरूरत है और जो स्कूलें भवन विहीन हैं । आज हमारे बलरामपुर जिले के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा प्रश्न करिये, समय कम है ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- किसी किराये के भवन में पढ़ाई कर रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी ये जो स्कूलें भवन विहीन हैं, इनके भवन कब तक बन जाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- इनका प्रश्न बहुत साफ है जर्जर और भवन विहीन स्कूलों के भवनों का निर्माण कब तक कराएंगे । इतना ही पूछ रही हैं ना ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश होगी कि अगले पांच सालों में हम प्राथमिकता के आधार पर जर्जर और भवन विहीन स्कूलों को उनका भवन उपलब्ध करवा दें, यह हमारी कोशिश होगी । मैं इसकी जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहता हूं ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- कुछ स्कूल भवन अहाता विहीन भी हैं । जहां अहाता नहीं बना है वहां पर शाम के समय असामाजिक तत्वों का डेरा जमा रहता है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है ।

अध्यक्ष महोदय :- अहाता सहित बनवाइए । अहाता की भी मांग कर रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, इनका जिला खनिज की दृष्टि से बहुत सक्षम जिला है । मैं तो चाहूंगा कि शासन की तरफ से भी और बाकी लोग भी हमारी ऐसी स्कूलों के लिए सी.एस.आर. मद से और खनिज मद से कार्य करवाएं । क्योंकि लगभग 60 हजार स्कूलें हैं, 60 लाख बच्चे हैं और लम्बे समय से उसकी चिंता नहीं की गई है । इसलिए आने वाले समय में हम एस.एस.आर. मद से, खनिज मद से, स्कूल शिक्षा विभाग के मद से स्कूलों का इस लायक बनाया जाए

कि बच्चे वहां ठीक से बैठकर पढ़ सकें । चाहे वह बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे जर्जर बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे अहाता बनाने की बात हो । हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- पूरे प्रदेश की बात मत करें । कम से कम उद्धेश्वरी जी ने जो पूछा है उनके जिले, उनके विधान सभा क्षेत्र के लिए तो घोषणा कर दीजिए । समय हो गया है, हां बोल दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है, आपने तो केवल अपने क्षेत्र में सड़क बनवा ली, पूरे प्रदेश की चिंता नहीं की ।

श्री भूपेश बघेल :- उनके क्षेत्र के लिए तो घोषणा कर दो भाई । आप पांच साल का आश्वासन दे रहे हो । कम से कम उनके क्षेत्र के लिए तो घोषणा कर दो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमको केवल एक जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की चिंता है ।

श्री भूपेश बघेल :- अरे, अभी तो उद्धेश्वरी जी के क्षेत्र की घोषणा कर दो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसलिए मैंने कहा है कि अगले पांच सालों में ।

श्री भूपेश बघेल :- अभी एक विधान सभा के लिए तो घोषणा कर दीजिए, वो भी आपके पक्ष की हैं, उनके जिले की तो घोषणा कर दो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगले 5 सालों में हम पूरे स्कूलों की बिल्डिंग बन जाए, उनके अहाता बन जाए । जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग रिपेयर हो जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल। आज मैं बहुत कम सूचना लूंगा, क्योंकि आज सभा की कार्रवाई थोड़ी तेजी से करना है। मुझे लगता है कि आप सब सहयोग करेंगे।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय अरूण साव, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है, कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनका निमंत्रण है, वह निमंत्रण देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- वे आएंगे। चलिए। एक-एक मिनट में संक्षिप्त में बोलिए।

पृच्छा

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला-मानपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे औंधी क्षेत्र में जलाशय का पानी छोड़ने के लिए गये थे, वहां एक पत्रकार प्रफुल बोरकर गया और न्यूज का कवर कर रहा था। हम भाजपा के लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं करके उनके साथ मारपीट की गयी। (शेम-शेम की आवाज) थाने में जाने के बाद वहां पर अपना एक कुनबा ले आया। राज 8 बजे 50, 60 लोगों में भारी मारपीट हुई है, उनका अभी एफ.आई.आर. नहीं किया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष जी, बसना विधान सभा क्षेत्र के बीजेपुर प्राथमिक शाला के एक प्रधान पाठक की ड्यूटी किसी निजी संस्थान के द्वारा संचालित भोजन भंडार आयोध्या में लगा दिया गया है और स्कूल खाली हो गया है, 67 दिन की स्पेशल छुट्टी दी गयी है। मैं चाहूंगा कि इस पर भी जो संबंधित अधिकारी आदेश जारी किए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ?

श्रीमती कविता प्राण लहरे (बिलाईगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2024-25 के अनुसार पंचायत विभाग में कुल 17,529 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है परंतु मेरे बिलाईगढ़ विधान सभा में पंचायत विभाग से बहुत कम कार्य मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि मेरे बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न कार्यों का स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जैसे ग्राम नरधा से ग्राम सुकली तक 4 किलोमीटर की दूरी है, जो पूर्णत: कच्ची मार्ग है और

यह मार्ग गिरौधपुरी को जोड़ता है, गिरौधपुरी धाम बाबा गुरू घासीदास जी की तपोभूमि है। यहां छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोग भी माथा टेकने के लिए आते हैं। यह मार्ग मुख्यमंत्री सड़क योजना से स्वीकृत होना अति आवश्यक है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि यह कार्य हो जाए।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका परिषद चांपा के द्वारा 100 एकड़ का रामबांधा तालाब जो जल भराव का क्षेत्र था, उस जलभराव के टाल को पाटकरके सी.सी. रोड का निर्माण कर दिया गया है। यह इसलिए किया गया है कि सामने के जो बिल्डर हैं, उस बिल्डर को लाभ देने के लिए सड़क बनाया गया है। कृपा करके इस पर उचित कार्रवाई करके जांच करने की कृपा करें।

श्री पुरन्दर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की बीमारी बहुत बड़ा आकार ले रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायपुर मेडिकल कॉलेज आता है। उसमें सिकल सेल का कोई विशेषज्ञ नहीं है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- अध्यक्ष महोदय, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के पांगरीखुर्द और पांगरीकला में प्राथमिक शाला है, वहां पर पूर्व में भवन बन चुका है, किचन शेड है, बाउंड्रीवाल है, वहां एक दर्जन संख्या होने के कारण इसको विलोपित करके यथावत पांगरीकला में किया जाए, यह निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां खदानें संचालित की जा रही है। वहां पर खनिज संपदा का उपयोग कर रहे हैं लेकिन हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार न देकर बाहरी राज्य के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जबकि एन.ओ.सी. के समय स्थानीय लोगों को तरह-तरह के सपने दिखाते हैं और एन.ओ.सी. मिलने के बाद जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनको नौकरियां नहीं दी जाती है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। विभागीय मंत्री इस प्रकरण की जांच करायेंगे ताकि वहां के स्थानीय लोगों को उनका हक मिल सके। धन्यवाद।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है कि शिवरीनारायण मेला-महोत्सव में केवल 1 सप्ताह का समय शेष है। लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई है और न ही कोई फण्ड भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। हर्षिता जी।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग को इस बात से अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में एक गांव लछनाटोला है। प्रधान पाठ बनने से उस गांव को 3 किलोमीटर आगे स्थानांतरित कर दिया गया है। वहां पर प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी शिक्षण संस्थाएं लछनाटोला में बनाई गई हैं। लछनाटोला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और वहां पर प्राथमिक शाला के छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि लछनाटोला में एक प्राथिमक स्कूल का निर्माण किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। जनक जी।

श्री जनकराम ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ग्रीष्मकाल शुरू होने वाला है और तेंदूपत्ता की तोड़ाई शुरू होने वाली है और वनोत्पाद संग्रहण का काम शुरू होने वाला है। मैनपुर क्षेत्र टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहां पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा लोगों को वनोत्पाद के संग्रहण और तेंदूपत्ता की तोड़ाई से रोका जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले ग्रीष्मकाल में वनोत्पाद संग्रहण और तेंदूपत्ते की तोड़ाई पर रोक न लगाई जाएं। ताकि वहां के लोग अन्य प्रदेशों में पलायन न करें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। यशोदा जी।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ए सत्र शुरू होहे, तब से मैं देखत आत हो कि ए सदन में हमेशा बुल्डोजर के बात चलथे। मोर खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में भी अवैध कब्जा अऊ चखना दुकान बर बुल्डोजर चले हवे। लेकिन भा.ज.पा. के पार्षद हा अपन निजी जमीन में ओ चखना दुकान ला खोलवा देहे। ओहा चखना दुकान ला अइसे जगह में खोलवा हे, जहां पे स्कूल अऊ आरक्षित केन्द्र हें। वहां के स्कूल के शिक्षक मन ऊपर दबाव डारे गेहे कि अगर आप मन कोई शिकायत करहूं तो आप मन के ट्रांसफर करा के दूर में भेज दे जाही। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहत हो कि यदि आप मन में हिम्मत हे तो ओ स्कूल के जगह में खोले गे चखना दुकान में बुल्डोजर चला के दिखाइये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। जांगड़े जी।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन हे कि सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तेंदूडहर में 15 साल से बंद पुराना प्राथमिक शाला ला खोलना बहुत जरूरी है। ऊंहा लइका मन ला जाए-आय में बहुत दिक्कत होथे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। सिन्हा जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 60-70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के फिंगर प्रिंट नहीं आते हैं तो वह राशन कार्ड, आधार कार्ड और पेंशन कार्ड बनवाने के लिए घूम

रहे हैं। मेरे क्षेत्र में माहुद के 85 वर्षीय सियाराम कुर्रे और उनके जैसे बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग हैं तो उसमें कुछ नियम परिवर्तन करके उनको दिलाया जाए।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि धमतरी जिले में रेत के खदान स्वीकृत नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर रेत के भण्डारण का कार्य हो रहा है। वहां से दूसरे राज्य महाराष्ट्र से प्रतिदिन करीब-करीब 100 गाड़ियां निकलती हैं, जिससे वहां के रोड भी खराब हो रहे हैं और रेत का भण्डारण कहां और कैसे हो रहा है, मैं मंत्री जी से इसकी जानकारी चाहती हूं।

श्री बालेश्वर साहू (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में 1 फरवरी तक खाद्य का भण्डारण करना था। किसानों को खेती करने की सुविधा देने और खाद्य भण्डारण के लिए R.O.V.D. काटना था। लेकिन आज दिनांक तक उसको नहीं काटा गया है और भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि इसको 1 फरवरी से किया जाना रहता है लेकिन आज 16 तारीख हो चुका है। दूसरी बात, समिति द्वारा की गई धान खरीदी का 72 घण्टे के अंदर उठाव करना होता है, आज 16-17 तारीख होने को है लेकिन अभी भी उन समितियों में कहीं पर 20 हजार तो कहीं पर 25 हजार टन धान स्टॉक में है। धान उठाव के लिए समिति में जीरो सॉर्टेज हो जाए तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसमें धान के तत्काल उठाव के लिए दिशा-निर्देश और आदेश जारी हों।

<u>दिनांक 19.2.24 की बैठक नहीं रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव</u>

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात का आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17 एवं 18 तारीख को दिल्ली में है और हमारा सत्र 19 फरवरी के लिए भी नियत किया गया है। आपसे आग्रह है कि 19 तारीख के लिए भी आप सदन स्थगित करके 20 तारीख को अगले सप्ताह सत्र की कार्यवाही प्रारंभ हो तो उचित होगा । सभी माननीय सदस्य दिल्ली जाने वाले हैं तो उनको सुविधा होगी तो आप उसको 17 एवं 18 तारीख की छुट्टी के साथ 19 तारीख की छुट्टी बढ़ा दीजिए और 20 तारीख से अगली बैठक आहूत करें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन का अवकाश है, वैसे ही शनिवार, रविवार है । सोमवार को तो वैसे ही आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि ट्रेजरी बेंच का यह आग्रह है तो इसमें आसंदी से यही व्यवस्था चाहूंगा कि एक दिन अवकाश दे रहे हैं तो सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा देना चाहिए । जैसे सत्र 1 मार्च को समाप्त हो रहा है तो उसे 2 मार्च तक बढ़ा दिया जाये, यदि ऐसा हो तो मैं समझता हूं कि उचित है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा की सबसे खुबसूरती यही रही है कि हम लोग परस्पर सहमति से सत्र के दिन आगे-पीछे कर लेते थे तो 19 तारीख का प्रस्ताव बृजमोहन जी ने रखा है, उसको आप स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अजय जी, यह तो अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर संसदीय कार्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष को बुलाकर बात कर लेते । यह तो सदन में बात करने की जरूरत ही नहीं थी । वहीं बात कर लेते, उसके बाद डिक्लियर कर लेते, लेकिन सदन में चर्चा हो रही है.

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- मेरी बात से सहमत हैं तो ठीक है, पूरा सदन सहमत होना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सहमत हूं, बाकी आसंदी के ऊपर है ।

श्री भूपेश बघेल :- अब आसंदी से यही आग्रह है कि एक दिन के लिए कटौती कर रहे हैं तो अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 19 तारीख की प्रश्न सूची को 2 मार्च को ले लें ।

अध्यक्ष महोदय :- दिनांक 19.2.24 की बैठक नहीं रखे जाने के संबंध में संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव दिया गया है । मैं समझता हूं कि आप सभी इससे सहमत हैं और 19 तारीख को बैठक नहीं होगी ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

समय :
12:12 बजे

<u>नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्रीमती गोमती साय
2. श्रीमती चातुरी नंद

समय :
12.13 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) मनियारी एवं पथरिया बैराज परियोजना का निर्माण कार्य बंद किया जाना.</u>

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- बिलासपुर/मुंगेली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा की वृद्धि के लिए मनियारी व पथरिया बैराज परियोजनाएं प्रारंभ हुई थीं, जिससे हजारों एकड़ में सिंचाई की सुविधा होती, किन्तु विभाग द्वारा दोनों

बैराजों का कार्य बंद कर दिया गया । साथ ही इसमें जिन ग्रामीणों की भूमि अर्जित की गई, उनमें से 50 प्रतिशत लोगों को आज पर्यन्त मुआवजा नहीं दिया गया है । ग्रामीणों को मुआवजा राशि नहीं दिए जाने से उन्हें रोजी-रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है । कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से हजारों एकड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है । इन परिस्थितियों के कारण क्षेत्र के लोगों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

जल संसाधन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिले में सिंचाई सुविधा में वृद्धि के लिए मनियारी बैराज की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 13.7.2007 को राशि रूपये 1921.87 लाख तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 15.4.2001 को राशि रूपये 4375.31 लाख प्रदान की गई है एवं पथरिया बैराज योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12.3.2012 को राशि रूपये 3486.20 प्रदान की गई है । मनियारी बैराज योजना वर्ष 2008 से एवं पथरिया बैराज योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ है । दोनों योजना का शीर्ष कार्य पूर्ण है तथा नहर कार्य में 77 प्रतिशत एवं 46 प्रतिशत पूर्ण है । उक्त दोनों योजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले निजी भूमि के रकबे में वृद्धि एवं शासन के मुआवजा राशि के दर में वृद्धि होने के कारण मनियारी एवं पथरिया बैराज योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि क्रमश: रूपए 12596.78 लाख एवं रूपए 19118.60 लाख शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है । उक्त दोनों योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना के बचे शेष कार्य को प्रारंभ कर ...।

अध्यक्ष महोदय :-माननीय मंत्री जी राशि 12 करोड़ है या 125 करोड़ है ?

श्री केदार कश्यप :- 125 करोड़ है।

अध्यक्ष महोदय :- तो उसको 125 करोड़ पढ़िये। आपने 12 करोड़ रूपये पढ़ा है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 125.96 करोड़ है, ये है। ठीक है, आगे बढ़िये।

श्री केदार कश्यप :- उक्त दोनों योजना की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना के शेष बचे कार्य को प्रारंभ कर पूर्ण किया जा सकेगा। वर्तमान में दोनों योजना में कार्य पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में रोका गया है। मनिहारी बैराज योजना के निर्माण में 15 ग्रामों के 320 प्रभावित कृषकों की रकबा 68.387 हैक्टेयर राशि 20.56 करोड़ का अवार्ड पारित किया गया है इसमें से 277 कृषकों को राशि 18.88 करोड़ का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। 43 कृषकों का मुआवजा भुगतान शेष है। इसके अलावा योजना के डूबान क्षेत्र अन्तर्गत 3 ग्रामों कुकुसुदा, रौनाकांपा एवं सावासाल के 269 कृषकों का रकबा 120.814 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। इसी प्रकार पथरिया बैराज योजना के निर्माण में 3 ग्रामों के कृषकों का रकबा 13.759 हैक्टेयर राशि रूपये 8.29 करोड का अवार्ड पारित किया गया है। इसमें से 59 कृषकों की राशि रूपये 7.86 करोड़ का मुआवजा भुगतान किया गया है। 4 कृषकों का मुआवजा भुगतान शेष है। इसके अलावा योजना के नहर

निर्माण में प्रभावित ग्राम कपुआ के 19 कृषकों का रकबा 3.498 हैकटेयर भूमि भी अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। अत: यह कहना सही नहीं है कि 50 प्रतिशत प्रभावितों को मुआवाजा भुगतान नहीं किया गया है। उक्त दोनों योजना में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि कृषकों के आधिपत्य में है तथा कृषकों के द्वारा काश्तकारी की जा रही है। उक्त दोनों योजना की पुन: पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त होने पर अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का अवार्ड पारित पश्चात कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान करने के उपरांत ही विभाग द्वारा अधिग्रहण किया जायेगा तथा योजना के शेष बचे निर्माण कार्य को पूर्ण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। अत: यह कहना भी सही नहीं है कि प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं देने से रोजीरोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जिन कृषकों की जमीन का अर्जन किया गया है, उन कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है कुछ कृषकों की पारिवारिक विवाद एवं खाता दुरूस्तीकरण ना होने के कारण मुआवजा राशि का भुगतान शेष है। अत: ग्रामीणों को मुआवजा राशि नहीं दिए जाने के कारण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश एवं रोष व्याप्त होने की बात निराधार है।

श्री धरम लाल कौशिक :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में आया है कि दोनों बैराज का कार्य पूर्ण हो गया है। एक नहर का काम 70 प्रतिशत पूर्ण हो गया है और एक का 40 प्रतिशत से ऊपर का काम पूर्ण हो गया है और उसके बाद लगभग कार्य बंद हो गया है। अब इसमें किसानों को मुआवजा देने की बात है, यह प्रक्रियाधीन है। मतलब आपकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए है। माननीय मंत्री जी, ये दोनों बैराज के बनने से लगभग 10 हजार एकड़ खेतों की सिंचाई होगी। जो पथरिया नगर पंचायत है, उसके लिए भी वहां से जल आपूर्ति की जायेगी। बहुत बड़ी योजना नहीं है, छोटी-छोटी योजना है और इसमें बहुत बड़ी राशि नहीं लगनी है। यह सन् 2012 में शुरू हुआ, उस समय मैं विधानसभा अध्यक्ष था, दोनों उसी समय का कार्य है। यह आपके मुख्यमंत्रित्व काल का है।

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटा-छोटा प्रश्न कर लीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कब मिल जायेगी ताकि आगे का कार्य प्रारंभ हो और जो प्रभावित किसानों जिनकी संख्या 43 है, जिनको मुआवजा नहीं मिला है.....।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है । बता दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जब यह योजना वर्ष 2007 और 2012 में प्रारंभ हुआ था, तब आपके नेतृत्व में काम चालू हुआ था । लेकिन उसके पश्चात् 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, जो आपको तथाकथित किसान पुत्र कहते थे । अध्यक्ष महोदय, मैं जब इसकी पूरी जानकारी ले रहा था, पिछली सरकार ने 5 वर्षों में, जो किसानों के हित में बड़ी-बड़ी बातें करती थी, अध्यक्ष महोदय एक रूपया का प्रावधान नहीं किया गया है । ये लोग हमारे किसानों को भ्रमित करने का काम करते थे । अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक कोसाटेरा परियोजना थी, आपके नेतृत्व में जिसे हमने

30 साल में पूरा कराया था, जो योजना आज तक चल रही है, उसकी लागत बढ़ना स्वाभाविक है । इसकी लागत बढ़ी है और इसमें 10 हजार हेक्टेअर की सिंचाई होना है । जो लोग कहते थे कि हम लोग किसानों के हित में काम करने वाले हैं, हम किसानों के लिये निर्णय लेते हैं, हमारे लोगों को इन्होंने एक-एक बूंद पानी के लिये तरसाया है । योजना के लिये एक रूपये नहीं रखा है, आज उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है । पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे थे, वित्त मंत्री जी बैठे थे, मैं चाहता था कि वह थोड़ी देर बैठते तो हम बताते कि उन्होंने कितना पैसा इसके लिये रखा था ? उनको यह मालूम था कि इसमें सुनना पड़ेगा, इसलिये वह चले गये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूँ कि इस पर हम जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- और कोई प्रश्न ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी भी बैठे हुये हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ । जब बैराज का काम पूर्ण हो गया है, 70 परशेंट कार्य आपके पूर्ण हो गये हैं, 30 परशेंट बाकी है । आप 30 परशेंट को पूरा करेंगे तो उसमें किसानों को बड़ी सिंचाई की सुविधा मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- कब तक करेंगे, पूछ लो ना ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी भी बैठे हुये हैं, मैं इसमें चाहूंगा कि सहमति बनाकर, बातचीत करके, किसानों के हक में फैसला हो । क्या माननीय मंत्री जी इसमें समयावधि बतायेंगे कि मैं किसानों को बता सकूं ? कब तक यह योजना पूर्ण कर लेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समयसीमा बताना संभव नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम इसे बजट में करें और आने वाले समय में वहां के लोगों को जो भू-अर्जन का कार्य है, हमारे यहां दोनों योजना को मिलाकर करीब 700 एकड़ का मुआवजा मिलेगा । इसमें पिछली सरकार ने एक रूपया नहीं दिया है । ये लोग कहते थे कि हम किसानों के लिये योजना बनाते हैं, खेती के लिये योजना बनाते हैं, एक रूपया इसके लिये प्रावधान नहीं किया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुन रहे हो कि नहीं ? खड़े होकर बोलते हो, सुनो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूँ कि इस योजना को जल्द से जल्द प्रशासकीय स्वीकृति कराकर पूर्ण करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- और कुछ बचा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न है । माननीय मंत्री जी, यह योजना उस समय जब हमारी सरकार थी, तब प्रारंभ हुआ था । मैं उस समय विधान सभा अध्यक्ष था, मेरी पीड़ा इसलिये भी है कि जो योजना हम शुरू करें और वह योजना पूर्ण न हो । कांग्रेस की सरकार आने के बाद में इन सारी योजनाओं को तो बंद ही कर दिये हैं । नहीं तो, इसकी लागत कितनी थी ? लागत भी नहीं बढ़ती । चूंकि इसमें लागत बढ़ गई है, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि 70 परशेंट यदि काम पूरे हो गये

हैं तो विलम्ब करने के बजाय आप उसको जितना जल्दी करा लें, यह किसानों के हित में होगा, किसानों का भला होगा, अत: इसमें समय निर्धारित करेंगे तो बेहतर होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इसमें सहमत हूँ । मंत्री जी, जिन कामों में खासकर सिंचाई के विषय में 70 प्रतिशत काम हो चुके हैं, आप क्रम से उन कामों को जहां 70 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं, आपकी प्राथमिकता में आ जाना चाहिये । 30 परशेंट काम से पूरा का पूरा सिंचाई का लाभ मिलेगा । यह क्रम बनाईये कि 70 परशेंट, 50 परशेंट, 20 परशेंट, उस क्रम से यदि आप स्वीकृति देंगे तो ऐसे कामों को स्वीकृति देने में आसानी होगी ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिया है, उस निर्देश का पालन करते हुये हम उसको शत-प्रतिशत पूरा करायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री पुननूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, जो बैराज बना है, मेरे मुंगेली क्षेत्र भी आता है, उसमें 100-100 मीटर के एप्रोच रोड की आवश्यकता है । यह एप्रोच रोड नहीं बनने से आवागमन सुविधा अवरूद्ध है । इसमें मुआवजा भी नहीं है । पहले मुआवजे के प्रकरण को स्वीकृत कराईये, उसके बाद दोनों काम एक साथ हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा। श्री दिलीप लहरिया।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी संबंध में एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- कहां मनियारी का प्रश्न है और कहां आपका प्रश्न है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसी के संबंध में है। मेरा भी ध्यानाकर्षण लगा है, लेकिन अभी आया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- यह ध्यानाकर्षण विशेष रूप से मनियारी और पथरिया बैराज के संबंध में है।

श्री रामकुमार यादव :- सर, मोर प्रश्न भी बैराज के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय :- बैराज शब्द नहीं। मनियारी बैराज और पथरिया बैराज के संबंध में है ? यदि यह दो बैराज से संबंधित प्रश्न है तो मैं समय दूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय, बैराज से ही संबंध जुड़े हे।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आपका प्रश्न इन दोनों बैराज से संबंधित नहीं है। चलिये, दिलीप जी।

(2) मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ओवर लोड ट्रकों में बिना कैप कव्हर किये कोयले की ढुलाई किया जाना।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तुरी) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हिन्डाडीह व गतौरा में कोलवाशरी स्थित है, जहां से

कोयले को ओव्हरलोड ट्रकों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। ट्रकों से ढुलाई होने वाले कोयले पर कैप कव्हर नहीं होता, जिससे रास्ते भर कोयला एवं उसकी धूल उड़ती रहती है। परिवहन किए जा रहे कोयले के आम राहगीरों के ऊपर गिरने की आशंका बनी रहती है तथा गंभीर दुर्घटना की भी संभावना है। उस क्षेत्र में हो रही लगातार ओव्हरलोडिंग से आम जनता त्रस्त है एवं उनमें रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हिण्डाडीह में 01 कोल वाशरी मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड की क्षमता कोल वाशरी (वेट टाईप) क्षमता-3.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष, तथा ग्राम गतोरा में मेसर्स क्लीन कोल इंटरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड के कुल 03 कोल वाशरी जिनकी कुल क्षमता- 4.42 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इन कोल वाशरियों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सशर्त सम्मति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा इन उद्योगों को जारी की गई सम्मति में कोयले का परिवहन संरक्षण मण्डल द्वारा इन उद्योगों को जारी किये जाने की शर्त दी गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों में कुल 11 उद्योगों के 57 ट्रकों पर बिना तारपोलिन से ढके परिवहन करते पाये जाने पर कुल रूपये 2,52,500 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। इसके अलावा जिला स्तर संयुक्त दल द्वारा राशि रूपये 4,10,000 शमन शुल्क की वसूली की गई है।

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला-बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर द्वारा बिना तिरपाल (कैप कव्हर) ट्रकों के परिवहन करने वाले वाहनों पर दिनांक 01/04/2023 से 07/02/2024 तक कुल 2736 वाहनों से 40,38,600/- रूपये एवं ई-चालान 13 वाहनों 13,900/- रूपये ऑनलाईन शमन शुल्क कुल 2749 वाहनों से 40,52,500/- रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया है तथा ओव्हरलोड 56 वाहनों से 8,65,500/- रूपये शमन शुल्क चालानी कार्यवाही की गयी है तथा बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के 532 वाहनों से 8,46,400/- रूपये शमन शुल्क चालानी कार्यवाही की गयी है। परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर द्वारा क्षेत्रांतर्गत संचालित सभी मार्गों पर ओव्हरलोड एवं बिना तिरपाल ट्रकों पर जांच एवं सतत् निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। अत: यह कहना सही नहीं है कि क्षेत्र में हो रही लगातार ओव्हर लोडिंग से आम जनता ग्रस्त है। आम जनता में रोष आक्रोश व्याप्त होने जैसी स्थिति नहीं है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि 57 ट्रकों पर बिना तारपोलिन से ढके परिवहन करते पाये जाने पर 2,52,500/- रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की गयी है। यहां पर बिलासपुर से सीपत की ओर और बिलासपुर से गतौरा की ओर चाहे नेता हो, मंत्री हो,

आम जनता हो, जो भी गये हैं। गतौरा जो हमारा सबसे बड़ा गांव है, बिलासपुर संभाग में कहना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्राम पंचायत ग्राम गतौरा है। जहां से रेल की 4 लाईन भी गई। जहां के रेल लाईन से यदि रेल जा रही है तो वहां के जो आम लोग बैठे रहते हैं उनका भी कहना है कि हम किसी कोयले खदान में आ गये। वहां इस तरह की गतिविधि है। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में जितने भी कोलवाशरी हैं चाहे वह जयराम नगर में हो, गतौरा ग्राम में हो, ग्राम हिंडाडीह में हो, इन सभी जगहों की स्थिति गंभीर है। यहां लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और वहां आम जनता परेशान हैं। हम दौरे में अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो हमसे दूसरे गांव वाले कहते हैं कि आप इतने जल्दी काले कैसे हो गए? वहां आप एक दौरा करके देखिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपका तो प्राकृतिक रंग है। यह कोयले से नहीं है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ज्यादा हो जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कहीं गांव को शिफ्ट करिये या कोलवाशरी को शिफ्ट करिये। मैं आपसे एक निवेदन भी चाह रहा हूँ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में नयी जनसुनवाई हो रही है। मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में सीधे-सादे, सरल-सहज लोग निवासरत हैं। यह मनुष्य जीवन मुश्किल से मिलता है और वहां के लोग बीमारी से त्रस्त हो रहे हैं और उनकी बीमारी से मृत्यु हो रही है और वहां ट्रकों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, मैं इसमें व्यवस्था चाहूंगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले मैंने पूरे डिटेल में बताया। लगभग-लगभग सारे वाहन मिलाकर, साढ़े 3 हजार से ज्यादा वाहनों पर कार्यवाही की गई है। अगर हम टोटल देखें तो 64 लाख 39 हजार 900 रूपये का फाईन किया गया है। मैं इनमें से बताना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने में हमारी पार्टी श्री विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद, हमने विशेष रूप से इन कार्यवाहियों पर जोर दिया है, जो भी गलत कर रहा है, उस पर कार्यवाही की जा रही है और उन पर हैवी पैनाल्टी भी की गई है । इसमें अभी भी लगभग 64 लाख 39 हजार 900 रूपये की पैनाल्टी दिख रही है। हम इसमें लगातार कार्यवाही करेंगे । मैं आपके माध्यम से सदन को और सम्माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस पर हमने लगातार कार्यवाही की है और अगर कोई भी गलत करेगा तो आगे भी कार्यवाही करेंगे। हमारा विभाग इस पर सख्त होकर काम करेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाह रहा हूँ कि जो कोलवाशरी है, उसका विस्तार न हो, क्या आप सदन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वहां लगातार विस्तार हो रहा है,

वह घनी आबादी वाली जगह है। आप वहां पर्यावरण का देख लीजिए और इस पर एक कमेटी बनाकर, जांच करा लीजिए कि वहां का एक भी पर्यावरण सही नहीं होगा। हमारे क्षेत्र में जितने भी कोलवाशरी हैं, जो आप शर्त रखेंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। हमारे क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी कोई भी रख-रखाव नहीं है। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि पर्यावरण संबंधी जो गाईड लाईन है, उसके हिसाब से चलें?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय ओ.पी. चौधरी जी, यह मामला गंभीर है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि माननीय ओ.पी. चौधरी जी पर्यावरण मंत्री बन गये हैं। उनको यह एहसास तब होगा जब ओव्हर लोड ट्रक, कोयला, रेत और धूल ले जा रहा है यह पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। जब तक आप सख्ती के साथ कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक इसका निराकरण नहीं होगा। इसलिए माननीय विधायक ने ध्यानाकर्षण उठाया है और इन्होंने काफी गंभीर प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस प्रदेश में सरकार बदली है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें हम लगातार कार्यवाही करेंगे और सख्त होकर कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो बातें हैं वह यह है कि यहां कुल 3 कोलवाशरी हैं यह सन् 1974 के वायु निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सशर्त इन्हें अनुमति प्रदान की गई है तो वह क्या इन दोनों नियमों का पालन कर रहे हैं ? दूसरा माननीय सदस्य का जो प्रश्न था कि अगर यह सशर्त नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो सरकार के द्वारा, आपके द्वारा जो उनको अनुमति दी गई है तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जायेगी ? तीसरा पिछले 02 महीने का आपने पूरा डेटा दिया है कि तिरपाल नहीं लगने के कारण कितनी गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हुई। कृपया यह बता दीजिए कि पिछले 02 महीने में कितनी कार्रवाई हुई हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी, आप भी प्रश्न पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी, एक साथ जवाब दे दीजियेगा। आप छोटा-छोटा प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बता देता हूं। अभी यह स्थिति है कि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि यह कोयला की dumping के लिये प्वाईन्ट बनाये हैं। गांव के पार करते ही यह लोग कहीं भी कोयले की dumping कर रहे हैं। 20, 22 चक्का की गाड़ियां चल रहीं हैं, उसके कारण लगातार दुर्घटनायें हो रही हैं और वहां पर पूरा वातावरण प्रभावित हो रहा है। लेकिन उनको जो अनुमति दी गई है, लगभग हमारे बिल्हा क्षेत्र में, सरगांव से लेकर के धौराभांठा, मोहदा से लेकर के..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न में आ जाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, मेरा यह कहना है कि यह जो उनको अनुमति दिये हैं, एक कोयला डिपो, दो कोयला डिपो के कारण आपकी रोड खराब हो रही हैं। क्योंकि गांव की जो सड़क बनती हैं, उस मापदंड की नहीं हैं कि उसमें 22 चक्के की गाड़ी चले। क्या आप इस पर परीक्षण करायेंगे, रोकथाम लगायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- क्या मोहले जी, इसी में प्रश्न करने के लिए कुछ हाथ उठा रहे थे ?

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरानी रोड हैं और उन रोडों में 22 चक्के वाली गाड़ी चलेगी, किसी भी रोड की क्षमता मात्र 10 टन की होती है, उससे ज्यादा की नहीं है। ऐसे में 15-20 टन की या उससे ज्यादा 50 टन तक की ओवरलोडिंग करके गाड़ियां भेजते हैं, इसके कारण से पूरी रोड जर्जर हो गई हैं, चाहे वह नई रोड क्यों न हो। क्या ठेकेदार से वसूली करके ऐसी रोडों को बनायेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्यों की चिंता से निश्चित रूप से वाकिफ हुआ हूं। इस संबंध में मैंने कुछ दिन पहले स्वयं कलेक्टर से व्यक्तिगत रूप से भी बात की थी, इस ध्यानाकर्षण का कोई सीन नहीं था, तब भी मैंने बात की थी। इस तरह की जो भी गाड़ियां हैं, उन पर स्ट्रीक्ट हो करके कार्रवाई करें। सम्माननीय सदस्य उमेश पटेल जी ने जानना चाहा है कि पिछले 02 महीने में कितनी कार्रवाई हुई है, मैं इनको इसका 02 महीने का biefurcation अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप दोनों पड़ोसी हैं, अभी जानकारी उपलब्ध करा दीजियेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें वही है कि यह दोनों अधिनियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ? अगर अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी ?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अंतिम प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अभी प्रश्न करने के लिए बचे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- जी, मेरा अंतिम प्रश्न है। आपके ही तो सब प्रश्न कर रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है कि क्या ठेकेदार से वसूली करके नई रोड बनायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका और छोटा सा प्रश्न बचा है तो आप बता दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार सरीखे सिर्फ नोटिस नहीं दी जा रही है।

श्री उमेश पटेल :- यह पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है, यह राजनीतिक मामला नहीं है। प्रदूषण से हम सब प्रभावित हैं। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं और अध्यक्ष महोदय भी जानते हैं। आप इसमें राजनीति मत लाईये न।

श्री धर्मजीत सिंह :- इससे ज्यादा पीड़ित, प्रताडित हम लोग हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, दूसरी बात कह रहा हूं। आप थोड़ा सुनिये तो, धैर्य तो रखिये। पिछली सरकार में बडे-बड़े उद्योगों को नोटिसें जरूरी दी जाती थीं। उसके आगे क्या कार्रवाई होती थी, वह पता नहीं चलता था। यही कारण है कि ओ.पी. चौधरी साहब कार्रवाई कर रहे हैं, एक दो कार्रवाई में तो वह मेरे सामने में फोन किये हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। ओ.पौ. चौधरी साहब, मैं तो बोल रहा हूं कि आप कड़क कार्रवाई करिये। हमको किसी उद्योग से हमदर्दी नहीं है, क्योंकि प्रदूषण फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सुझाव आ गया। बिल्कुल ठीक है। आप एक आखिरी प्रश्न करके समापन करिये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न है। इसी से संबंधित एन.टी.पी.सी. भी वहां है, राखड़ की भी ओवरलोडिंग का मामला है, पूरा धुंआ-धुंआ है। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से यह चाह रहे हैं कि वहां जो सी.एस.आर. का मद है, वह भी कहीं कुछ व्यवस्था नहीं होती है। यह एक नीतिगत नहीं होता है, आपकी तरफ से मापदंड कुछ नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों की जो नौकरी वाला मामला है, उसका भी कोई मापदंड नहीं है। यदि 100 व्यक्ति क्षेत्र से हैं तो 500 व्यक्ति बिहार, यू.पी. से हैं। इसके लिए एक निश्चित मापदंड निर्धारित कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी, बता दीजिए।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है दो अधिनियम हैं, जिसके तहत यह अनुमति दी जाती है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाती है, इसके अनुसार जो भी वायलेशन किया गया, इस पर भी हम पूरा दिखवा लेंगे और जो भी वायलेशन मिलेगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा। ठीक है । हो गया। और कुछ बोलना है तो बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। ओव्हरलोडिंग के चक्कर में रोड भी जर्जर हो चुका है। यह समस्या हमारे जिले और इनके जिले का भी है।

अध्यक्ष महोदय :- यह सिर्फ आपके जिले की ही नहीं, यह पूरे प्रदेश की समस्या है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- और मंत्री जी पूरा जवाब दे रहे हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, ओव्हर लोडिंग का जो भी केस रहेगा, जहां पर जानकारी मिलेगी, शिकायत मिलेगी, 100 प्रतिशत हम लोग वहां पर कार्रवाई करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- ओव्हर लोडिंग के कारण रोड जर्जर हो चुके हैं। सड़कें पूरी खराब हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी, जो रोड़ खराब हो गई है, उसको कौन बनायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री ओ.पी. चौधीर :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग कठोरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित केरेंगे।

समय :

12:41 बजे

<u>वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा</u>

मांग संख्या	**3**	**पुलिस**
मांग संख्या	**4**	**गृह विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**5**	**जेल**
मांग संख्या	**30**	**पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्याय**
मांग संख्या	**80**	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**
मांग संख्या	**46**	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**
मांग संख्या	**47**	**तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग**

उप मुख्यमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 3 **पुलिस के लिए** - सात हजार चार सौ छत्तीस करोड़, तिहत्तर लाख, तीस हजार रूपये,

मांग संख्या 4 **गृह विभाग से संबंधित व्यय के लिए** - एक सौ इकतीस करोड़, सड़सठ लाख, सताईस हजार रूपये,

मांग संख्या 5 **जेल के लिए** - दौ सौ अड़तीस करोड़, पचहत्तर लाख, सत्तानवे हजार रूपये,

मांग संख्या 30 **पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिए** - सात हजार सात सौ बयासी करोड़, सत्रह लाख, इकतीस हजार रूपये,

मांग संख्या 80 **त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए** - चार हजार छिहत्तर करोड़, बासठ लाख, तेईस हजार रूपये,

मांग संख्या 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए - साठ करोड़, बीस लाख तथा

मांग संख्या 47 तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए - चार सौ तैंतीस करोड़, उन्नीस लाख, सत्ताईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रसताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-3

<u>पुलिस</u>

1.	श्री लखेश्वर बघेल	2
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
3.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2

मांग संख्या-4

<u>गृह विभाग से संबंधित व्यय</u>

1.	श्री लखेश्वर बघेल	2
2.	श्रीमती संगीता सिन्हा	1
3.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1
4.	श्रीमती अंबिका मरकाम	1
5.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
6.	श्रीमती चातुरी नंद	1
7.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	1

मांग संख्या-30

<u>पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय</u>

1.	श्री लखेश्वर बघेल	2

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2.	श्री भोलाराम साहू	3
3.	श्री दिलीप लहरिया	46
4.	श्रीमती संगीता सिन्हा	3
5.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1
6.	श्रीमती अंबिका मरकाम	2
7.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी	35
8.	श्रीमती शेषराज हरवंश	5
9.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1
10.	श्री ब्यास कश्यप	1
11.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	4
12.	श्रीमती चातुरी नंद	4

मांग संख्या-80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1

मांग संख्या-47

तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

1.	श्री लखेश्वर बघेल	3
2.	श्री दिलीप लहरिया	1
3.	श्री द्वारिकाधीश यादव	2
4.	श्रीमती संगीता सिन्हा	1
5.	श्रीमती अंबिका मरकाम	1
6.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
7.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2
8.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	1
9.	श्रीमती चातुरी नंद	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री कवासी लखमा जी।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज गृह विभाग, जेल तथा पंचायत विभाग के बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आपके माध्यम से यह बजट देने से जनता को कोई फायदा नहीं है इसलिये इसका विरोध करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले गृह विभाग में जब से विष्णु देव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी । भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े हाईकमान ने हमारे नौजवान विधायक को आशा और भरोसे के साथ गृहमंत्री बनाया । नये विधायक थे, नौजवान थे । चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संकट नक्सलाईट का है । पिछले 5 सालों में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हमने पूरी कोशिश की थी । पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां सलवा-जुडूम चला । वहां हजारों ग्राम जल गये, हजारों लोग बेरोजगार हो गये, 700 ग्राम खाली हो गये । पूरे बस्तर संभाग के जहां-जहां नक्सलाईट प्रभावित क्षेत्र है वे लोग तेलंगाना-आंध्रा में जाकर, अपनी जमीन, अपने रिश्तेदार, सबको छोड़कर भागे । जब वे वहां को छोड़कर भागे तो सलवा जुडूम को बंद करने के लिये लगातार वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने विरोध किया । सलवा-जुडूम रोकने के बाद अभी हमारी सरकार आयी । हमने कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को, तहसीलदारों को, पंचायतकर्मियों को, वहां के आदिवासी लोगों ने जिन्होंने पलायन किया चूंकि हर जिले से हम लोगों ने अधिकारियों को भेजा था । प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने ही उन लोगों को भेजा था ताकि वहां के आदिवासी लोगों को जो तेलंगाना में निवास कर रहे हैं, आंध्रप्रदेश में रह रहे हैं लेकिन वहां उनका जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा है । बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन जाति नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत है । हमारे यहां पर माड़िया, मुरिया, गोंड़, धोर्रा लिखने से बस्तर में जाति प्रमाण-पत्र बनता है । आंध्र और तेलंगाना में अलग है । कोया लिखेगा तो जाति बनेगा, धोर्रा लिखेगा तो जाति बनेग, गोंड़-मुरिया लिखने से नहीं बनेगा । उसके कारण वे लोग बहुत परेशान हैं । हम लोगों ने लाने की कोशिश की लेकिन उन लोग अभी भी डरे हुए हैं । हम लोग जब तक बस्तर में शांति नहीं हो ।

समय :

12.47 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, यह बताईए तो कि बस्तर में क्या अशांति है ? कौन लोग अशांति कर रहे हैं, क्या अशांति कर रहे हैं उसमें बोलिए न ।

श्री कवासी लखमा :- बस्तर के लोग रोज मर रहे हैं तो क्या आपको अच्छा लग रहा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं यह पूछ रहा हूं कि वहां क्यों अशांति है ?

श्री कवासी लखमा :- वहां के लोग रोज मर रहे हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप यह बताईये न कि वहां क्यों अशांति है ?

श्री कवासी लखमा :- वहां के लोगों को तो मजा आता हैं न, क्या रोज आदिवासी लोग मरें ?

श्री अजय चंद्राकर :- अशांति क्यों हैं यह तो बताईये न ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, रोज नक्सलाईट घटना हो रही है । आज कैम्प में आक्रमण हुआ है तो अशांति तो रहेगी ही । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, वहां के लोग अपनी जमीन-बाड़ी छोड़कर भाग रहे हैं । क्या आपको अच्छा लग रहा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा-बुरा का सवाल नहीं है । आप यह बताईये न कि अशांति क्यों है, किसके कारण है ?

श्री कवासी लखमा :- दुनिया जानती है कि किसके कारण अशांति है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, अगर कहीं नक्सलाईट घटना हो रही है तो अशांति तो रहेगी ही । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप बताईये न, हम दुनिया को नहीं मानते ।(व्यवधान) आप बताईये कि क्यों अशांति है और किसलिये है ?

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिए। लखमा जी, आप बोलिए।

श्री कवासी लखमा :- चन्द्राकर जी को कुछ आता नहीं है। ये मजाक करते रहते हैं। सभापति जी, वहां के लोगों को लाने के लिए गये, वे लोग आये नहीं। अभी नया-नया हम लोगों के 5 साल में सिलगेर में एक घटना हुई। सिलगेर में हमारे जवान लोगों के साथ घटना हुई थी। चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, सबको दुख है कि आदिवासी नौजवान मरे हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास करके देखा कि कैसे मरा? क्या हुआ? जांच किये। सब करके देखने के बाद भी उस परिवार को नौकरी देने के लिए, उस परिवार को पैसा देने के लिए बुलाकर लाकर सी.एम. हाउस में बैठक किये। उन्होंने अभी तक पैसा नहीं लिया। उस पुलिस वाले को जेल भेजेंगे तब ही हम लोग नौकरी लेंगे। लेकिन आज उसके बाद जैसे ही सरकार बदली थोड़ा शांत हुए थे, आपके जगरगुंडा रोड, आपके जगदलपुर से कोंटा रोड पिछले 5 साल, 10 साल में एक भी दिन गाड़ी नहीं जली। जैसे ही सरकार बदली एर्राबोर में आपके कोंटा में गाड़ी जल गयी, अभी रोड में फिर खुदाई चालू हो गई। तो सबसे पहले बस्तर में और छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा मुद्दा और कोई नहीं होगा। एक आदमी भूखे रहेगा या नहीं रहेगा तो चलेगा। खेती नहीं रहेगा तो चलेगा। नरेन्द्र मोदी साहब चावल फ्री दे रहें, खाके कोई मरेगा नहीं, लेकिन बस्तर का प्रलाप वहां के बड़े आदमी हो, वहां के सरपंच हो, वहां के गौटिया हो, वहां नहीं रह पा रहे हैं। कल उप मुख्यमंत्री सदन में घोषणा कर रहे थे, उसका मैंने कल भी समर्थन किया। साहब, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में रहते हैं। कभी नींद

नहीं आती है। कभी एक रात आ गये तो कहां बम फूटेगा? रोज बम फूटते रहता है। तो इसलिए इस छत्तीसगढ़ में राजनीति से ऊपर उठकर ये अजय चन्द्राकर जैसे लोगों को छोड़कर अच्छे लोग मिलकर हम लोग इस सदन में सभापति जी, उस समय आप नहीं थे। महेन्द्र कर्मा जी प्रतिपक्ष नेता थे। कॉरीडोर मीटिंग हुई। अधिकारी थे। नये पत्रकार थे। रात भर मीटिंग हुई। उस समय भी हम लोगों ने भाग लिया था। हम लोग सरकार में नहीं थे, लेकिन उधर से प्रस्ताव आया कि कॉरीडोर बैठक होनी चाहिए। इस पर रात भर चर्चा होनी चाहिए। रात भर चर्चा किये। सुबह 4 बजे, 5 बजे तक सोये ही नहीं। नक्सलाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सब लोग बात किये, बात करने के बाद वह कागज किधर गया, उसका क्या हुआ? उसका लाभ बस्तर के लोगों को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिला। वह कागज किधर गया? क्या हुआ? हम लोग रात भर बैठे थे। उसके बाद अभी सरकार आयी तो फिर बाजार, हाट बाजार, रोडों में कटाई शुरू हो रही है। सिर्फ नये-नये गृह मंत्री बने और बोल दिया कि नक्सलियों से अब बात करूंगा या मार दूंगा। सभापति जी, ये बोलने से नहीं होगा। आंध्रप्रदेश में नक्सलाइट थे। हम लोगों ने तेलंगाना में देखा है। एक दिन बोलने से पूरा तेलंगाना बंद होता था, हैदराबाद बंद होता था। वहां के नक्सलाइट को अगर किसी ने कम किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार वाईएस रेड्डी ने किया। जैसा मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र लिखा था। चन्द्रबाबू नायडू की सरकार थी। उन्होंने प्रतिबंध लगाया था तो कांग्रेस पार्टी के वाईएस रेड्डी जो प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने बोला कि अगर मेरी सरकार आयेगी तो ये प्रतिबंध हटा दूंगा। प्रतिबंध किसी के ऊपर नहीं होगा। जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले दस्तखत किया कि प्रतिबंध खत्म। पहली शपथ में किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बोला राजीव गांधी पदयात्रा, जहां नक्सलाइट थे, वहां वह हेलीकॉप्टर में उतरते थे। एक आई.ए.एस. अधिकारी रहता था, एक कम्प्यूटर रखता था। उस गांव में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल घूमते थे। वहां के लोगों को पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? कौन-कौन इधर बड़े लीडर हैं? क्या नाम है? पूरा कम्प्यूटर में फिट किया। 6 महीने घूमे, 6 महीने के बाद बोले कि नक्सलाइट बंदूक छोड़ो नहीं तो मैं प्रतिबंध लगाउंगा। हैदराबाद में जाकर बंदूक लेकर ये लोग नाच रहे थे और सी.एम. जंगल में घूम रहा था । प्रतिबंध के बाद तो पुलिस पकड़ेगी नहीं । जैसे यहां बोलते हैं, वैसे ही वहां भी बोल रहे थे शेखर रेड्डी नक्सलाइट से मिला है, हैदराबाद में, वारंगल में, खम्मम में नक्सलाईट नाच रहे थे । 6 महीने के बाद उस कम्प्यूटर में फीड की गई बात को सार्वजनिक किया, तुम लोग सब बंदूक छोड़ो और मुझसे बात करो । उन्होंने कहा बंदूक नहीं छोड़ेंगे । 6 महीने में सबको जहां, जहां वे रहते थे । उधर तो तेलुगु में ही बात होती है । पुलिस को भी यह प्राब्लम है कि वहां नक्सलियों से पूछने पर वे कहते हैं कि हम नक्सलाइट नहीं हैं, वे दूसरी भाषा में बोल देंगे । वहां थोड़ी-थोड़ी दूर में अलग भाषा है । बीजापुर में अलग, अबूझमाड़ में अलग, सुकमा में अलग, जगदलपुर में अलग । वे लोग भाषा की प्राब्लम का फायदा उठाते हैं । राजशेखर रेड्डी ने खत्म किया,

अब वे यहां आकर नाच रहे हैं । मल्कानगिरी के कलेक्टर को उठाए, वहां भी बहुत थे, वहां भी खत्म हो गए । मल्कानगिरी, कोरापुट, वहां भी एमएलए का किडनेप हुआ था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, दादी ।

श्री कवासी लखमा :- तुम चुप रहो यार, तुमको कुछ आता जाता नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और छत्तीसगढ़ की विधान सभा में बोल रहे हो । यह खम्मम, वारंगल, हैदराबाद, वाय.राजशेखर रेड्डी, यह बंद करो । छत्तीसगढ़ की बात करो और छत्तीसगढ़ की विधान सभा में बोल रहे हो ।

श्री कवासी लखमा :- वह भी बता दे रहा हूं । उधर से ही नक्सलाइट आया है तुमको मालूम नहीं है । तुम एकाध दिन सुकमा जाना ना । इसलिए आंध्रप्रदेश में, तेलंगाना में खत्म हुआ है । मेरा कहने का आशय यह है कि वह बॉर्डर एरिया है । वहां से निकल कर आए हैं, वहां खत्म हो सकते हैं तो यहां क्यों नहीं ? इच्छा शक्ति चाहिए । वहां के लोगों ने सोचा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो नक्सलाइट खत्म हो जाएगा । मैं तो नहीं जानता हूं, हमारे गृहमंत्री जी से पूछकर देखो बस्तर के एमएलए लोग आकर गृहमंत्री जी से बोले कि तुम्हे मारेंगे, पीटेंगे । ऐसा नहीं बोलना । नहीं तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा ? अभी तो बंद हुआ है । तुम बोल रहे थे बंद नहीं हुआ है । गृहमंत्री जी से बस्तर के एमएलए लोगों ने जन-प्रतिनिधियों ने कहा है कि ऐसा मत बोलो भाई । तब गृहमंत्री जी चुप हुए हैं । आपको पता ही नहीं चला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [6] [XX]

श्री कवासी लखमा :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री कवासी लखमा :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX]

श्री कवासी लखमा :- [XX]

सभापति महोदय :- आप इधर देखिए लखमा साहब ।

श्री कवासी लखमा :- क्या मिलेगा, [XX]

सभापति महोदय :- अरे, ऐसा नहीं बोलते ।

श्री कवासी लखमा :- मैं एक आदमी हूं । [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं ।

श्री कवासी लखमा :- आशीर्वाद बस्तर वालों को देना ।

श्री दलेश्वर साहू :- चंद्राकर जी, अब ये भड़क गए हैं, आपका बता रहा हूं।

[6] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री कवासी लखमा :- बस्तर वालों को बताओ ना ।

श्रीमती सावित्री मंडावी :- अजय भइया, डिस्टर्ब कर रहे हैं लखमा भइया को ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने बहुत शांति के साथ दो बार सुना, [XX] [7]। इस भाषा में जवाब देना मुझको आता है ।

श्री कवासी लखमा :- दे देना, [XX] ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर मैं बोलूंगा तो वे आदिवासी बन जाएंगे ।

सभापति महोदय :- ये जो भी बातें हुई हैं, इन शब्दों को विलोपित कर दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोलूंगा तो, आदिवासी हूं बोलने लग जाएंगे ।

सभापति महोदय :- कोई नहीं बोलेगा । देखिए, मर्यादा मत खोइए । आपको जो बोलना है भाषण में बोल लीजिए । लखमा जी आप उधर मत देखिए । आप मुझे देखकर बोलिए ।

श्री कवासी लखमा :- ये वरिष्ठ आदमी है, [XX]। इसको क्या हो गया है पता नहीं, हम तो तुमको नहीं बोल रहे हैं भाई । [XX] बोला हूं क्या ।

सभापति महोदय :- आप मुझे देखकर बोलिए, आप मुझे बोलिए ।

श्री कवासी लखमा :- [XX]

सभापति महोदय :- वो सब बातों को मैंने विलोपित कर दिया है ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, जब मध्यप्रदेश था उस समय से शुरू हुए मामले को खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार भी फोर्स भेज रहा है । इस समस्या के खत्म होने से बस्तर के लोग अच्छा जिएंगे, बाजार जाएंगे, छिप छिपकर जी रहे हैं। सरपंच बनते हैं तो वहां रहते नहीं हैं । वहां का विकास नहीं हो रहा है, वहां का चावल उन लोगों को नहीं मिल रहा है ।

समय :

1:00 बजे

उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सरकार उसकी शांति की ओर बढ़े, हम सरकार के साथ हैं, सरकार जब भी बोलेगी हम सुझाव देने की बात करेंगे। हम नक्सलाईड के बारे में बात करेंगे, जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे।

मंत्री जी, आपके पास जेल विभाग है। आपकी सरकार में जेल ब्रेक हुआ था, उसी से ज्यादा बढ़ गये थे। पूरा कैंसर टाईप सा हो गया था, दंतेवाड़ा जेल ब्रेक हुआ। नक्सलाईड भाग गये। कोंटा में रहने वाले लोग, बीजापुर में रहने वाले लोग रायपुर तक पहुंचे थे। हम लोग विधायक कॉलोनी में थे, इसी विधान सभा में कहा गया, बाकी लोगों तक पुस्तक पहुंच गया, हमारे पास नहीं पहुंचा, यहां जाने के बाद घर में पहुंचा था, उसमें हम भी थे। इस टाईप का मामला है। नौजवान गृह मंत्री हैं, डबल इंजन की

[7] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

सरकार है। सबको भरोसा है। पहले हम लोगों को यहां से पैसा नहीं मिलता था, पुलिस नहीं मिलता था, एक झंझट था, अब दोनों डबल इंजन की सरकार है, जो मांगेंगे मिलेगा। गृह मंत्री कोंटा इतनी बार गये, केन्द्रीय गृह मंत्री, कोई गृह मंत्री इतनी बार नहीं गए। उस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। उनका भी मन चाह रहा है कि शांति हो। (मेजों की थपथपाहट) प्रधानमंत्री जी, बीजापुर, दंतेवाड़ा गए हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभी चुनाव के पहले गृह मंत्री जी मेरे विधान सभा में कोटेमपड़ा वगैरह जाकर आए हैं, हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। जेल में लोग बहुत परेशान रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा पुलिस विभाग में बोलना चाहता हूं। मैंने कल भी कहा था कि नेतागिरी में किसी का भाई हो, किसी का परिवार हो, उनका ट्रांसफर हो जाता है। जिनके पास कोई नेता नहीं हैं, आदिवासी है, दूसरे वर्ग का है, गरीब है, पुलिस बन गया है, कोई हवलदार बन रहा है, किसी को 20-20 साल हो रहे हैं, किसी को 15-15 साल हो रहा है, इसमें भी विचार किया जाए। बस्तर में नये-नये नौजवान लोगों को ले जाईए। वे लड़ने में मदद करेंगे, वही पुराने आदमी हैं। बस्तर को देख देखकर बूढ़ा हो गए हैं। अभी कुछ लोगों का चुनाव के पहले ट्रांसफर हो गया था, फिर उन्हीं लोगों का नारायणपुर ट्रांसफर हो गया। दूसरे लोगों को भेजिए ना। इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इन लोगों के पास थाने में क्वॉटर भी नहीं रहता है, कुसूर, गोलापल्ली, जगरगुंडा में थाना है, वहां किराये का घर नहीं मिलता है। वे कैसे-कैसे झिल्ली में रहते हैं, उनको रात भर मच्छर कांटता है। उधर अंधरूनी एरिया है, गोलापल्ली, कुसूर, आवापल्ली, छोटेडोंगर हैं, इन थानों में क्वॉटर होना चाहिए। वे रात भर दौरा करते हैं, उनको दिन में पंखा मिले, नींद आए, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, आपके पास पंचायत विभाग भी है। पंचायत विभाग में अभी कोई काम नहीं है। जब से सरकार आई है, पंचायत विभाग में एक भी काम नहीं है, जो काम था, वह कैंसल हो गया। पूरे बस्तर के लोग, इधर के छत्तीसगढ़ के लोग कैसे हैं, उनको मालूम नहीं है। जहां मालूम नहीं है, वहां बोलना ठीक नहीं है लेकिन बस्तर में पूरे लोग पलायन किए। हर दिन बस में जा रहे हैं, बस्तर के आदिवासी हर दिन तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु बोरिंग गाड़ी में नौजवान जा रहे हैं। वे कभी शिक्षित नहीं हुए, वे जाकर कभी लटक रहा है, कभी मर रहा है, कभी पैर टूट रहा है। हम लोगों को परेशान करते हैं। पलायन हो रहा है, उनको कैसे लाना है। बस्तर में काम नहीं होने के कारण वहां के नौजवान पलायन कर रहा है, इसको भी सरकार को विचार करना चाहिए। उसके साथ-साथ तेलंगाना के लोग टमाटर, बैगन, मिर्ची की खेती करते हैं, यहां पूरे बस्तर के लोग जाकर खेती कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए, यह तेलंगाना से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां भी मिर्च होता है, वहां भी कपास होता है, उन लोगों के लिए ट्यूबवेल लगाकर जमीन में मिर्च लगाएं, यही रोजगार सीखाना चाहिए। आजादी के पहले हमारे बस्तर के लोग बस असम गये थे, भाग गये थे। नौजवान लोग नहीं रहते थे, असम जाते थे। वहां पत्ता तोड़ते हैं उसको हम लोग गोंडी भाषा में कुचड़ी बोलते हैं। हम असम जाकर आने वाले को कुचड़ी

कहते थे और हल्बा में भाजी कहते थे। वर्तमान विधायक और जिलाध्यक्ष किरण देव जी के पिताजी असम घूमने गये तो वह जहां भी देखते थे, वहां बस्तर के लोग रहते थे। ऐसे में तो बस्तर खाली हो जाएगा। तब फिर किसी को बोलकर बस्तर के लोगों के असम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किरण देव जी के पिताजी ने उसपर प्रतिबंध लगवाया है। अब बस्तर के लोग असम नहीं जाते हैं, लेकिन अभी भी अमीर लोगों के बच्चे वहां पर हैं। यदि आपको बस्तर के लोगों के पलायन को रोकना है तो आप वहां पर रोजगार की गारंटी दीजिए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में वहां के लोग काम नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर 50 किलोमीटर में बैंक है। वहां पर नगद पैसे नहीं मिलते हैं। 50 किलोमीटर से लोग पासबुक लेकर बैंक आते हैं तो कभी बैंक में पैसे नहीं रहते हैं तो कभी लाइट नहीं रहती है तो कभी बाबू नहीं रहता है तो कभी अधिकारी नहीं रहता है। इसलिए वहां के लोग महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना में काम नहीं करते हैं। पिछले समय हम लोगों ने बीजापुर, दंतेवाड़ा के हमारे विधायक साथियों से पूछकर भारत सरकार से उसको अनुमति दिलाई थी। इस समय उसपर पूरी तरह प्रतिबंध है। भारत सरकार से अनुमित लेकर ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी रोजगार गांटी योजना का काम, जहां पर बैंक और सड़क नहीं है। दूसरी बात, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस वाले 2-2 साल से खाना खाकर धरना दे रहे हैं। उनके लिए भी आपको सोचने की जरूरत है। जंगल में रहने वाले वह लोग चाहे पानी का समय हो, चाहे धूप का समय हो, हर समय चंदा कर-करके चावल खाकर बैठे रहते हैं। उसका क्या कारण है? यदि आप उनको नहीं उठाएंगे तो वह कब तक वहां पर बैठे रहेंगे? बारिश में वह माचा (झल्ली) लगाकर बैठे रहते हैं। मैंने एक दिन छोटे डोंगर जाकर उनसे मिलकर पूछा कि आप लोग यहां पर क्यों बैठे हैं तो उन्होंने बताया कि वहां पर रोड नहीं बनना है। चावल नहीं खाना है। हम रोड बनने नहीं देंगे और यदि एकाध को उठाएंगे तो रोड बंद कर देंगे। उन्होंने बोला कि हम कल उठेंगे, लेकिन दूसरे दिन जाने पर भी वह नहीं उठे। वह अभी भी वहां पर बैठे हैं। एक गांव के लोगों की 5 दिन तक वहां ड्यूटी लगाई जाती है कि एक गांव वाले 5 दिन तक बैठेंगे। वहां हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है। एक गांव वाले अपने घर से चावल लाकर 5 दिन तक बैठते हैं। फिर दूसरे गांव वाले 5 दिन तक बैठते हैं। वहां अंदर में तालाब बनता है तो उसमें 5-10 दिन तक फ्री में काम करो और पैसे नहीं मिलते हैं। वह लोग वहां पर इतनी तकलीफ में जी रहे हैं। इन लोगों को भी पुलिस विभाग या खुफिया विभाग के माध्यम से। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और हमारे सुकमा में 2-3 स्थान गोंडेरास, गोंदपाड़ा में 4 दिनों से वहां पर लोग बैठे हैं। वह बारी-बारी से वहां पर बैठते हैं। बाहर के लोग आते हैं। आपको इसकी समीक्षा करनी चाहिए। पंचायत विभाग में जो काम बंद है तो उसके लिए हर पंचायत में काम हो। वहां के लोग धान भी नहीं बेचते हैं, जिससे उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। आपके क्षेत्र में 1 एकड़ में 25 क्विंटल धान का उत्पादन होता है लेकिन हमारे क्षेत्र में 10 क्विंटल धान का भी उत्पादन नहीं होता है। इसलिए वहां के आदिवासियों को धान का पैसा भी नहीं मिलता है। बस्तर के लोग तेंदूपत्ता, ईमली, टोरा,

महुआ में जीते हैं। बस्तर के लिए एक भी बांध नहीं, सिंचाई की योजना नहीं है, इसलिए बस्तर में जंगल के माध्यम से जीने वाले लोग रहते हैं। चूंकि चुनाव में बस्तर संभाग में ज्यादातर बी.जे.पी. के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बी.जे.पी. की सरकार है और दिल्ली में भी बी.जे.पी. की सरकार है। यह डबल इंजन सरकार है इसलिए तो जनता ने आपको वोट दिया है कि यदि डबल इंजन होगी तो काम होंगे, पैसे मिलेंगे और रोजगार मिलेगा। अभी महिलाओं को जो वार्षिक 12,000 रूपये मिलने वाला है, वह भी नहीं मिला है। आपकी पार्टी ने घाषणा कि थी कि आप धान को 3,100 में खरीदेंगे। लेकिन किसानों को धान के केवल 2,100 रूपये ही मिले हैं। कुछ लोगों को बहुत आशा थी कि कर्ज माफी होगी। आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा था कि कर्ज माफी किया जाएगा। हमने तो गांरटी के साथ बोला था कि कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी, लेकिन कर्ज माफी नहीं होने के कारण उनको परेशानी हो रही है ।

सभापति महोदय, पंचायत विभाग महत्वपूर्ण विभाग है । मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं, पहले मैं वार्ड मेम्बर बना, बाद में सरपंच बना । सबने मुझे जैसे गरीब आदमी को कहा कि एम.एल.ए. का चुनाव लड़ो, जैसे अभी ईश्वर साहू को एम.एम.ए. बनाया गया है, उसी प्रकार से मैं भी पैदा हुआ आदमी हूं । मैं पंच बना, सरपंच बना, सबने कहा कि सरपंच अच्छा है, इसी को एम.एल.ए. बनाएंगे । मेरे साथ एल.एल.बी. पढ़े-लिखे लोग लड़ते हैं, मैं स्कूल नहीं जाने वाला लड़का हूं, उसके बाद भी लोग जीताते हैं । मैं पंचायत में घूमता हूं तो वहां के वृद्ध लोग बोलते हैं कि तु एम.एल.ए. मत बनो, तुम सरपंच बनो । हमको बढ़िया पैसा देते हो । उस समय वृद्धापेंशन 14 तारीख को देना था, अगर बैंक में भी पैसा नहीं मिला तो मैं मेरे घर का पैसा वृद्धपेंशन में देता था, उसके बाद पैसा आने के बाद मैं उसको रखता था । इसलिए उनको 14 तारीख को पेंशन पक्का मिलता था । अभी दो-तीन महीना मिलता नहीं है तो वे लोग मुझे बोलते घूमते हैं कि तु ही सरपंच बन, ऐसा बोलते हैं । मैंने मेहनत की, मैं गरीब आदमी एम.एल.ए. बन गया । अजय चन्द्राकर जैसे बड़े लोग पैसे से चुनाव जीतने वाले लोग हैं, करोड़पति लोगों को अच्छा नहीं लगता । इसलिए आप पर नौजवानों को भरोसा है । बस्तर में ज्यादा दिक्कत पुलिस और जेल की है, आपके समय में जेल ब्रेक मत हो, इस प्रकार का मामला है । बस्तर में पंचायत विभाग का ज्यादा काम है। मैं फिर बोल रहा हूं कि पंचायत पूरा खाली है, काम नहीं है । वहां लोगों को काम दिलाएं, पलायन रोकें । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदय, मैं तो पंचायत विभाग से बात शुरू करूंगा, लेकिन आपके पंचायत विभाग के अधिकारी तो नहीं हैं ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, पंचायत एवं पुलिस विभाग की चर्चा हो रही है, लेकिन यहां पूरे मंत्री गायब हैं । पूरा कुर्सी खाली है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, गृह विभाग सबसे बड़े विभाग में आता है और अभी एक ही मंत्री हैं । सभी मंत्री रहें, यह निवेदन है ।

सभापति महोदय :- मैं आपकी बात समझ गया, मैं बोल देता हूं । थोड़ा दिखवा लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, दादी, उठकर मत जाना और भड़कना मत, बैठे-बैठे पूरा भाषण सुनना । मैं दो मंत्रियों के विभाग में चर्चा शुरू की और मैं दो सदस्यों का भाषण सुना । माननीय कुंवर सिंह निषाद जी का भाषण सुना और आज श्री कवासी लखमा ऊर्फ दादी का भाषण सुना । एक सदस्य छत्तीसगढ़ में एक विभाग में भाषण शुरू करते हुए गुण्डरदेही से बाहर नहीं निकल पाए । छत्तीसगढ़ के अनुदान मांग में चर्चा हो रही है ।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, मंत्री जी से मिल लीजिए, थोड़ा खबर कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, एक विधायक जी बस्तर और सुकमा से बाहर नहीं निकल पाए । बाकी छत्तीसगढ़ में क्या घट रहा है या छत्तीसगढ़ में किसी विभाग के प्रतिवेदन में चर्चा कर रहे हैं या अपने विधान सभा क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं, यह मालूम नहीं चला ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के साथ-साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात इस सदन में नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा ?

सभापति महोदय :- अब वे लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आप रहने दीजिए न, क्यों भड़काने वाला काम कर रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति जी, वे निषाद जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने टिप्पणी नहीं की ।

श्री उमेश पटेल :- आप टिप्पणी कर रहे हो । आप यह बताओगे कि सदस्य इस विधान सभा में क्या बोलेगा ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भड़काए के काम करही त हमन भड़कबो ।

सभापति महोदय :- मत भड़किए । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इस विधान सभा में सभी सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है, वह स्वतंत्र है कि क्या बोल सकता है ? किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय :- सबको अधिकार है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि आपने गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र से बाहर की बात की । फिर वे ऐसा बोलने वाले कौन होते हैं । मुझे जनता ने चुनकर भेजा है तो मैं अपनी बात रखूंगा ।

सभापति महोदय :- मैं समझ गया । इस सदन में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, निषाद जी के बारे में माननीय सदस्य श्री अजय जी के द्वारा टिप्पणी की जा रही है ।

सभापति महोदय :- मैं बोल तो रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने यह कहा कि अच्छा भाषण सुनने को नहीं मिला ।

सभापति महोदय :- मैंने कह दिया कि सदन में जो भी आये हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, हमन सबसे ज्यादा चन्द्राकर जी से प्रताड़ित हन।

सभापति महोदय :- आप बैठो न, आपके बारे में थोड़ी ही बोले हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ये सबके बारे में ऊंगली करही।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, ...।

सभापति महोदय :- वह आपको भी नहीं बोले हैं। वह सक्षम हैं, वह बात कर लेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय भईया गुणवान हैं, ज्ञानवान हैं और संसदीय कार्यप्रणाली के ज्ञाता हैं। हम तो उनसे सीखते हैं। लेकिन हमारे बारे में ऐसी टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि ऐसे सुलझे हुए नेता को शोभा नहीं देता है। वह हमको ज्ञान दें कि आप इसको सुधार कर ऐसा बोले।

सभापति महोदय :- चलिये, इस बात को खत्म करिये। मैंने कह दिया है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अच्छा भाषण सुनने को नहीं मिला। कुवर सिंह से अच्छे भाषण की उम्मीद थी, दादी से अच्छा भाषण की अपेक्षा थी। दादी थोड़ा टेंशन में आ गये।

माननीय सभापति महोदय, हमने सुना है कि सन् 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, जिसकी संकल्पना इस देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है। उसमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका हो सकती है। छत्तीसगढ़ की भूमिका में एक लाईन बहुत स्पष्ट है कि यदि 02 करोड़ 10 लाख आाबदी मान ले तो लगभग 73 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है। जब तक वह ग्रामीण मजबूत नहीं होते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है, ग्रामीण अधोसरंचना मजबूत नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य मजबूत नहीं होते हैं, तब तक दो शहर को चमका देने से या चार शहरी क्षेत्र में काम कर देने से, दो सम्मेलन कर देने से दो भाषण कर देने से छत्तीसगढ़ मजबूत नहीं होगा। हमारी भूमिका सशक्त होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ सशक्त होना चाहिए तो ग्रामीण विकास के कामों को मजबूत करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अमूमन कुरूद के बारे में नहीं बोलता, परन्तु नवजवान मंत्री ने मेरे क्षेत्र को आई.टी.आई. भी दी, पॉलीटेक्निक कालेज भी दिया, मैं वहीं से शुरू कर देता हूं। पॉलीटेक्निक कालेज पिछले सत्र के पहले चौथी विधानसभा में माननीय रमन सिंह जी की घोषणा थी। चार घोषणाएं थीं। अब पॉलीटेक्निक कालेज मिलाकर दूसरी घोषणा पूरी हुई, दो घोषणा बाकी है, वह दूसरे विभाग की

है। लेकिन कांग्रेस ने 5 साल तक कुछ नहीं दिया। हम बार-बार कहते-कहते थक गये मुख्यमंत्री एक इन्स्टीट्यूशन होता है, वह कांग्रेस भा.ज.पा. का नहीं होता है। परन्तु इन लोगों को समझ में नहीं आया और इन लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री मतलब कांग्रेस ही होता है, हम कांग्रेस के लोगों को ही देंगे। आपने आई.टी.आई. और लाइवलीवुड कालेज की बारिश एक साथ कर दी तो आप पहले उसके लिए धन्यवाद ले लीजिये।

सभापति महोदय, आपने दर्द को समझा। डबल इंजन की जो सरकार है, उसको परिभाषित किया। मोदी जी की गारन्टी को यथार्थ की धरातल पर उतारा। 158 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी सिर्फ एक हेड में हुई है। 8,369 करोड़ रूपये, ये कांग्रेस वाले लिख भी नहीं पायेंगे। 5 साल में आर्थिक सर्वेक्षण करवाये तो उसमें इन्होंने एक हेड, आवासीय हेड को आंशिक रूप से पुनरीक्षित करवाया। पुनरीक्षित करवाया तो इनकी संवेदनशीलता देखिये। उस विषय पर कुछ नहीं बोले, मैं कुछ बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो कुर्सी से उचक जायेंगे, बैठे सीट से उचक जायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आप सब बोलिये। लेकिन आप यह क्यों बोल रहे हैं कि हम लिख भी नहीं पायेंगे। आप हम लोगों को अनपढ़ बोलना चाहे रहे हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने ऐसा कहा ही नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको बहुत विद्वान कहना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, जब आंशिक रूप से पुनरीक्षण करवाया तो लगभग 47 हजार कुछ आवास निकले।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, लगता है यह आज अपनी पत्नि के साथ झंझट करके आये हैं। इसलिए उल्टा-उल्टा बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, 47 हजार मकान को भी पूरा करने के लिए इस नवजवान मंत्री ने सौ करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। ये लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में कैसे सोचते हैं ? क्या 18 लाख गरीब, जिसमें बस्तर के हैं, सुकमा के हैं, जिसमें गुण्डरदेही के लोग भी शामिल हैं। शामिल नहीं किये तो उस समय कुछ बोल नहीं पाये और आज ये ग्रामीण की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और हम इसकी आलोचना सुनेंगे, एक लाईन में इनकी आलोचना खारिज होती है। ये गरीब की संवेदना नहीं जानते हैं। यह छत्तीसगढ़ होने का मतलब नहीं जानते। यह छत्तीसगढ़िया होने का मतलब नहीं जानते । यह छद्म राजनीति करते हैं । यहां पर शब्दों की बाजीगरी करते हैं । शब्दों की जुगाली करते हैं । यथार्थता से दूर रहते हैं और इसीलिए विपक्ष में बैठे हैं । माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन के लिये राशि का प्रावधान । मैं बधाई देता हूँ, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जिन्होंने लागू की थी...।(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जो महतारी वंदन योजना में बजट है....। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ए मन 1000 रूपया देबो कहे रहिन, 500 रूपया देथे, रूपया में चार आना मिल ही, चार आना । का बात करथव ? अभी लोक सभा में जइहव । सभापति महोदय, कतका लबारी ला सुनबो ? लबारी च लबारी।

सभापति महोदय :- आप बैठिये ना ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जो महतारी वंदन योजना में ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- ग्रामीण विकास के एक भी नहीं है...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महतारी वंदन योजना में जो बजट है, वह जितने फार्म भरवाये जा रहे हैं, उसमें 5 परशेंट, 10 परशेंट मिला है । मैं उसमें ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ...। (व्यवधान) उस योजना में बजट को बढ़ाया जाये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने बता दिया ।

श्री उमेश पटेल :- आपके शब्दों में जुगाली, क्या होता है बताऊं ? जो पेंशनधारी हैं न, आप उनको कह रह हैं कि कटौती करके देंगे । यह है शब्दों की जुगाली ? आप समझ रहे हैं ।

सभापति महोदय :- चलिये, अब उनको बोलने दीजिए । आप बोलिये ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय....।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माफ कीजिए, टोक रहा हूँ। माननीय उमेश पटेल जी ने कहा कि पेंशन में कटौती करेंगे । मेरे ही प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 19,146 करोड़ रूपये की भर्राशाही करने की तैयारी कर रखे थे ।

श्री उमेश पटेल :- आप समझ रहे हो ना, क्या बोल रहे हैं ? मंत्री जी । वह बोल रहे हैं कि हम लोग कटौती नहीं करेंगे ? महतारी वंदन योजना का पूरा देंगे ।

सभापति महोदय :- हो गया ना ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इस बात को नोट करेंगे । (व्यवधान) इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं, आप बैठिये । (व्यवधान) आप लोग बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हम उसमें महिलाओं के लिये बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एक विधान सभा में 60 परशेंट फार्म भराया गया है।(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- प्रेस कांफ्रेस आया है ।

सभापति महोदय :- देखिये, यहां पर विभाग के मांगों पर बहस हो रही है । वह अपनी दल की ओर से बोल रहे हैं, अगर इस तरीके से हर क्वेश्चन आप पुछेंगे, वह जवाब तो नहीं देंगे और अनावश्यक रूप से देरी होगी । अभी 3 बजे तक इस विभाग के काम को निपटाना है ।

सभापति महोदय :- आदरणीय सभापति महोदय जी, झूठ बर्दाश्त नहीं होता । जिस उद्येश्य से उस मांग को रखे हो उसे पूरा करिये ना । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या झूठ है, क्या सच है, निर्धारित करिये । मैं तो बोल रहा हूँ कि यह झूठ कहां से होगा ? दादी अभी आऊंगा तो मैं गृह विभाग में बोलूंगा ।

सभापति महोदय :- थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए । क्या है आपको तो अभी मिलेगा, आप उसमें इनकी बात का जवाब दे दीजिएगा । इनकी भाषण में बार-बार खड़े होंगे तो एक तो बात भी नहीं कर पायेंगे और समय का अभाव है । मेरा इसलिये निवेदन है कि आप उनकी बात को सुन लीजिए । अगर आपको बात अच्छी नहीं लग रही है, आप अपने भाषण में उसका जवाब दे दीजिए । नेता प्रतिपक्ष जी ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, माननीय चन्द्राकर जी विद्वान मंत्री थी, आज विद्वान सदस्य हैं, उनको मंत्री बनना था, वह नहीं बन पाये हैं । वह मंत्री नहीं बनाये गये तो क्या यह हमारे दल की गलती है ? वह खीझ में उल्टे इधर इशारा करके अपनी खीझ को निकालते हैं और [XX][8] बोल रहे हैं, उसको तो बंद करवा दीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- [XX] के साथ वोहा आंय-बांय-सांय हो गे हे ।

सभापति महोदय :- आप तो सुन ही लिये होंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं तो आपकी ओर देखके बोल रहा हूँ । मुझे दु:ख है कि मैं उधर देखकर बोल नहीं रहा था । नेता प्रतिपक्ष जी...।

सभापति महोदय :- दे रहा हूँ ना, आपको मौका दे देता हूँ । थोड़ा उनको अपनी बात तो कह लेने दीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय :- मैं आपको इनको रोक कर मौका दूंगा ना ?

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- ए बबा, चिन्ता मत कर । तोर घर वाली ला मिलही एक हजार । (हंसी)

सभापति महोदय :- बैठिये तो, आप बैठिये । इस टाईप से नहीं चलेगा, ना ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- कौन से वाला ला मिलही ? (हंसी)

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं । यह गलत है । ऐसा नहीं होता है । नेता प्रतिपक्ष कुछ बोले हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं । मैं आपको देता हूँ ।

---

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं अब नेता जी के शब्दों को असंसदीय भी नहीं बोल सकता । नेता जी ने तो कल यहां तक कह दिया कि लोग नालायक हैं । नालायक शब्द का इस्तेमाल इसी परिसर में किया । लेकिन मैंने तो महतारी वंदन की बात शुरू की थी । [XX] [9] बात बोल ही नहीं रहा था । संगीता जी ने उसको झपट लिया ।

सभापति महोदय :- मोहले जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वह बोल दीजिये फिर मैं अजय जी को भाषण देने के लिये कहूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि [xx] बोले हैं। यह [xx] का मतलब बता दीजिये कि वह क्या होता है ?

सभापति महोदय :- चलिये, इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। चन्द्राकर जी, अब आप भाषण दे दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, उन्होंने मोदी जी गारण्टी, महतारी वंदन योजना के लिये के भी बजट प्रावधान किया। महतारी वंदन का स्वरूप क्या होगा ? अभी सिर्फ नॉमिनेशन हो रहे हैं, यह उसमें भी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बोल रहे हैं कि यह असत्य बोल रहे हैं, असत्य बर्दाश्त नहीं होगा। यहां असंसदीय शब्दों का ठेका तो उधर ही है। मेरी ओर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिये, मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिये, सी.सी. रोड के लिये, सारी चीजों के लिये प्रावधान किया गया, बल्कि यह 47 हजार गरीब निकाल पाये। यह आंशिक रूप से इसका सर्वेक्षण कराकर उसके लिये भी 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किये हैं।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा श्री अजय चन्द्राकर के समीप जाकर बैठने पर) (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- अब आप दोनों [XX] कर लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं अब कुछ ऐसी बातें कहूंगा।

सभापति महोदय :- इस विधान सभा की और प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है। चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जैसे महतारी वंदन योजना आयी। इन्होंने हर क्षेत्र में महिला सदन बनाने के लिये बजट में 50 करोड़ रूपये दिये। मैं ऐसी कुछ चीजें जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आपके मजबूत कंधों पर भार है, आप भी मंत्री बन गये हैं। आप मुझे जरूर बताईये कि सक्रिय गौठान की परिभाषा क्या होती है ? यह बहुत सक्रिय गौठान बोलते थे। आदर्श गौठान की परिभाषा क्या होती है ? मुझे यह बताईये कि क्या अब मनरेगा में गौठान बन सकता है, क्योंकि आपने प्रतिवेदन में बार-बार गौठान लिखा है। कौन-सी निधि से गौठान बना ? यदि गौठान बनने में मनरेगा का इस्तेमाल हुआ तो क्या मनरेगा में गौठान बन सकता है ? जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

सामुदायिक पशु शेड, सामुदायिक चारागाह, यदि ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से उन्होंने गौठान स्वीकृत किया है तो क्या यह माना जायेगा कि गौठान नहीं बना है और क्या उसकी जांच होगी ?

सभापति महोदय, उसके बाद, कल रीपा पर बहुत बहस हो गयी, इसलिये मैं रीपा पर बात नहीं करना चाहूंगा। मैं स्वच्छ भारत मिशत की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ ओ.डी.एफ. घोषित हो गया। हमने भारत सरकार से छूट लेकर बस्तर के दो सौ से तीन सौ गांवों को ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया। इन लोगों ने उसका सर्वेक्षण करवाया। माननीय मंत्री जी, आपने ही उस दिन कहा कि मैं उसको मान्यता दूंगा या नहीं दूंगा, मैं यह बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के सामने यह बड़ा यक्ष प्रश्न है। आप यह बता दीजिये कि छत्तीसगढ़ ओ.डी.एफ. है या नहीं है ? क्योंकि यदि आप उस मानक को स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक करोड़, सवा करोड़ रूपये खर्च करके एक महीने में जादुई सर्वेक्षण करवा लिया। उस जादुई सर्वेक्षण में यह साबित कर दिया कि इतने घरों में शौचालय नहीं है। यह सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं, स्कूल में शौचालय बनवा रहे हैं, एस.सी., एस.टी. के लिये शौचालय बनवा रहे हैं, वह अलग विषय है। मैंने पूरा स्वच्छता अभियान देखा है। मुझे उस अभियान को नेतृत्व करने का अवसर मिला। लेकिन आप उसको मान्यता देते हैं या नहीं देते हैं, आप स्पष्ट नहीं है। यदि आप मान्यता देते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ ओ.डी.एफ. नहीं है। यदि हम लोगों ने फर्जी ओ.डी.एफ. घोषित किया तो उस समय के जितने अधिकारी कर्मचारी थे, भारत सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, आप उसकी निंदा कीजिये। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो वह पैसा कांग्रेस के तत्कालीन अधिकारी या तत्कालीन लोग या तत्कालीन मंत्री से वसूल होनी चाहिए कि आपने जो करोड़ रूपये खर्च किये, वह करोड़ रूपये आपने छत्तीसगढ़ को सिर्फ बदनाम करने के लिये व्यय किये हैं। यह वसूल होना चाहिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, क्या यहां कांग्रेस के तत्कालीन अधिकारी हैं ? आपने कांग्रेस के तत्कालीन अधिकारी का उल्लेख किया। क्या अधिकारी कांग्रेस और भाजपा के होते हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में कहा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन अधिकारी कहा है। आप कार्यवाही निकलवा लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने अधिकारी भी कहा है।

सभापति महोदय :- चलिये, देख लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं रीपा में जिस बात का उल्लेख कर रहा था। मेरी विधान सभा का एक कातापार-गोर्रा गांव है। इनके प्रतिवेदन में रूरबन मिशन की कार्ययोजना के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि क्या–क्या कार्य करवाये जा सकते हैं। रूरबन मिशन के 01 करोड़ 05 लाख रूपये रीपा में व्यय कर दिये गये और आप उस गांव में वह 01 करोड़ 05 लाख रूपये का कार्य देख

लीजिये। मैं हमेशा सोशल ऑडिट की बात करता हूं क्योंकि मनरेगा की बात करूंगा तो सोशल ऑडिट आयेगा। मैं इसलिये इसकी बात करता हूं कि आप जाकर देखिये कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह से भ्रष्टाचार किये गये, यदि आपको साक्षात उसका स्मारक देखना है तो मैं माननीय प्रथम वक्ता दादी जी को आमंत्रित करता हूं क्योंकि दादी ने ही कुरूद क्षेत्र में जाकर एक आदर्श गौठान को नाचते हुए फीता काटा था। मैं उनको नाचते हुए, उस जगह को दिखाना चाहता हूँ यदि आप सहमति देंगे तो मैं आपको दोनों जगह दिखा दूंगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय चन्द्राकर जी, मैं वहां उस गौठान में नहीं गया हूँ। वहां दिल्ली, गुजरात और उत्तरप्रदेश के लोग भी आएं हैं। कहीं भी कोई नई चीज आती है तो अच्छा काम करने के लिए सीखना पड़ता है। यहां केवल घोटाला, घोटाला बोलने से नहीं होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अरौद गांव में यह गौठान को उद्घाटन करने गये थे। मैं इनके साथ जाकर, अरौद गांव को दिखाना चाहता हूँ कि वह क्या है ?

माननीय सभापति महोदय, आपकी गतिविधियों में एक पंचायती राज महत्वपूर्ण घटक है। इस विधान ने पंचायती राज में ऐतिहासिक काम किये हैं। इसी विधान सभा से स्वच्छता निकली जो आगे चलकर, सबसे पहले भारत में स्वच्छता अभियान कानून बना। इसी विधान सभा में साक्षरता का कानून बना कि जो पंचायत प्रतिनिधि बनेंगे उनको साक्षर होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का योगदान यह है कि उन्होंने साक्षरता के कानून को खत्म कर दिया। यह बस्तर का रोना रोते हैं तो यह चाहते हैं कि बस्तर के लोग...।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान बने हे। मूल ओकर स्वरूप देखिहौ । ए बिसरा गे हे तो मैं बोलना चाहत हौं कि ए सिर्फ पंच सरपंच के लिए काबर लागू हो ही ? सांसद अउ विधायक बर काबर लागू नइ होए। आप बाबा साहब अम्बेडकर के मूल स्वरूप ला बिगाड़े के कोशिश मत करव।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसी विधान सभा से खाद्यान्न सुरक्षा कानून निकली जो देश में हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न सुरक्षा कानून बनाया। बाद में आगे चलकर देश में केन्द्र ने खाद्यान्न सुरक्षा कानून बनाया, पर दुर्भाग्य से इन्होंने 5 सालों में क्या किया ? मैं उधर जब विपक्ष में बैठता था जिस दिन पेसा नोटिफिकेशन हुआ, नियम कानून बनाने वाले हम देश के पहले राज्य हैं यह कहा। आज भी पेसा में कोई अधिकार दिया है छत्तीसगढ़ के लिए पेसा सबसे संवेदनशील मुद्दा है, उसमें सावधानी की जरूरत है। बस्तर के ओ.बी.सी. या 5 हजार 600 से ऊपर पंचायत पूर्ण रूप से पेसा क्षेत्र में आती है। यदि वहां कांकेर का ओ.बी.सी उद्वेलित होता है। यहां भानुप्रतापुर क्षेत्र के विधायक महोदया बैठी हैं और इधर कांकेर के विधायक बैठते हैं तो पूरी तरह पेसा लागू होने के बाद,

उनकी भूमिका क्या होगी ? जो दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं उनकी भूमिका क्या होगी? इन्होंने पेसा में पंचायतों को अधिकतम अधिकार दिये क्या हैं ?

माननीय सभापति महोदय, अब तीसरी बात कहना चाहता हूँ। मेरी तीसरी बात यह है कि पांच साल में एक्टिविटी मैपिंग पर, पेसा के नियम आधे अधूरे हैं मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज भी उसमें कांग्रेस का कोई सदस्य तैयार है तो मैं उसमें खुली बहस के लिए तैयार हूँ कि सिवाय पर्यवेक्षण के अतिरिक्त कोई अधिकार, किसी तरह से सुपुर्द नहीं किये गये। हमने केन्द्र सरकार से एक्टिविटी मैपिंग में समझौता किया। आज का जमाना Devolution का है । पिछले 5 सालों में एक्टिविटी मैपिंग में पंचायती राज को सशक्त बनाने, गाम सभा को सशक्त के लिए एक लाईन, एक शब्द का काम नहीं हुआ। रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज के लिए एक योजना माईनस में नहीं बनी। मैं जब आर.डी. में बात कर रहा था तो मुख्यमंत्री समग्र विकास कार्यक्रम थे। पांच सालों में पहले साल विपक्ष के विधायकों को दिया और 4 सालों तक इन्होंने तय कर दिया कि यदि उसका पैसा मिलेगा तो कांग्रेस के विधायकों को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री समग्र विकास का पैसा पाने के लिए इस सदन में भारतीय जनता पार्टी के नाम के विधायक नहीं थे। आपने उसमें ढाई सौ करोड़ रूपये रखा है तो इसमें आप कम से कम डेमोक्रेटिक रहिएगा। इनको 10-20 दीजिए, लेकिन इन्हें दीजिएगा। आप ऐसे मत करिएगा। दादी, अब आप सोइए मत। पंचायती राज में पंचायत के ग्राम सभा को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारों का सुपुर्दगीकरण हो । मैं आपको एक बात बता देता हूँ मैंने एक सुझाव दिया था। यदि आप करेंगे तो मेरे दो सुझाव हैं। सभी विभाग जो 11 वीं अनुसूची के 29 विभाग आते हैं। हम पंचायत को एजेंसी बना देते हैं कोई फण्ड फंक्शन, फंक्शनरी पंचायत को नहीं देते हैं यह एक राजनीतिक निर्णय है fund function, functionary कितना प्रतिशत, किस स्तर के पंचायत को देंगे। लेकिन यदि वह निश्चित प्रतिशत में पंचायत से काम करवाने का पैसा देते हैं या कमीशन एक, दो प्रतिशत देते हैं, जो 29 विभाग आते हैं जो आपसे काम करवाते हैं, वह निश्चित पैसा देते हैं। कम से कम आप यदि छत्तीसगढ़ की पंचायतों के अरबों रुपये, आप इसमें चार्ट देखिये, मैं आंकड़ें नहीं पढ़ता, 15वें वित्त आयोग के tide और untide fund से पंचातयों को, जिलो पंचायतों को, जनपद पंचायतों को कितना पैसा मिला है? वह हजारो करोड़ रुपये में है। tide fund ही 1300 करोड़ रुपये का सिर्फ पंचायतों का है, उससे कुछ आधा untide fund उसमें है, उन्हीं का ही है। उनसे पैसा लेकर यदि सरकार आपको पैसा नहीं देती है तो उस कमीशन से ही कम से कम एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक लेखापाल रखिये। पंचायत के सेटअप के बिना पंचायत राज का सचिव 29 विभाग के काम किस तरह से देखता होगा। पंचायत के पास है क्या जो इतने विभागों के काम को ये भी पंचायत करेगी, ये भी पंचायत करेगी। उस काम को पंचायत कैसे करेगी ? अब एक्टीविटी मैंपिंग.. ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति जी, पूर्व पंचायत मंत्री, वर्तमान पंचायत मंत्री की क्लास ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है।

श्री रामकुमार यादव :- ये पंचायत मंत्री रहिस हे ता ओ समय नई करिस। अब जमो हा सुरता आत हे।

सभापति महोदय :- आप बैठिये, वह ज्ञान की बात बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ज्ञान देना है, करना कुछ नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने पंचायती राज में क्या किया है, आप उसको सुनेंगे तो बेहोश हो जायेंगे। यदि मेरे बारे में पंचायती राज के बारे में जानना है तो मैं आपको टिकट का पैसा दूंगा, आप जाकर पूर्व पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर जी से मिलना कि अजय चन्द्राकर को पंचायती राज के बारे में कितना मालूम है।

श्री राजेश मूणत :- वह आजकल कहां हैं ? कौन सी पार्टी में हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- वह अपनी लड़की के साथ दक्षिण दिल्ली में फ्लैट में रहते हैं। दूसरा विषय, मैं एक बार केबिनेट में ले गया था, वह किन्हीं कारणों से पास नहीं हुआ। माननीय नौजवान मंत्री जी, सुन लीजिए। हमारे पास 61 विकासखंड हैं, 85 विकासखंड आदिम जाति कल्याण विभाग के पास हैं। केदार कश्यप जी जब शिक्षा मंत्री बने, आदिम जाति कल्याण विभाग उनके पास था तो शिक्षा का दोनो का संविलियन हो गया, सिर्फ आश्रम शिक्षा आदिम जाति कल्याण विभाग के पास रही। आज अरबों रुपये पंचायतों का जा रहे हैं, लेकिन 85 विकासखंड में आपका सीधा नियंत्रण नहीं है। आप देश भर में अध्ययन कर लीजिए कि कितने प्रांत में ऐसे विभाजन हैं। आपको मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरी जगह नहीं मिलेगा, जबकि आदिवासी बहुल प्रांत झारखंड, उड़ीसा भी है, हमसे लगा हुआ है। मैं केबिनेट तक गया था, मैं केबिनेट की बात यहां नहीं बोल सकता। परिणाम मूलक होगा करके, इसको एकीकरण करना चाहिए, एक विभाग इसकी निगरानी करे। आपके वहां बी.डी.ओ., सी.ई.ओ. नहीं हैं। आपके अधिकारी उसको नहीं जानते हैं। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए कि अरबों रुपये की निगरानी ठीक से हो, एक्टीविटी मैपिंग का प्रभाव, पेशा का प्रभाव, योजनाओं का प्रभाव दिखे।

आपकी प्रमुख योजना मनरेगा है। आप मनरेगा में काम देते हैं, कितने लोगों को 100 दिन का, 150 का काम दिये, सब लिखा है। मैं आंकड़ों में नहीं जाता। उसका सबसे बड़ा पक्ष सोशल ऑडिट है। सोशल ऑडिट कागज में अच्छी दिखती है। आप एकाध बार सोशल ऑडिट में जाकर देखिये कि कौन रहते हैं, कितने लोग रहते हैं और सोशल ऑडिट कैसे होता है। मैं इस बात को बोल रहा हूं कि एक आदमी जहां गोदी होती है, वहां जाकर सोशल ऑडिट करके देखे न, उसमें कितना गढ्ढा होता है, कितने बजे छुट्टी होती है, कितनी देर तक काम चलता है। ऊपर से नीचे तक सेंटिग इज इक्वल टू सोशल ऑडिट, मैं यह मान लूंगा। सोशल ऑडिट मजबूत हो, वह बहुत अच्छी अवधारणा है, लेकिन वह मजबूत

नहीं है। उसको पायलेट प्रोजेक्ट में मेरे यहां भी लिया गया था, आपके प्रतिवेदन में उल्लेख है। लेकिन पायलेट प्रोजेक्ट से नहीं, वह प्रभावी तरह से हर जगह लागू हो। दूसरी बात पंचायती राज में, आर.डी. से पंचायती राज में आ जाते हैं, दोनों सगे भाई हैं। 15वें वित्त आयोग का पैसा 10, 15 ओर 75 के अनुपात में देते हैं। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए यदि पेयजल और स्वच्छता में टाईड फंड का उपयोग किय गया हो ? पेयजल और स्चछता में पंचायत ने यदि टाईड फंड का उपयोग किया हो तो एकाध जगह चलिये। कहीं भी चलिये। कवर्धा में चलिए। यहां पर विधायक बैठे हैं, उनका किसी विधान सभा क्षेत्र में चलिये। देखते हैं यदि ऐसा होता है तो। मेरा कहने का मतलब यह है कि पेयजल विभाग जो रूरल डेव्हलपमेंट और स्वच्छता देखती है, यदि वह मिल कर काम करते तो आज गांव इतना स्वच्छ होता, इतना अच्छा होता। कोई भी जनप्रतिनिधि उसका उपयोग स्वच्छता और पेयजल में नहीं करता है। आप किसी भी पंचायत में जाकर देख लीजिए। दूसरी बात, 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का उपयोग। मैं विधायक हूं। पांच साल में मेरी अनुशंसा से जिला पंचायत या जनपद में एक रूपये का काम नहीं मिला। वह राजनीतिक फंड हो गया। उसको हम इतना प्रतिशत बांटेंगे। वह बांटने के लिए फंड नहीं है। इतने बड़े पैसे से जिले की या विकासखण्ड की बड़ी समस्याएं हल हो सकती है। उसकी गाईडलाईन की जरूरत है। वह हस्तक्षेप नहीं है। गाइडलाईन देना पंचायत राज के स्वायत्तता पर हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि यदि आपने गाइडलाईन दिया है, टाइड फंड बोलना यह भी गाईडलाईन है और यदि गाईडलाईन है तो आपने उसका पालन नहीं किया तो क्या कर लिया? अब पंचायती राज में जो तीसरी महत्वपूर्ण चीजें है, वह है उसका प्रशिक्षण। आप एस.आई.डी.आर. जाईये, देखिये, घूमिये और जांच कीजिए कि वहां कितने प्रशिक्षण हुए, किस-किस योजनाओं के प्रशिक्षण हुए, कितने लोगों ने भाग लिया? खासतौर पर पंचायत सचिव और ए.डी.ओ. को छोड़ कर दो लाख के आसपास जो जनप्रतिनधि हैं, उनमें कितने का प्रशिक्षण हुआ, कितने की केपिसिटी बिल्डिंग हुई? वहां कितने कोर्स चलते थे और कितने कोर्स बंद हो गये? आप ई.टी.सी. की हालत देखिये। उसके सेटअप के अनुकूल कर्मचारी हैं या नहीं है? वहां कितने प्रशिक्षण होते हैं या नहीं होते हैं? आप डी.आर.सी. को देखिये। पुराने सभी में जिले में तो डी.आर.सी. है। नये जिले में डी.आर.सी. खुले हैं या नहीं खुले हैं, यह मैं नहीं जानता। डी.आर.सी. कितने हैं? एकाध इधर से पूछ लीजिये कि डी.आर.सी., बी.आर.सी. कहां पर है? पुराने जिले वाले लोग डी.आर.सी. देखें भी होंगे तो मैं मान जाऊंगा। वहां के लोग एकाध प्रशिक्षण देखे होंगे, संबोधित किए होंगे तो मान जाऊंगा। मान जाऊंगा, मतलब मैं यह कह रहा हूं कि आप इधर के लोगों को पूछ लीजिए, उधर बालूंगा तो रामकुमार जैसे लोग चिल्लाने, कूदने लग जायेंगे। वह मुझको बाबा जी की अवधारणा बता रहे थे। बी.आर.सी., डी.आर.सी. नाम की संस्था, ई.टी.सी. नाम, एस.आई.आर.डी. नाम की संस्था जो प्रशिक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की एस.आई.आर.डी. में थी जिसकी अपने कोर्स थे। हम कई विषय में अपने कोर्स चलाते थे, वह कोर्स पूरी तरह से बंद हो गये हैं। मेरा कहना का मतलब यह है कि पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगीं, कार्यक्षमता

बनेंगी, उसको अधिकार संपन्न बनाया जाएगा, यदि उसको फंड, फंक्शन, फंक्शनरी दी जाएगी तो वह मजबूत होगा। रूरल डेव्हलपमेंट में आपकी जो योजनाएं हैं। पांच साल में मनरेगा एक मात्र कोई दूसरी योजना नहीं बनी। आप मनरेगा योजना में मुझे एक बार बता दीजिए कि संभाग आयुक्त को कितने प्रतिशत राशि की प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार है और राज्य आयुक्त को कितने प्रतिशत राशि की स्वीकृति का अधिकार है? संभाग आयुक्त ने कितने प्रतिशत राशि की स्वीकृति दी है? इसको पूछने की पीछे मेरी जानकारी नहीं है। इसको पूछने के प्रति मेरा आशय यह है कि बड़ी-बड़ी संपत्तियां उससे सृजित की जा सकती है। आपके प्रशासन में वह इच्छाशक्ति नहीं है कि बड़ी संपत्तियों को सृजित करने के लिए हम काम करें, उसकी तकनीकी स्वीकृति दें, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दें। मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया था। बजट में भी शहरी क्षेत्र के लिए पैसे थे। खारून के लिए उद्गम से संगम तक। यह जहां तक सोमनाथ नदी में गिरती है। खारून की सफाई करने के संबंध में मैंने उद्गम से संगम तक एक दिन हेलीकाप्टर से देखने लगा था। अरपा मर रही है, खारून मर रही है। आपको 50-100 एकड़ के तालाब 10-20 गावों में देखने में मिलेंगे। जितने की तकनीकी स्वीकृति देनी है, उतने में जनपद सी.ई.ओ. और जिला सी.ई.ओ. के हाथ कांप जाते हैं और संभाग आयुक्त एकाध दिया होगा। अभी तक तो बहुत है और आयुक्त को तो मालूम ही नहीं होगा कि मुझे प्रशासकीय स्वीकृति देने का अधिकार है और मैं मनरेगा में प्रशासकीय स्वीकृति दूंगा। उनको मालूम ही नहीं है। मालूम होगा भी तो उन्होंने अब दिया ही नहीं है तो याद कहां से रहेगा। यदि आप बोल देंगे तो खोजेंगे। बड़ी संपत्ति सृजित होने के बजाय छोटे-छोटे काम हो रहे हैं। दूसरी बात, Convergence के लिये आपके पास जो पैसे हैं । चाहे उसको 15वें वित्त से करें, आपके अनटाईट-टाईट से तो पेयजल और स्वच्छता का काम नहीं हो रहा है । Convergence से मनरेगा के साथ अभिसरण करके गांव में बड़ी सपंत्ति 15वें वित्त आयोग से ही बनायी जा सकती है, जिला पंचायत से बनायी जा सकती है । आपके 250 करोड़ रूपये में से आप कुछ पैसा रिजर्व कर दें कि मैं Convergence में विधायकों को दूंगा कि इसका उपयोग केवल Convergence में करें करके तो राज्य में केवल यह आपके 300 करोड़ रूपये में से आप 50 करोड़ रूपये सीधा देंगे और यदि उसको Convergence मॉडल में 50 करोड़ रूपये से महिला सदन बनायेंगे तो ड्योड़हा बन जायेगा, यदि 100 बनायेंगे तो उसमें 150 बन जायेगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा Convergence की ही बात कर रहा हूं । हमने अपने जिला में, अपने ही शासनकाल में 15वें वित्त से और नक्सल बेल्ट का जो पैसा रहता है न, उससे कन्वर्शन करके और मनरेगा से बड़े-बड़े काम करवाये हैं । यदि आप उनका भी थोड़ा डाटा देख लेते तो आप अपने भाषण में बोलते भी नहीं ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको बधाई । मैं आलोचना नहीं करता, मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आप जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और आप जैसे जनप्रतिनिधि सब बनें । मैं Convergence के लिये कितना

पैसा देता हूं, उसे मेरे सी.ओ. से पूछ लीजिये । क्या शासन भी Convergence नाम का शब्द भूल गया है ? इसको जीवित करना है । 5 साल में Convergence नाम के शब्द को बोलने के बावजूद नौजवान भतीजे उमेश को कभी समझ में नहीं आया कि इससे प्रदेश की तस्वीर को बदला जा सकता है । प्रशिक्षण शून्य है । आपकी योजनाओं में पूरा पैसा है ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं बाकी विभागों में जल्दी-जल्दी बोल देता हूं ।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, क्या है कि आपको लगता है कि सारा ज्ञान आपको ही है और किसी को तो ज्ञान है ही नहीं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आपको अभी प्रेम से भतीजा बोला । क्या आपको मैंने टोका है ? मैंने अभी दलेश्वर जी को बधाई दी है ।

श्री उमेश पटेल :- आप एक सेकेण्ड मेरी बात तो सुन लीजिये । माननीय सभापति महोदय, क्या है कि हर जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में उसका इस्तेमाल करता है । मैं आपको बता दूं, रायगढ़ जिले में आप अपने अधिकारियों से पता कर लीजिये कि Convergence से...।

सभापति महोदय :- पटेल साहब, आप इधर मुझको बोलिए न ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मनरेगा और सी.एस.आर. के Convergence से हर गांव में मुक्तिधाम बनाया गया । हर गांव में स्कूल का अहाता बनाया गया । हर गांव में आंगनबाड़ी बनायी गयी । आप पता कर लीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- ग्राम पंचायत भवन तक बनाये हैं ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आशय यह है कि Convergence का इस्तेमाल करके कम पैसे से भी प्रदेश में बड़ी योजनाएं लेकर प्रदेश के विकास की तस्वीर को बदला जा सकता है, जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया । उमेश बाबू ने यदि उसका इस्तेमाल किया, दलेश्वर जी ने उदाहरण दिया । इधर के भी जो साथी होंगे, यदि ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं । मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई स्वीकार करें ।

सभापति महोदय :- अब आप दूसरे में आ जाईए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं अब दूसरे विभाग में आ जाता हूं । मैं इनको RSETI में बोल देता हूं । केवल एक लाईन का है । मंत्री जी RSETI में बैंक के सहयोग से आपके प्रशिक्षण शिविर चलते हैं । आपने 8-10,000 लोगों को प्रशिक्षण दे दिया है, बैंकवाले जिनको खुद प्रशिक्षण देते हैं, उनको खुद फायनेंस नहीं देते । आप नहीं समझे । आप RSETI का एक प्रकोष्ठ बनाईये कि जो प्रशिक्षित

हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं तो वही बैंक, जिस बैंक के सहयोग से वह RSETI चल रही है न उसको वह फायनेंस जरूर करें करके । आज मैंने अपने प्रिय विषय आजीविका मिशन में नहीं बोला है । मैं केवल एक लाईन भर बोल देता हूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे । चूंकि बहुत समय हो रहा है । वह एक प्रदर्शनी की चीजें हो गयी हैं कि कोई मंत्री जायेगा, कोई मेला लगेगा । मैं नहीं जानता कि सरस मेला 5 साल में लगा कि नहीं लगा ? मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि मैं 5 साल की बात कर रहा हूं । आजीविका मिशन में मोदी जी ने यह कहा है, मोदी की गारंटी की ओर चलते हैं तो एक जिला और एक प्रोडक्ट । माननीय मंत्री जी, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं । मैं कोशिश कर-करके बहुत थक गया। आप चतुर्भुज बना रहे हैं, आज भी डोंगरगढ़ में फूल बाहर से आते हैं, वहां की सामग्री जैसे टोकरी से लेकर ओढ़नी- चुनरी तक बाहर के लोग बनाते हैं । यदि आप स्वसहायता समूह को प्रशिक्षण देते, फूल का उत्पादन सिखाते तो 5-6 मंदिरों में जिसको आप कॉरिडोर बना रहे हैं । यदि आप आज भी खनिज विभाग से सहयोग लेंगे तो आपको कांकेर जिला में राजस्थान के क्वालिटी के ग्रेनाईट मिलेंगे । वह सिद्ध है कि ग्रेनाईट की पॉलिशिंग, आप बस्तर में सल्फी की वेल्यूएडीशन करवाईए । चलिये, आप पैकेजिंग सिखवाईये । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सल्फी फर्स्ट क्लास 200 के पैक में टूटी-फ्रूटी की तरह टैट्रा पैक में मिलेगा । रूम-झुम, रूम-झुम हल्का-हल्का रहेगा ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- क्या आप पीते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, पहले पीता था।

डॉ. चरण दास महंत :- अच्छा, हमारे यहां से कोई नहीं पीता।

श्री उमेश पटेल :- इनके पहले का नाम क्या है, आपको पता है न।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी ने आज सुबह छोड़ दिया है। आपके यहां से कोई नहीं पीते न। दादी ने आज सुबह छोड़ा है। अभी वे चले गये हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- चन्द्राकर जी, अभी आपने एक सरस मेले का उल्लेख किया था। उसके बारे में आप कैसे भूल गये? फिर हम जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैंने ये बोला कि सरस मेला आजकल होता है या नहीं होता, मुझे नहीं मालूम कहा।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- अभी तो आपको ही बोलना है।

श्री दलेश्वर साहू :- अब जो विषय खोल दिये हैं..।

सभापति महोदय :- इनके बाद आपको ही बोलना है, आप बोल लीजिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो आजीविका मिशन में एक ए.डी.ओ. के भरोसे आप गरीबी उन्मूलन का काम नहीं कर सकते। गरीबी उन्मूलन इस विभाग का मूल उद्देश्य है। पेशेवर लोगों की मीटिंग लीजिए।

मैंने कई बार बजट मांगी कि ये संस्थाएं ट्रेनिंग देंगी, ये संस्थाएं पैकेजिंग करेंगी, ये संस्थाएं मार्केटिंग करेंगी। पेशेवर अंदाज में उसे लीजिए। आप एकाध बार ए.डी.ओ. से इन प्रश्नों को पूछिए तो वह बेचारा दे नहीं पायेगा और इसलिए वो प्रदर्शनी की चीजें हैं। उद्यम से कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं तो उसे हम प्रदर्शनी में दिखा देते हैं। स्व-सहायता समूह जो बनी हैं, उसके कंसेप्ट माननीय अटल जी के 1 नवंबर, 1998 के कंसेप्ट हैं । उसको जिंदा रखना है और बेहतर करना है। आपके पास कौशल उन्नयन है। साहब, अब बहुत सारे विभाग है, कौशल उन्नयन में जल्दी जल्दी बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, 40 मिनट हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं 10-15 मिनट में खत्म कर देता हूं। 4 ठोक है। उतना भी नहीं और जल्दी खत्म कर देता हूं।

सभापति महोदय :- हां, 10 मिनट में खत्म कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास कौशल उन्नयन में सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह है कि प्रवेश घट रहा है। तकनीकी शिक्षा आज का विषय है। अपने मानव संसाधन को कुशल मानव संसाधन में बदलना है। सीटों में प्रवेश हो नहीं रहा है। आप अपने अधिकारियों से तकनीकी शिक्षा के अधिकारियों से बोलिए कि प्लेसमेंट के लिए कंपनी कौन-कौन सी आती है और हाइयेस्ट प्लेसमेंट आई.आई.टी., ट्रीपल आई.टी. को छोड़ दीजिए। हमारे जो कॉलेज हैं, 3 जी.ई.सी. हमारे पास हैं और 22 ठोक संभवत: जो आपके निजी कॉलेज हैं, उसमें प्लेसमेंट की कितनी कंपनियां आती हैं, एकाक बी.आई.टी. जैसे को छोड़ दें तो और उसमें हाइयेस्ट पैकेज कितने को मिला है? तीसरी बात, एक्टिविटी मैपिंग इसकी भी होनी चाहिए कि उद्योग की डिमांड क्या है? और उसमें ट्रेड कौन से खुलने चाहिए। विषय कौन से खुलने चाहिए। आप रायगढ़ में, जांजगीर में या कोरबा में टाइपिस्ट और पंपिंग और प्लंबिंग ट्रेड खोलेंगे तो मजा नहीं है। 44-45 ट्रेड हैं। आपके पास कोर्स नहीं है। तो कोर्स बनाने के लिए आप कीजिए। मैंने रूढ़की आई.आई.टी., राइस मिल का ड्राइवर बनाने के लिए मैं खोल नहीं पाया, मशीन नहीं ले सका और मैंने हार मान लिया, लेकिन 2500 राइस मिल के ड्राइवर भी बाहर से आते हैं। जो उसके पंप अटेंडेंट हैं न, क्या बोलते हैं उसे, उसका तकनीकी नाम है, उसके कोर्स हमारे पास नहीं हैं। 2500 राइस मिल में उनके ब्वाइलर को चलाने के लिए ब्वाइलर अटेंडेंट । ब्वाइलर अटेंडेंट के कोर्स आप क्यों नहीं फ्रेम करवा सकते? तो एक्टिविटी मैपिंग ये धमतरी में नयापारा में, रायपुर में या इन जिलों में यदि ज्यादा राइस मिल हैं तो राइस मिल ड्राइवर और ब्वाइलर अटेंडेंट के कोर्स खुलेंगे। कोयले से संबंधित कोर्स खुलेंगे। कोरबा में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोर्स खुलेंगे। तो ये एक्टिविटी मैपिंग कहां की आई.टी.आई., कहां के पॉलिटेक्निक और कहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आज के नये सब्जेक्ट हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी है, ए.आई. में काम हो रहा है। नैनो टेक्नालॉजी में काम हो रहा है। नई चीजों में हो रहा है तो उसमें शोध की संभावनाएं यूनिवर्सिटी के पास क्या हैं? यूनिवर्सिटी सिर्फ परीक्षा लेने की संस्थान बनकर रह गई

है, इसे देखिए और इस बात का अध्ययन कीजिए। आपने दिया है, उसके लिए मैंने धन्यवाद दे दिया है। माननीय सभापति महोदय, अब गृह विभाग में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें तो मैं बोलूंगा ही। बैठे हैं साहब नाम तो नहीं लेते, एक दिन और उल्लेख किया था, वो साहब नहीं थे। भूपेश बघेल जी का जब शासन था तो मूंछें फड़कनी बंद हो गई थीं, फड़कती नहीं थीं, वह झुक गई थी। एस.पी. या कलेक्टर की पोस्टिंग ठेके पर होती थी। ठेका राज चल रहा था। चल दिये हैं। सुनते तो मुझे अच्छा लगता। वसूली का प्रतिशत, जब लेवी वसूली में कोई जेल चल दिया तो उसके बाद एक अखिल भारतीय स्तर का अधिकारी एक जिले में वसूली कर रहा था। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। यह अजय चन्द्राकर नहीं बोल रहा है। तो यदि आप एस.पी. से, पुलिस के अधिकारी से वसूली करवाओगे और छत्तीसगढ़ में कहेंगे कि लॉ एण्ड ऑर्डर रहे और यदि वह लियाकत वाला आदमी है, यदि वह सोच वाला आदमी है, यदि उसके पास अखिल भारतीय सेवाओं के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण है। देश-विदेश की संस्थाओं में काम किया तो वह क्या कर लेगा? इसलिए मैं ब्यूरोक्रेसी की आलोचना नहीं करता। मैं तो राजनीतिक नेतृत्व को ही बोलूंगा। ठगी आपका स्टार्ट-अप है। महादेव सट्टा आपका स्टार्ट-अप है, लेव्ही वसूली आपका स्टार्टअप है, एक्सटार्शन आपका स्टार्टअप है । पुलिस के लिए क्या है ? देखते रहो, जागते रहो, सिटी बजाते रहो । रसूख वालो, आपने उस दिन क्वीन्स क्लब का मामला उठाया था । क्वीन्स क्लब में गोली चली, गोली किसने चलाया, पुलिस को मालूम, पुलिस का काम था उसको तत्काल यहां से बाहर भेजो, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा । उसके सामने कौन रहते हैं ? रामविचार नेताम जी रहते हैं, रमन सिंह जी रहते हैं, अजय चंद्राकर जी रहते हैं, भूपेश बघेल जी का घर है, प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी का घर है, रविन्द्र चौबे जी का घर है, सरोज पाण्डेय जी का घर है । वहां पर यदि गोली चलती है तो बाकी जगहों का क्या हाल है और वहां के अपराधी बचा लिए जाते हैं तो क्या हाल होगा ?

श्री दलेश्वर साहू :- ये चिटफंड कंपनियों को किसने पैदा किया था ?

सभापति महोदय :- ये बीच-बीच में बोलना ठीक नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलने दीजिए । पांच साल में चिटफंड से कितना पैसा वसूला गया ? आपके घोषणा पत्र में था और कितना पैसा बांटा गया ? मैं इस बात की अपेक्षा करूंगा कि दलेश्वर साहू जी जब खड़े होंगे ता इसकी जानकारी जरूर देंगे । हमने मान लिया कि हमने नहीं किया ।

श्री रामकुमार यादव :- अब तो करो ।

सभापति महोदय :- अरे बैठो, हर बात में मत उठो ना । आपका भी नाम है भाई ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, एमन पांच साल तक छत्तीसगढ़ के जनता ला चिटफंड मा ठग दिस । अब दुबारा अउए हौ तो गरीब आदमी मन ला पइसा देवव ना ।

सभापति महोदय :- ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना । आप एक-एक प्रश्न के लिए खड़े होंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इतनी ताकतवर थी । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपको समर्पित । आप मेरी सीट पर आए थे मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं । आपने लोकतंत्र का एक शानदार नमूना प्रस्तुत किया । पांच साल में एक प्रकरण दर्ज हुआ । ए.सी.बी. में एक प्रकरण दर्ज हुआ । ए.सी.बी. का काम क्या था ? धर्मजीत जी, अभी आसंदी में हैं इस कारण नहीं बोल रहा हूं, यहां के कारण बोल रहा हूं । आपके खिलाफ शिकायत है, आप आकर उसको निपटा लीजिए और जो बनेगा कर लीजिए, नहीं तो दर्ज होगा । पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में घूम जाइए, ए.सी.बी. में एक प्रकरण । प्रभु, आप युवा मोर्चा से निकले हैं, आप कह रहे थे मेरे अंदर भी आग है, आपके अंदर भी आग है । केवल एक प्रकरण। अब पुलिस के लिए आपने पद दिये, उसके लिए धन्यवाद् । कल चातुरी नंद जी के प्रश्न में चर्चा हुई, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं । उनकी सुविधा के लिए जो अच्छा कर सकते है कर दीजिए । सबसे कठिन ड्यूटी अगर है तो पुलिस की है, यह मैं स्वीकार करता हूं और उसके पक्ष में बोलता हूं । यदि उसका दुरूपयोग हुआ है तो इधर राजनीतिक कारणों से दुरूपयोग हुआ है ।

सभापति महोदय, बहुत कूद रहे थे, जहां तक आधुनिकीकरण का सवाल है । उनकी घोषणा में था हम इतने सारे सायबर थाना खोलेंगे । मुझे तो नहीं मालूम, मैं ठीक से पढ़ा नहीं हूं कि कितने सायबर थाने खुले ? लेकिन सायबर थाना, ए.आई., आजकल तो फेसबुक में बातचीत करते-करते गोली चल रही है और आदमी गिर रहा है । सभापति महोदय, हम सोचते थे कि हम सबसे अच्छे पॉश इलाके में रहते हैं । वहां तो रोज रात को गोली चलती है, रोज रात को नशेड़ी घूमते दिखेंगे, गाड़ी लहराते हुए चलते दिखती है, यानी ड्रायवर चला रहा है या हवा में चल रही है या कोई चुंबकीय शक्ति चला रही है, मालूम ही नहीं होता । ट्रैफिक जाम वहां का रोज का विषय है । मंदिर के सामने नहीं, फुंडहर थाने में थी । दूसरी समस्या यह है कि मैं छत्तीसगढ़ में सिर्फ रायपुर का विषय उठा देता हूं, भिलाई का विषय उठा देता हूं, रायपुर का विषय और ज्यादा उठा देता हूं । आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने ट्रैफिक के लिए कोई अतिरिक्त बल स्वीकृत किया है ? ट्रैफिक तो विषय ही नहीं है । छत्तीसगढ़ में हो रही दुर्घटनाओं पर मेरी 139 की सूचना लगी है । मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि उसको स्वीकृत किया जाए । रायपुर शहर, कलकत्ता बन रहा है, बैंग्लोर बन रहा है । रायपुर राजधानी है, जहां देखो वहां जाम । मैं चाहता हूं कि पुलिस को कोसने के बजाय, छत्तीसगढ़ में जितनी जगह जाम लगते हैं उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का एक सेटअप स्वीकृत होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, कितनी एस.आई.टी. बनी ? मजाक था, एस.आई.टी, एस.आई.टी का खेल खेल रहे थे। धर्मजीत सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया कि बिलासपुर में गड़बड़ी हो रही है। भूपेश बघेल खड़े हुए और कहा कि अच्छा मैं एक एस.आई.टी. बनाता हूं । कितनी एस.आई.टी. बनी, कितना कार्यकाल था, कितनी रिपोर्ट आ गई और एस.आई.टी. किन परिस्थितियों में बनती है यह जानकारी आप जरूर दे दीजिएगा ।

समय :

2:00 बजे

सभापति महोदय, झीरम घाटी अ हा। गुरूदेव, मैं बार-बार बोलता था, फिर मैं आपके साथ संपूर्ण संवेदना के साथ बोल रहा हूं, आप ही बस मौजूद हैं, आप मंत्रिमंडल में बैठते थे। झीरम घाटी भूपेश बघेल जी के लिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए, वर्तमान आपके जो भी हों उसके लिए, आपकी भावनाएं एक इंस्टूमेंट हैं, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए, वोट पाने के लिए, मेरा आरोप है। क्या किया ? उसने अनुमति दी, इसने अनुमति दी, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, हमने सब कुछ किया। आपने न्यायिक जांच कहा, हमने न्यायिक जांच की, आप बिन्दु को बढ़ा लेते, न्यायिक जांच हमारी थी तो बदल लेते, सी.बी.आई. जांच कहा, सी.बी.आई. जांच, एन.आई.ए. जांच, जितने प्रकार की जांच हो सकती है, सब जांच किए, अब आपने एस.आई.टी. बना दी। हमने कहा था एस.आई.टी. बनाई तो यह माननीय बैठकर कांय-कांय कर रहे थे, आप नहीं मरेंगे इसलिए बोलता हूं कि आरोप हो जाएगा नहीं लगाऊंगा। मैं तो उनके आत्मविश्वास को प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ का मॉडल मानता हूं, अपने आपको अंडर एसेस करता है। इनको इस्तीफा दिलावाईए, एस.आई.टी. उनसे कैसे पूछताछ करेगी ? एकमात्र दो लोग हैं, जिनको मैं जानता हूं, मैं तीसरे चौथे को नहीं जानता। एक आपका संगठन देखता है, एक आपके मंत्रिमंडल में मंत्री थे, झीरम के प्रत्यक्षदर्शी हैं। किसने मना किया था कि इनसे पूछताछ करके दस्तावेज मत लें ? इसी सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इसी सदन में कवासी लखमा जी भी हैं, ये जानने का जरूर अधिकार है कि अस्पताल में क्यों डांट रहे थे ? उनको क्या बात बताने से मना कर रहे थे? उनके जेब में कौन सी पर्ची थी जिसको निकालकर गायब कर रहे थे। सदन को यह भी जानने का अधिकार है। यह भी झीरम के पीड़ितों को जानने का अधिकार है। क्यों लेट हो रहा है, यह भी जानने का अधिकार है ? मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि भाई उमेश पटेल जी को ही नहीं, झीरम के अन्याय में, घटना में, जो अधिक से अधिक जांच हो सकती है, जो उमेश पटेल जी कहें, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रकियाओं में तय करके ये होगी और इतने दिन में होगी। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि वह भूपेश बघेल जी के लिए राजनीतिक विषय था। साहब, मैं आपसे यह कहूंगा, मेरा समय हो रहा है। 2259 आरक्षकों की भर्ती निरस्त कर दी गयी है। अब क्यों निरस्त कर दी गयी है, क्यों बेरोजगारों के साथ कर रहे हो ? वे तो पांच साल में बेरोजगारों की परिभाषा ही तय नहीं कर पाए। पांच वर्ष हो गए, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार के रिजल्ट ही नहीं निकल रहे हैं। पुलिसकर्मियों के बारे में जितनी मांग है, आपकी कमेटी जितनी देर में रिपोर्ट दे, दीजिए। आपसे एक आग्रह यह है, पुलिस आधुनिकीकरण में जो नये अपराध हो रहे हैं, उसमें आप जरूर एक्शन लें। ट्रैफिक पुलिस के लिए खासकर रायपुर शहर में सेटअप जरूर मंजूर करें, जो नये चौक हैं, उभर रहे हैं, जैसे मैंने फुंडहर चौक कहा, हमेशा जाम झेलते हैं, एक उदाहरण बस बताया। ट्रैफिक लाईट का तो कोई माईबाप

नहीं है, मेरा 139 शुरू हो जाएगा तो मैं उसमें उदाहरण दूंगा। इसमें पुलिस को मदद की जरूरत है और थोड़ा फ्री हैंड करिए। चलते-चलते जिस विषय को मैंने स्पर्श नहीं किया, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता था लेकिन मिले हुए होने के कारण नहीं बोलना चाहता था, ऐसा नहीं है।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी समाप्त करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, बस दो मिनट में कर रहा हूं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास मंहत) :- आईए।

श्री अजय चंद्राकर :- आ रहा हूं, आ रहा हूं। सभापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। नक्सली समस्या। माननीय विजय शर्मा जी, पुलिस को फ्री हैंड दीजिए, जनक्षति होगी, कोई क्षति होगी, लड़ाई में लोग मारे जाते हैं लेकिन वैचारिक रूप से वामपंथ और दक्षिणपंथ तेल और पानी है। वह बंदूक की लड़ाई नहीं है, वह तेल और पानी की लडाई है। हम यदि पानी हैं तो वह तेल हैं, वह तेल हैं तो हम पानी हैं और तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते या ता वो रहेंगे या हम रहेंगे, सीधी सी बात है। आपके हिसाब से बात करने आ जाएं तो आ जाएं और नहीं तो उनको आने जाने की टिकट हम विधायक दल से देंगे। कम्युनिष्ट कैसे हैं, देखने के लिए चीन भेजिए। कहां पर गरीबी है, कहां पर शोषण है देखिए। सिर्फ लोकतंत्र नहीं होना, कम्युनिष्ट नहीं होना नहीं है। वहां लोकतंत्र भर नहीं है। बाकी दुनिया के बड़े-बड़े पूंजीपति हर प्रांत में बैठे हैं तो चीन में बैठे हैं। अगर शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए भेजिए। यदि शोषण है तो आज के पेपर मे है कि नल जल योजना के ठेकेदारों को चेतावनी दी गयी। वे क्यों विरोध करते हैं। क्या उन सीमाओं पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं ? उसके बाद यदि वे हमारे आदिवासी हैं तो। पुनर्वास नीति, आप फिर से समीक्षा करके इतनी अच्छी बनाईए कि यहां के नक्सली यहीं सरेंडर करें, तेलंगाना और हैदराबाद जाकर सरेंडर मत करें। उसकी समीक्षा की जरूरत है। दूसरी बात, आप ऐसा नियम बनाएं कि जो बस्तर में रहे, वह वर्षों तक बस्तर में ही न रहे और उसको राजनीतिक अप्रोच न लगानी पड़े। जो वर्षों तक एक ही स्थान में है, उसको एक निश्चित अवधि में वहां से बदल दिया जाए। चाहे वह कोटवार से लेकर I.G. (नक्सल ऑपरेशन), A.D.G. (नक्सल ऑपरेशन) तक हो। उनको समयबद्ध तरीके से बदला जाए। आप ऊपर के अधिकारियों को तो बदल देते हैं लेकिन यदि नीचे का कर्मचारी कुंआकोण्डा में है तो उसकी जवानी कुंआकोण्डा में ही निकल जाती है। आप उसका कोई सॉफ्टवेयर बनाइये। ताकि उसका मनोबल बना रहे कि यदि मैं ड्यूटी में जा रहा हूं तो 2-3 साल में मैं लौटकर घर जाऊंगा। हर स्तर पर लड़ाई जारी रहे। आज आपने गोंडी में एक योजना की घोषणा की है - हमर गांव, सबसे अच्छा गांव। आप सेवा कीजिए, आपको मेवा मिलेगा। आपको आशीर्वाद मिलेगा। उसमें सिर्फ गांव को ही नहीं, बल्कि आपने जितने बिंदु बताये हैं, उसमें आप पूरी सरकार को लगाइये।

माननीय सभापति महोदय, अभी जेल विभाग के नये A.D.G. जेल में गये थे तो उनके साथ S.P. भी थे। लेकिन इतनी चौकसी के बाद भी वहां पर लंद-फंद चीजें मिल गईं। दूसरी बात, हमारी क्षमता 14,000 के आसपास है और कैदी 19,000 के आसपास है। आप अपनी क्षमता में वृद्धि कीजिए। तीसरी बात, अपराधी कह देने से काम नहीं चलेगा। किसी ने उत्तेजना व जोश में कुछ कर दिया तो उसके लिए सुधारात्मक उपाय हैं। आज कल बुद्धम् शरणम् गच्छामि। विपश्यना से लेकर ध्यान और योग की इतनी सारी विधियां आ गई हैं। उनके ईलाज की व्यवस्था, समय में उनकी पेशी की व्यवस्था, उनके वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की व्यवस्था और जो-जो चीजें हैं, शासकीय लापरवाही के कारण उसकी वह अवधि न छूटे। आपको इसको देखना जरूरी है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनको हम प्रतिवर्ष रिहा कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको विधिक सहायता नहीं मिल रही है और जिसके कारण वह जेल में हैं। इसके लिए कमेटी बनाकर इसको जानना जरूरी है। अंत में एक बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज इस विधान सभा सत्र के दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन है। हमारे घोषणा में आयोग बनाने की बात है। माननीय, आप पुलिस मंत्री हैं। जब सामान्य प्रशासन मंत्री जी मांग करेंगे तो मुझे उनके विभाग में भी बोलना है। हम रोज प्रश्न कर रहे हैं तो रोज आश्वासन मिल रहे हैं। आपने कहा कि आप 3 महीने में चीफ सेक्रेटरी से उसकी जांच करांएगे। हमें किसी को फंसाना नहीं है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, परंतु रूरल के 1 करोड़, 5 लाख रूपये किसे दे दिये गये, उसको तो आपको जांचना ही होगा। 800 करोड़ रूपये की पोताई हो गई। 2,000 रूपये प्रतिनियुक्ति भत्ता दे रहे हैं। वह जनधन, लोकधन है तो उसके दुरूपयोग को तो रोकना पड़ेगा। यदि आपने आयोग बनाने की घोषणा की है तो आप आयोग क्यों नहीं बना देते हैं कि उनकी जो-जो शिकायतें हैं, उनको यहां दर्ज करवाएं और छः महीने से एक-डेढ़ साल में वह आयोग सारी जांच रिपोर्ट देगा। जिसने गलती नहीं की है, वह न करें।

सभापति महोदय :- आप समाप्त कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश बघेल जी ने अपने तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है कि A.C.B. में एक प्रकरण दर्ज हुआ। उससे छत्तीसगढ़ की जो छवि बनी। आपके कंधों पर एक मजबूत बोझ है कि छत्तीसगढ़ के माथे पर एक्सटॉर्सन, लेवी, करप्शन और वसूली का जो टीका लगा, उन सबसे छत्तीसगढ़ को मुक्त बनाइये और गरीबों की अच्छी सेवा कीजिए। Rural Development कागजों पर ही न रहे। यदि वह 72 प्रतिशत लोग मजबूत होंगे तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत और विकसित होगा। छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए ग्रामीण छत्तीसगढ़ को मतबूत करना जरूरी है। आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप अच्छे से उठाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भांजा जी इतने विद्वान हैं और आपकी पार्टी के इतने वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे यह सुनकर दु:ख होता है कि उनको प्रदेश के हित में लागू होने वाली बातों को सदन में बोलना पड़ रहा है। उनके तो मैसेज में हो जाना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- अभी संसदीय सचिव बनाने की तैयारी है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- का पहिली मंत्री मन तुंहर मन के सुनत रीहिस हे ? जब विधायक मन बोले कि अधिकारी मन के पास जाथन तो बोलथे कि हाऊस से बोलवाओ। विधायक मन के सुनवाई नहीं होत रीहिस हे।

श्री अजय चंद्राकर :- दलेश्वर जी, अब आप देखिये कि थोड़े दिनों में सत्र के बाद मूंछें फड़कनी शुरू हो जाएंगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय वरिष्ठ मंत्री जी, मैंने आपसे इसलिए निवेदन किया था क्योंकि हम लोग पहली बार चुनकर आये थे। हममें और अजय चंद्राकर जी में जमीन और आसमान का अंतर है।

सभापति महोदय :- आप दलेश्वर जी को बोलने दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान मांग संख्या- 3, 4, 5, 30, 80, 46 एवं 47 के विरोध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, रामचरित मानस में चार काण्ड किष्किंधा कांड, सुन्दर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है, सभी लोग जानते हैं । उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन लिखा हुआ है और हम सब लोग इसी कलयुग में हैं । अब इस कलयुग में राजा कैसे होंगे, रंग कैसे होंगे, प्रजा कैसे होगी, मजदूर कैसे होंगे, इन सारी चीजों का वर्णन हजारों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेख में लिखा है । सब लोग विद्वान लोग हैं । आज हम सब लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि उस कलयुगी वातावरण का स्वरूप बोली, वचन से कलयुग दिखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जैसा अजय चन्द्राकर जी का भाषण हम लोग सुन रहे थे । उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 'क' का एक उल्लेख है-

"सुनु *खगेस कलि कपट* हठ दंभ द्वेष पाषंड"।

"मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे ब्रह्मंड" ।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, कलयुग केहे तो मोला एक ठी अउ याद आ गे, ए मन बर ए - "कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर-सिमर नर उतरहिं पारा"। एमन कलयुग में नहीं उतरैं, हमन सिमर-सिमर के उतर पार हो जाबो ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आप चाहेंगे तो मैं इसका अर्थ भी बता सकता हूं, मैं लिखकर लाया हूं ।

सभापति महोदय :- आपने दोहा पढ़ा है तो अर्थ भी बता दीजिए न ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, सुनिए कलियुग में कपट, हठ)दुराग्रह(, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि और मद आदि इस ब्रह्माण्डभर में व्याप्त हो रहे हैं, जिसमें कुछ लक्षण आज हमें महसूस हो रहा है ।

"तामस धर्म करिहिं नर जप तप ब्रत मख दान' ।

"देव न बरषहिं धरनी बए न जामहिं धान" ।।

यह उसी उत्तरकांड का यह दोहा 101 (क) है । देव न बरषहिं धरनी बए न जामहिं धान ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में एक दिन दलेश्वर जी की राम कथा करवा दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा ।

सभापति महोदय :- सत्र में कार्यक्रम होंगे ही न तो उसमें दिखवा लेंगे । साहू जी, आप तो अर्थ समझा दीजिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, यदि मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और आदि धर्म-दान तामसी भाव से करने लगे । मतलब प्रदेश या देश का जो वातावरण है । मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और आदि धर्म-दान तामसी भाव से करने लगे हैं, देवता, पृथ्वी, जल नहीं बरसे और बोया हुआ अन्न उगता नहीं, ऐसा वातावरण हो रहा है, जिसके लिए मुझे उल्लेख करना पड़ा और यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है, जो कलयुग के वर्णन में लिखा हुआ है, इसे आप भी पढ़ सकते हैं, हम सब पढ़ सकते हैं । हमारे प्रदेश में लक्ष्मण मस्तुरिया नामक कवि हुआ करते थे, शायद आप भी जानते होंगे । इतने शानदार कवि थे । उन्होंने "मोर संग चलव" बहुत शानदार गीत लिखा, वे इस दुनिया से चले गए । "आंसू बीच लहू की बिजली अउ आगी बर जाही रे" मतलब अगर मैं किसी सच बात को बोलूंगा तो आंख में ऑंसू बहने लग जाएंगे । उन्होंने एक अंतरा लिखा है कि "लबरा धरे ईमान के झंडा, कोलिहा बाघ के भेष मा", आपको अर्थ समझ आ रहा होगा । "लबरा धरे ईमान के झंडा, कोलिहा बाघ के भेष मा", "कुकर्मी रखवार इहां के, राम किसन के भेष मा" ।

श्री उमेश पटेल :- यह किसके लिए dedicated कर रहे हैं ?

श्री दलेश्वर साहू :- जो अपने लिए समझ ले ।

श्री उमेश पटेल :- अच्छी, ठीक है ।

सभापति महोदय :- अब कविता से थोड़ा आगे बढ़ जाईए ।

श्री दलेश्वर साहू :- बढेंगे । एक अंतरा और बच गया है । "कतहा कतको तन-मन रंग ले, का कपिला बन जाही", ये कितना भी करें, इनका जो रंग-रंगत है, चाहे कुछ भी करे, चाहे चंदन लगा ले,

चाहे गमछा पहन ले, इनके मनों में जो विचार है, वह तो अंदर में है, वह तो भाव आएगा ही । अब मैं आगे बढ़ता हूं ।

सभापति महोदय, मैं पुलिस विभाग से शुरूआत करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- कविता की बात पूरी हो गई न ?

श्री दलेश्वर साहू :- हां, हो गया । सभापति जी, थोड़ी भूमिका तो बांधनी पड़ेगी । वे इतना द्वंद शब्द बोलते हैं, हम लोगों को सहन नहीं होता ।

सभापति महोदय :- मैं तो आपको पूरा अवसर दे रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी तो कविता सुनाए हे, कहानी सुना दे, हाना सुना दे ।

श्री उमेश पटेल :- ओकर बर हे न, पीछू में बईठे हे ।

सभापति महोदय :- साहू जी, आपने पूरी तरह से तसल्ली से सुना लिया, अब आप आगे बढ़ जाईए ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब तो पुलिस विभाग में आ गया हूं ।

सभापति महोदय :- पुलिस में आ जाईए ।

श्री दलेश्वर साहू :- हमारे पुलिस विभाग, कानून, सुरक्षा व्यवस्था, धार्मिक- सामाजिक आयोजन/प्रयोजन के द्वारा होन वाली गड़बड़ी की पूरी सतर्कता के साथ शांति कायम बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसमें प्रशासन शाखा, नक्सल अभियान, योजना प्रबंध, अपराध अनुसंधान विभाग, ये सारे विभाग इनके अधिनस्थ है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े-बड़े ओहदे पर अधिकारी कार्यरत हैं। हम बहुत सारे विभागों का प्रतिवेदन पढ़ते हैं परन्तु मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारा क्लीयर पता चल जाता है कि उनका दायित्व क्या है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है। तो सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि आप जब भी आगे प्रतिवेदन बनायें, क्योंकि आपके प्रतिवेदन से ही हमें सीखने को मिलता है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे उन सारी योजनाओं को पुलिस विभाग स्पष्ट बताने का प्रयास नहीं कर रही है। हम लोगों को पिछले वर्ष के प्रतिवेदन को पढ़ना पड़ रहा है। अभी तो प्रतिवेदन बहुत पतला कर दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक-एक योजना को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें। जैसे पूरा छत्तीसगढ़ 7 पुलिस रेंज में बंटा है और उस 7 रेंज में पुलिस की कार्य प्रणाली क्या है जैसे अपराध को कैसे कन्ट्रोल करें, नक्सली को कैसे कन्ट्रोल करें, विशेष शाखा का क्या काम है, सजबल शाखा का क्या काम है, प्रशिक्षण शाखा का क्या काम है, यह प्रतिवेदन में उल्लेख होना चाहिए। जिससे हमें पता चले कि इस-इस शाखा का यह-यह दायित्व है और उनका क्या कार्यप्रणाली है, यह उल्लेखित होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आगे इस प्रतिवेदन में स्पष्ट होना चाहिए।

सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि मैं पिछले विधानसभा में सुरक्षा को लेकर शुरूआत में एक ध्यानाकर्षण लगाया था। मैंने आपसे निवेदन भी किया था। यह इस प्रतिवेदन में उल्लेख भी है, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में प्रतिवेदन में उल्लेख है, मै उसी को पढ़ रहा हूं, राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था बनाये रखना पुलिस का प्रथम कर्तव्य है। वर्तमान सुरक्षा के परिदृश्य विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशिष्टि व्यक्तियों, गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा श्रेणी उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रवास, स्थानीय कार्यक्रम के अवसर पर प्रदत्त सुरक्षा श्रेणी के मापदण्ड के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना अनिवार्य है। विशिष्ट व्यक्तियों के प्रवास के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाने, संपूर्ण कार्यक्रम शांति से सम्पन्न हो सके, यह विशेष शाखा का काम है। मुझे तीसरी बार विधायक बनने का अवसर मिला है। डॉ. रमन सिंह जी भी उसी क्षेत्र से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनको पूरा पता है। जब मैं तीसरी बार विधायक बना, जैसे ही आपकी सत्ता आई। मेरा नक्सल बेल्ट क्षेत्र है। अगर आप मेरे नक्सली क्षेत्र को देखेंगे तो बस्तर की तुलना में राजनादगांव, मेरा विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव से लगा हुआ है। मेरा क्षेत्र पड़ोसी राज्य से घिरा हुआ है। आप जब से सुरक्षा बंद कर दिए हैं तब से मैंने वहां जाना बंद कर दिया है। मुझे अब अहसास होता है कि जाऊं तो जाऊं कैसे ? आपने मेरे लिए पुलिस की व्यवस्था की है, उसको भी बंद कर दीजियेगा। आपने मुझे गनमैन दिया है, वह बंद कर दो, लेकिन जिस जनता ने मुझे तीसरी बार विधायक बनने का सौभाग्य दिया, तो क्या उनसे मिलने, उनके परिवार की बेटी की शादी में ना जाऊं ? सभापति महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। मैंने डॉ. रमन सिंह जी से मिलने का प्रयास किया। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप उस क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री हो और मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं जबसे चुनाव जीता हूं, मेरे पास थाने से जो आदमी आते थे, वह भी बंद हो गया। मेरे साथ जो फॉलो भेजते थे, उसको भी बंद कर दिया गया है। मैंने अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश की। यदि वह ग्राह्य हो जाये ताकि उसी बहाने इस पर चर्चा कर लूं। इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं बिलकुल सुरक्षा नहीं रखूंगा। जहां मेरा फार्म हाऊस है, वह शहर से दूर है, मुझे दूर रहना पंसद है। लेकिन मैं अपनी जनता के साथ मिलने का जो अवसर है, उसको आप ना छीनें, इसीलिए आज मैंने रामचरित मानस काण्ड का उल्लेख किया है। ...(जारी)

श्री श्रीवास

श्रीवास\16-02-2024\d14\02.20-02.25

(पूर्व से जारी) श्री दलेश्वर साहू :- जब से मैंने चुनाव जीता है साहब, थाना से जो आदमी आते थे, वह भी बंद है । मेरे साथ फॉलो भेजते थे, वह भी बंद कर दिये। मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से कोशिश

किया था कि अग्राहय हो तो मैं उसी बहाने चर्चा कर लूं । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि या तो मैं बिल्कुल रखूंगा ही नहीं ? मेरा जहां पर फार्म हाऊस है, मैं दूर पर रहता हूँ । मुझे रहना पसंद है, लेकिन मुझे जनता के साथ जाने का अवसर है, उसे आप न छीने । मैंने इसीलिए रामचरित मानस के कांड का उल्लेख किया है, आप इस सभा में मेरे बारे में सौहार्दपूर्ण विचार कर सकते हैं । सभापति महोदय, आप थोड़ा सा निर्देश करें कि क्या मैं उसी स्थिति में रहूं ? अगर मेरे कारण ज्यादा खर्च हो रहा होगा, मैं जी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है । अपने इलाके में जैसा भी हो, कोशिश करूंगा । मुझे सुरक्षा जो दी गई थी, उसे भी कटौती कर दीजिएगा । मैं अकेला जाऊंगा । मेरे क्षेत्र की जनता के साथ मिलने का अवसर प्रदान करें ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट बस बोलना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी, जब आप भाषण देंगे, मैं चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में इसमें स्पष्ट होनी चाहिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, अभी भी बोला जा सकता है, उसमें ऐसा नहीं है ।

सभापति महोदय :- आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, मंत्री जी उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे । बोल तो रहे हैं ना ?

श्री जनकलाल ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य बता रहे हैं, जिस प्रकार से सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वैसा ही मेरे साथ में है। मैनपुर का तो उड़ीसा से लगा हुआ सुदूर क्षेत्र है, वहां भी लगभग 8 पंचायत पड़ता है।मेरे को भी वहां जाने नहीं देते हैं । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सुरक्षा की व्यवस्था करें तो बेहतर होगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, इसी में मेंरा भी है...।

सभापति महोदय :- देखिये, मंत्री जी बोल रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय सभापति जी, माननीय दलेश्वर सिंह जी ने और माननीय देवभोग के विधायक जी ने अपनी समस्या बताई है, निश्चित रूप से शासन, जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसका पुनरीक्षण करके, वह अपने क्षेत्र के दौरे पर जायें । उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिले, इसकी हम चिंता करेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है ? धन्यवाद दे दीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ठीक है, सभापति महोदय । धन्यवाद अग्रवाल साहब ।

श्री जनकलाल ध्रुव :- धन्यवाद आदरणीय ।

सभापति महोदय :- आपका क्या था ? आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मेरा भी प्रश्न शेम यही है । मेरे भी क्षेत्र में नक्सली वारदात हो गये हैं । जैसे हम थाना में सूचना देते हैं...।

सभापति महोदय :- सुनिये न, आप जो भी प्राब्लम है ना, गृह मंत्री जी और संसदीय मंत्री जी से बात कर लें । वह हो जायेगा । हां, आप बोलिये भाषण में ?

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, कानून की व्यवस्था लगातार पेपरों में छप रही है । प्रदेश में दिसम्बर 2023 तक 48,675 लोग लापता है । सभापति महोदय, रायगढ़ जिले में हर महीने 68 लोग लापता हो रहे हैं । आज पुलिस विभाग की चर्चा है । हमने यह कोशिश की है कि प्रदेश में क्या स्थिति बनी है ? सभापति महोदय, इसी जिले में मानव तस्करी अधिकतर मामले आ रहे हैं । मानव तस्करी के रोकथाम हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा । सभापति महोदय, सड़क दुर्घटना राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार राज्य में वर्ष 2022 में 16,853 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है । जैसे कि अभी चन्द्राकर जी ने कहा कि ट्रैफिक के लिये आप क्या किये हो ? कितना भर्ती किये हो ? हो सकता है कि हमारे कर्मचारी नहीं होने के कारण, व्यवस्था कंटोल नहीं होने के कारण, यह जो सड़क दुर्घटना का आंकड़ा है, जो फिगर आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह NCRB के रिपोर्ट के तहत है । टाईम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2022-2023 में सड़क दुर्घटना में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह आपके सरकार आने के बाद के आंकड़े हैं । सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर समीक्षा करें, इसे कैसे रोक सकते हैं, इसका प्रयास करें । इन आंकड़ों को देखते हुये सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु उचित प्रबन्ध करेंगे । सभापति महोदय, जहां तक यातायात व्यवस्था की बात है, हमारे अजय चन्द्राकर जी ने इस बारे में चिंता की थी, राज्य के यातायात व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है । ड्राइविंग लायसेंस, बीमा को ऑनलाईन करना चाहिये । लायसेंस की अवधि, बीमा अवधि के साथ ही एक्जाई करना चाहिये, जिससे बिना बीमा के कोई भी वाहन सड़क पर न चले । ऐसा हम दु:ख प्रकट कर रहे हैं । सभापति महोदय, नक्सल जिलों में पदस्थ कर्मचारियों को समय-समय पर मैदानी इलाकों में पदस्थ करना चाहिये और जहां तक नक्सल बेल्ट का मामला है....।

सभापति महोदय :- हो गया समाप्त ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, अभी तो शुरूआत ही नहीं हुआ है । थोड़ा से हल्का-हल्का और ? दो-दो लाईन ।

सभापति महोदय :- जल्दी खत्म करिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, अभी यह बोल रहे थे कि आपने चिटफण्ट कंपनी के विषय में क्या किया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- आप जवाब दीजिये ना। मैं कहां मना कर रहा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार ने आम जनता के साथ ठगी करने वाली चिटफण्ट कंपनियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए 700 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। हमारी सरकार के माध्यम से माननीय न्यायालय द्वारा लगभग 99 प्रकरणों में 144 करोड़ की संपत्ति

की नीलामी के आदेश दिये जा चुके है। यह बोल रहे थे कि आप कोई एक-आत फिगर बताईये, मैं बता रहा हूं। जिनमें राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रूपये की राशि नीलामी वसूल कर प्राप्त हुई है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से पुलिस के द्वारा उन निवेशकों को उनकी राशि वापस कराने का कारगर कदम उठाया गया था। निवेशकों को 37.96 करोड़ रूपये लौटाये जा चुके हैं। आप नीलामी से प्राप्त शेष राशि भी निवेशकों को लौटाने का कार्य प्रगति पर लायेंगे या नहीं लायेंगे, वह आपकी जिम्मेदारी है। इस विषय को माननीय चन्द्राकर जी ने छेड़ा था, इसलिये मैंने इसे कोट करने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि नक्सल क्षेत्र में रहने वाले जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या होने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जायेगी। भूमि क्रय करने हेतु 15 लाख रूपये से अतिरिक्त राशि दी जायेगी। तीन वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर दो एकड़ भूमि स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट दी जायेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों हेतु प्रमुख प्रावधानों में समर्पित राऊण्ड के लिये प्रति राऊण्ड 05 रूपये के स्थान पर 50 रूपये किया गया है। प्रत्येक नक्सली को समर्पण प्रोत्साहन हेतु 25 हजार रूपये की राशि दी जायेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लागू की गयी है। सक्रिय 05 लाख रूपये से अधिक के ईनामी नक्सली को आत्मसमर्पण करने पर 10 लाख रूपये की राशि दी जायेगी। तीन वर्ष पश्चात चाल-चलन की समीक्षा उपरांत राशि प्रदान की जायेगी। यदि समर्पित नक्सली द्वारा 03 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय की जाती है तो उसको 02 एकड़ भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी। हमारी पूर्व सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली भाई-बहनों के लिये ऐसी कई लाभकारी योजनाएं लागू की है।

सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टिकोण से शासन द्वारा अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा एप्प विकसित किया गया, जिसका शुभारंभ वर्ष 2022 में किया गया। महिलाओं के कानून में, अभिव्यक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक करने के प्रयास हेतु महिला विरूद्ध अपराध अनुसंधान की इकाई के रूप में राज्य के छः जिलों में आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. का गठन किया गया है। राज्य के चार जिलों में पृथक से महिला थाना संचालित किये गये। राज्य के समस्त 455 पुलिस थानों में थाना स्तर पर महिला सेल चौकी का गठन किया गया। जिला स्तर पर महिला से संबंधित प्रकोष्ठों के लिये सिटीविन कैमरा, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिये वर्ष 2018 में क्षतिपूर्ति योजना लागू की गयी। यह बोल रहे थे कि आपकी सरकार ने क्या-क्या किया। वह तो इसे नहीं पढ़े होंगे। जब किसी को किसी की कमजोरी देखने की आदत हो जाये तो उनकी अच्छाई कहां दिखती है।

सभापति महोदय :- हां, आपने बता दिया। अब जल्दी से और आगे बढ़ जाईये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, अब मैं दूसरे विषय में आ जाता हूं।

सभापति महोदय :- आईये-आईये।

श्री दलेश्वर साहू :- मुझे बोलना तो बहुत है परंतु समय का अभाव है। पंचायत एंव ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के पास बहुत जिम्मेदारी का पद है। इस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में ऐसे-ऐसे महापुरूषों का नाम जोड़ा गया है। इसमें चाहे वह विपक्ष के बड़े नेता हो, चाहे पक्ष के बड़े नेता हो और आपका भी, हमारा भी और अन्य लोगों का नाम जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना, अटल समरसता योजना, सुराजी गांव योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, आप देखिये कि कितने जिम्मेदार लोगों का नाम योजना में जोड़ा गया है और वह योजना धरातल से दिखाई न दे तो मैं सोचता हूं कि इस ढंग से क्या होगा। हमारे साहब जी के पास इन योजनाओं के नाम के अनुरूप उस गांव के विकास की जिम्मेदारी है । एक और योजना, दीनदयाल अन्तयोदय भी नाम है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्यामा प्रसाद मुकर्जी राष्ट्रीय रूबन योजना जो है मेरे क्षेत्र में मुझे हराने के लिए प्रधानमंत्री को उतारा गया था। मेरे 15 गॉवों में रूबन योजना के विकास की बात की थी, उन्हें और कहीं नहीं दिखा। एक गंगू तेली के क्षेत्र में उस योजना को विकसित करके, इसे कैसे भी हराया जाये। ऐसी श्यामा प्रसाद मुकर्जी राष्ट्रीय रूबन योजना थी। हालांकि मैं सौभाग्यशाली रहा। मैंने उन्हीं योजनाओं को बहुत सुचारू रूप से, चतुराई और सतर्कता से दिमाग लगाकर, उस क्षेत्र में काम किया। जैसे मैंने ही उस योजना को लाया था, यह मेरी ही लॉन्च की ही योजना थी। मुझे थोड़ा जागना पड़ा, रात को मेरी नींद हराम हुई। फिर ऐसा कोई वातावरण हो जाए तो मैं निपट न जाऊं। वहां प्रधानमंत्री जी का उतारा गया। मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क का उल्लेख कर रहे थे। यह इतनी शानदार योजना है इसे आपके क्षेत्र में भी दिये होंगे। हर विधान सभा के हर विकासखण्ड में दो-दो इंडस्ट्रीयल पार्क, पहले इसे गुड़ी ऐसा कहा जाता था उसे चेंज करके, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क, रीपा इतनी शानदार योजना है और यह योजना बहुत Successful है।

सभापति महोदय :- अब आप थोड़ा समाप्ति की ओर बढ़िये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं अटल समरसता भवन की बात कहना चाहूंगा। मतलब आपके नेता का नाम, हमारे नेता का नाम अगर यह केवल नाम रह जाये और कहीं काम न हो तो अटल समरसता भवन में सुंदर-सुंदर कल्पना की गई है । जिसमें 3 हजार समुदाय के लोग हों, वहां पर शादी ब्याह के लिए किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको 19 लाख कुछ रूपये, उसे अटल समरसता भवन का नाम दिया गया, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके कार्यकाल में नाम ऐसा रखा जैसे अभी फिर से कल पता चला कि शहरों में अटल भवन बनायेंगे। क्या कोई योजना केवल नाम से करने से सफल होगी। माननीय मंत्री जी, उसको धरातल में उतारना पड़ेगा। आप इस अटल समरसता भवन में चिन्तन, मनन करें। इसमें कहीं भी किसी राजनीतिक प्रभाव से वंचित हो। जहां हजार या दो हजार की

संख्या में कहीं भी न बनाएं । आपने यह नियम बनाया है कि 3 हजार से 5 हजार की जनसंख्या होनी चाहिए तो आप यह दे दीजिए। चाहे वह कांग्रेस का विधायक रहे या भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहे। चाहे किसी अन्य दल का विधायक हो। यह तो नियम रूल्स एण्ड रेग्युलेशन में है, पर यह कभी लागू नहीं हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दलेश्वर जी, वह चिट फण्ड के बारे में पूछ रहा था कि कितनी कार्यवाही हुई, कितना पैसा वापस हुआ।

सभापति महोदय :- उन्होंने बता दिया है। माननीय चन्द्राकर जी आपकी अनुपस्थिति में पूरी बात बता दी है कि उसमें कितनी जप्ती हुई, कितना बंटा है ? आप आगे बोलकर, अपनी बात समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- मैंने बता दिया है।

माननीय सभापति महोदय, एक स्वामी विवेकानंद भी योजना में शामिल है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सारे मुख्यमंत्री, सांसद, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे, अटल जी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम, श्यामा प्रसाद मुकर्जी का नाम, सांसद का नाम, एसे महापुरूषों के नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा। इसको आप बिना दलगत राजनीति से हटकर, पूरे क्षेत्र में यह योजनाएं जाएं। मैं ऐसा चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय पंचायत, गृह, जेल और तकनीकी शिक्षा मंत्री की अनुदान मांगों में समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहले प्रधान मंत्री आवास से अपनी बात शुरू करता हूँ। अगर हम प्रधान मंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत सन् 2022-23 में केवल 800 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2023-24 में 3 हजार दो सौ अड़तीस करोड़ रूपये का प्रावधान था। जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 8369 करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय मंत्री जी ने बजट में रखा है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में 158 प्रतिशत अधिक वृद्धि की है, इसलिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सामाजिक, आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार स्थायी प्रतीक्षा सूची में आवास स्वीकृति के बाद शेष बचे 6,99,430 परिवारों को आवास प्लस में शामिल किया तथा 8,19,999 परिवारों को पक्का आवास दिये जाने हेतु यह बजट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत भूपेश सरकार के द्वारा 47,090 आवास को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लगभग 18 लाख आवास तो बनेंगे ही, पर बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं,

जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्वे कराया गया, उसमें भी लगभग 2000 लोग अपात्र पाये गये। फिर उनको पुन: पात्रता है या नहीं, आप जांच करायेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद उस समय तात्कालिक रूप से जो 2 महीने के अंदर में सर्वे हुआ, उस समय वह सर्वे में छूट गये होंगे। जिसमें बहुत से गरीब, निर्धन हैं, जिनके मकान भी नहीं हैं, दूसरे के मकान में रहते हैं, इधर-उधर बाहर घूमते रहते हैं तथा कहीं कमाने-खाने के लिये जाते हैं, वही रोड में रहते हैं। आप ऐसे लोगों की जांच कराकर आवास देंगे, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई और जांच कराकर आवास को स्वीकृति दी, ऐसे लोगों के लिए ऐसी जांच और करायेंगे, मै ऐसी आपसे आशा करता हूं। जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और अधिक विश्वास पैदा होगा, पैदा होते रहे आवास, होगा आपका ज्यादा भाजपा के प्रति विश्वास और आप किसी को न करें उदास, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, वह सड़के बन जाती हैं तो 05 वर्ष तक ठेकेदार द्वारा उसके रखरखाव के लिए राशि सुरक्षित रहती है, 10 वर्ष के बाद पुन: उस रोड का नवीनीकरण या चौड़ीकरण किया जाता है। पूरे प्रदेश में ऐसी बहुत सी रोड हैं जो 20 प्रतिशत ही बनाई गई हैं, बाकी रोड ऐसी हैं। 05 साल से जो रोड बनी हुई है, संचित निधि से उसका निर्माण कार्य पूर्ण है। यदि पूर्ण भी है तो उन रोडों का रखरखाव नहीं हो रहा है। मैं रोड के बारे में दो-चार उदाहरण बताना चाहूंगा। मुंगेली से छटन, मुंगेली से झलियापुर, मुंगेली से भठलीकला, मैं आपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर मैं प्रदेश की बात करना चाहूं तो ऐसी अनेक रोड हैं जो रखरखाव नहीं होने के कारण गड बड़ हो चुकी हैं। अभी हम लोगों ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हो या मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ड़क हो, हाईवा चलने के कारण, ठेकेदारों के कारण, कोयला, गिट्टी, रेती ढूलाई वालों के कारण, 10 टन की या 15 टन की केपिसिटी की रोड है, लेकिन 25-40 टन के ट्रक या अन्य बडी गाड़ियां रोज जाती हैं, इसके कारण सड़कें खराब हो जाती हैं। उसको बनाने करने वाला न प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वाला और न मुख्यमंत्री सड़क वाला है और न कोई उन रोडों की तरफ ध्यान देता है। या तो जो गड़बड़ करने वाले हैं, उनसे वसूली की जाये। या तो फिर इन रोडों में ऐसे वाहनों के निकलने पर प्रतिबंध लगाया जाये, क्योंकि आप गृहमंत्री भी हैं।

समय :

2.38 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

ऐसे जो ढुलाई करने वाले हैं चाहे ठेकेदार हो या अन्य कोई भी हो, उनको इतने ही टन की अनुमति हो, बाकी की न हो। जो ऐसी गाड़ियां चलाते हैं उन गाडियों का सीज किया जाये, मैं ऐसी आशा

करता हूं। जिससे पूरे प्रदेश की रोड खराब होने से, जर्जर होने से, आवागमन की सुविधा अवरूद्ध होने से बचेगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क में भी 05 वर्ष के बाद रोड खराब हो जाती हैं। बहुत सी रोड उखड़ गई हैं, डामरीकरण नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मुंगेली क्षेत्र के भालापुर से दुल्लापुर-अचानकपुर ऐसा मार्ग है जो पूरी रोड ही उखड़ गई है। उसमें डामरीकरण नहीं है, उस रोड की गिट्टी भी उखड़ गई है। दबो से छटन रोड भी ऐसा ही हाल है। पंडोतरा से सेतुगंगा से लेकर परसवारा तक है, वह भी रोड खराब हो चुकी है। ऐसी रोड को अनुमति दी गई है। कुछ ऐसी रोड भी बची हैं जो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोड से, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोड से जुड़ गई हैं, मुख्यमंत्री रोड से जुड गये हैं, बाकी एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर का गेप वाले ऐसे रोड हैं। मैं उदाहरण के तौर पर फिर मुंगेली क्षेत्र का उदाहरण दूंगा। मुंगेली क्षेत्र के खारेसरा से उतका, उतका से होते हुए सेतगंगा तक का रोड है, जिसमें आधा किलोमीटर तक डिफरेंस है। एक और उसलापुर रोड है। उसलापुर से दामापुर रोड, दामापुर से टिंगीपुर रोड है, उसमें भी मात्र 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। एक चकरभाठा रोड है। वह रोड चकरभाठा से सिंगबांधा तक जाएगा। वह मात्र एक किलोमीटर है, जिससे आवागमन अवरूद्ध होता है। चारों तरफ से रोड बन गये हैं। ऐसे रोड को आप मुख्यमंत्री रोड से, अन्य रोड से, सुगम सड़क रोड़ से नहीं जोड़ते हैं। आप किसी न किसी योजना में, चाहे समग्र विकास योजना हो या आपके पास कई प्राधिकरण है, चाहे समग्र विकास योजना में, चाहे प्रधानमंत्री में नहीं जोड़ सकते तो मुख्यमंत्री में या फिर आपका अन्य विकास प्राधिकरण से ऐसे रोड को आप जोड़ेगे, जिससे आवागमन की सुविधा ठीक हो, लोग उसमें चल सके। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। अगर मैं मनरेगा योजना की बात करूं तो मनरेगा मतलब मन से रेंगा या तन से रेंगा। योजना का नाम मनरेगा है। मनरेगा का मतलब तन से रेंगा, इस कारण लोग अपने शरीर से मेहनत करके लोग जाते हैं, कमाई करते हैं, वह तनरेगा है। जो मन से काम किया वह मनरेगा हो गया, तन से काम किया वह तनरेगा हो गया। दोनों को कैसे रेगा हो गया? अगर इस बात को कहें तो लोगों को मजदूरी की समस्या होती ही है। लोग मजदूरी करते हैं तो आवेदन जाब कार्ड के हिसाब से काम देते हैं। गाईडलाईन के अनुसार जाब कार्ड के हिसाब से 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर काम देना है। उस गाईडलाईन का पालन नहीं किया जाता है। पालन किया जाता तो उसे समय पर काम मिलता ।

श्री उमेश पटेल :- मनरेगा में सब रेंगा-रेंगा कर देथे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- भाई, रेंग-रेंग कर ही तो चलते हैं, गांव में रेंग-रेंग कर ही तो काम ही करते हैं। सभापति महोदय, उनको लोगों का काम मिल गया है। उनको काम मिल गया तो उसे समय में उसका मजदूरी का भुगतान नहीं होता और जब उसको भुगतान नहीं होता तो मजदूर कहां से पैसा पाएगा? उसको उधारी लेना पड़ता है। कोई समय में काम नहीं पड़ता, वह मजबूर हो जाते हैं। अगर जिन कार्य को मनरेगा योजना के अंदर स्वीकृति की गई है, उसे अनिवार्य किया जाए कि उसका पेमेंट हो।

समय में बना है नया गवर्मेंट और करना चाहिए जल्दी पेमेंट। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। एक और बात है कि समय पर पेमेंट नहीं हुआ तो फाईन देने का नियम है अर्थात् उसको ब्याज देना है। मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सी बात है। आज भी आपने कहा सामग्री में अन्य कार्यों में 436 करोड़ का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा में मजदूर लोगों को दिया है। 32 लाख लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। चाहे वह इस सरकार के कार्यकाल में हो, चाहे उनकी सरकार के कार्यकाल में, आप इस बात पर ध्यान देंगे, जिससे लोगों को रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो रही है, वह जीविकोपार्जन करें। वह इसी कारण तो मजदूरी कर रहे हैं। पर वह मजबूरी है और सरकार न दूरी हो। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। इसका पेमेंट आवश्यक है। एक और बात है कि बेरोजगार को काम नहीं है तो वह दूसरे काम करते हैं। उसको भी रोजगार देने को प्रतिबंध को हटाया जाए। मैं मनरेगा में बता दूं तो 60:40 के रेसियों में काम होता है, जिसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कांक्रीट रोड बनाने का भी नियम है। भूपेश के सरकार में उसको प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे गांवों के लोग 60:40 की रेसियों में काम करते थे। आवागमन की सुविधा के लिए, पी.एच.ई. में बहुत से रोड खराब हैं। नाली खोद दिया गया है। लोगों में आवागमन के असुविधा है। ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां सी.सी. रोड नहीं बनने के कारण उस गांव में आज भी गर्मी में आ-जा नहीं सकते, क्योंकि पानी की समस्या, रोड की समस्या है। जिसके कारण कई लोगों का एक्सीडेंट होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे कार्यों को भी प्राथमिकता दे, आप प्रतिबंध को हटायेंगे । मनरेगा में 60:40 की रेसियों में, सामग्री में तो सभी काम कर सकते हैं। जब आप आंगनबाड़ी बना सकते हैं, स्कूल भवन दे सकते हैं, पंचायत भवन दे सकते हैं, आप पचरी का कार्य दे सकते हैं तो इन कार्य को रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि वह पूर्व सरकार ने काम रोका है। अब हमारी सरकार स्वच्छ सरकार प्रशासन की बात आप कहना चाहते हैं। बहुत से काम के लिए ग्राम पंचायत ऐसे हैं, जहां के सरपंच लोग कार्य के लिए भटक रहे हैं। पांच साल तक, पांच वर्षों तक इस सरकार ने कार्य नहीं दी है। सरपंचों में आक्रोश है। लोग इसी कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में आक्रोश है। लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश न हो। इसी कारण उधर के लोग इधर चले गये अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है । इनको काम करने की जरूरत भी है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम लोग इधर आ गये लेकिन आप उधर नहीं गये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम बीच में हैं । (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बीच में फंस गये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं आपसे यह आशा करता हूं चूंकि इससे लोगों को काम मिलेगा । दूसरा है पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण ।

श्री रामकुमार यादव :- बबा, ऐकरे खातिर कहेंओ कि चलती चक्की देख के जिया कबीरा रोए अउ दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पुन्नूलाल खड़ा होए । (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय,

खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर । काम ले कुछ हसीन होंठो से, बातों-बातों में मुस्कुराया कर ।

चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर ।

कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम आंख तो मिलाया कर ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आंख नहीं मिलाये तो दिल तो मिलाया कर ।

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल जी, अब चालू करिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो खड़ा ही हूं ।

सभापति महोदय :- आप इधर-उधर मत करिये । आप अपनी बात रखिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपको ही देखकर बात कर रहा हूं । मैं तो इधर-उधर देख ही नहीं रहा हूं । इधर वाले भले इधर जा रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं पिछडा वर्ग विकास प्राधिकरण की बात करना चाहता हूं । पिछले समय बहुत सी राशि थी । मैं या तो ऐसा कहूं कि वह लेप्स हो गयी या तो कोलेप्स हो गयी । चूंकि इन्होंने विपक्ष को राशि नहीं दी और ये पता नहीं कैसे-कैसे स्वीकृत करते थे । उसमें राशि है, आपने ज्यादा पैसा दिया है । मैंने बजट में देखा है कि शायद 300 करोड़ किया है लेकिन मैं उस बात को नहीं कहना चाहता । जिस प्रकार से इन लोगों ने इस राशि का स्वार्थपूर्ण बंटवारा किया है उस तरह न हो, राशि का समन्वय हो, राशि के समुचित उपयोग के लिये इस राशि को जल्दी दिया जाये । यह कन्वर्ट की हुई राशि है तो मतलब ऐसा क्यों हुआ ? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बजट भाषण में इस बात को जरूर कहेंगे । दूसरा, पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण बना है, जिसमें 80 लाख रूपये दिये जाते हैं । उस राशि को बढ़ायें क्योंकि 90 विधायक हैं । यदि 1-1 करोड़ रूपये दिये जायेंगे तो फिर 90 करोड़ अर्थात् यदि समानता की बात करें तो इस राशि को और ज्यादा बढ़ाया जाये क्योंकि पिछली सरकार में था । ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं । जो प्रावधान किया गया है, उसको बढ़ाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं जिससे आम लोगों की सुविधा और आगे बढ़े ।

माननीय सभापति महोदय, आपने महतारी सदन बनाने की बात की है । हमारी माता-बहनों के बैठने के लिये कोई जगह नहीं है जिससे वे एक-साथ बैठकर अपनी हर दुख-सुख की बात कर सकें या समाज में अपने स्वत: के विकास की बात कर सकें इसके लिये आपने योजना लागू की है सदन, काम करे दनादन इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं । विजय शर्मा जी आपका नाम है विजय, हर चीज में है विजय । शर्मा, हर बात को फरमा और बात नहीं करना है घर मा, काम करेंगे विधायक विधानसभा में । मैं आपको इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं ।

सभापति महोदय :- चलिये, हो गया ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने केवल दो ही बात की है । यदि मैं जेल के बारे में बात करूं । जेल में लोग चले जाते हैं और जब जेल में जाते हैं तो मरीज को बड़ी कठिनाई होती है, वे बीमार पड़ गये या मान लो उसको हार्टअटैक आ गया या किसी प्रकार की बीमारी हो गयी तो समय में जेलर लोग उसे छुट्टी नहीं देते हैं । आवेदन देने पर वहां स्वत: डॉक्टर करे, डॉक्टर रिफर करे तो कम से कम डॉक्टर वहां एक सप्ताह में जाये, मैं ऐसी आशा करता हूं । जेल में खाने-पीने की व्यवस्था में भी कमी है उसको बढ़ाया जाये । चूंकि खर्च तो होता है लेकिन उसको जेल में अच्छे ढंग से खाना नहीं मिलता है । जो बंदी जेल में बहुत दिन रह गये तो बंदी लोगों के परिवार में यदि मृत्यु हो जाये, शादी हो, दशगात्र हो या उनके घर में अन्य कठिनाई हो तो उन परिस्थितियों में पैरोल की व्यवस्था में बहुत कठिनाई होती है । वह आवेदन स्वत: जेलर को दें या तो वहां कोई अधिकारी ऐसा हो जो उसकी व्यवस्था को देखे । चाहे बीमारी के बारे में हो, पैरोल के बारे में हो जिससे वह अपने परिवार में जाये और उसे जल्दी अनुमति मिले क्योंकि कलेक्टर के माध्यम से अनुमति दी जाती है । वह तो जेल में है । उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है या उनके परिवार में एक ही सदस्य है अथवा उनके परिवार में उनकी पत्नी है या उनके बच्चे हैं या उनके निराश्रित परिवार हैं, ऐसी चीजों के लिए सरकार ध्यान देगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। एक और विषय है। एक्सीडेंट हो गया। अचानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी तो है और वह गाड़ी समय पर नहीं आई तथा एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी। हेमरेज हो गया या और अन्य कोई कठिनाई हो गयी। समय में सुविधा नहीं मिलती और 10 लाख रूपये की सुविधा देने का तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है, जिसे यहां 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया है। 10 लाख तो उन्हें सुविधा मिलेगी पर वे गये तो समय में नहीं मिलता। तो वे ऐसे प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाते हैं। वे दम तोड़ देते हैं। तो सरकारी अस्पताल में इनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, उनके देखरेख की व्यवस्था की जाये। एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाये तो उन्हें पैसा कितना मिलता है? मात्र 25000 रूपये मिलता है। मस्तूरी क्षेत्र की घटना है। आज तक उसका 25000 रूपये नहीं मिला है। मैंने कई बार वहां के एस.पी. को फोन किया। तहसीलदार को फोन किया। एस.डी.ओ. को फोन किया। टी.आई. को फोन किया, पर अप्राप्त है। तो ऐसे एक्सीडेंट में यदि गरीब परिवार हैं, 25000 रूपये नहीं दिया जा सकता और 25000 रूपये आज की महंगाई के दृष्टिकोण से कुछ नहीं है। अन्य महत्वूपूर्ण विषय में आपातकाल में, राहतकाल में अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है तो 4 लाख रूपये मिलता है। फांसी लगाने के बजाय पानी में डूबने से, सर्प काटने से एवं अन्य में 4 लाख रूपये दिया जाता है तो 25000 रूपये राशि कम है। तो एक्सीडेंट होने वाले को कम से कम उसी के समान राशि दी जाये। छोटी-मोटी सामान्य घटना है जैसे हाथ टूट गया, पैर टूट गया ऐसे लोगों को 50 हजार रूपये से 1

लाख रूपये तक राशि दी जाये, जिससे एक गरीब परिवार अच्छे ढंग से अपने परिवार का ईलाज करा सके। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं।

समय :

2.31 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

दूसरी बात है थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करने के संबंध में है। ऐसे कई गंभीर केस हैं, जिसको परिवार के लोग गोपनीयता बरतकर ताकि उसकी जानकारी न हो, एस.पी. को देते हैं। थानेदार को देते हैं। उच्च अधिकारी को देते हैं। गोपनीय जांच होती है। मैंने भी लगाया था, उनमें उस केस में 2-2, 3-3, 15 दिन तक, 1 महीने में रजिस्टर्ड करना होता है या एफ.आई.आर. दर्ज करनी होती है, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती या जो आवेदक है उसने जब गोपनीय खबर की सूचना दी तो उसमें क्या कार्यवाही हुई, वह जानकारी नहीं दी जाती, मामला दबा रहता है। 300 प्रकरण ऐसे जिले में हैं तो पूरे प्रदेश में 3 हजार से ज्यादा ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जो विधान सभा के प्रश्न के जवाब में आपने दिया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रकरण को गंभीरता से लिया जाये। यह तो सामान्य है। एक और ऐसी घटना घटती है। एक परिवार में किसी ने मेरे क्षेत्र की घटना है, मैं नाम तो नहीं बताउंगा, गोपनीय बात है, मैंने एस.पी. से बात की, उसमें हुआ कि किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है करके अपने बाप के प्रति उन्होंने ऐसा इस तरह कर दिया। धारा लग गया। धारा की बात आप समझ लीजिए और धारा लगने के बाद वह जेल में गया तब वह छुटकारा पाया। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो एक-दूसरे को फंसाने का प्रयास करते हैं और वे खुद अन्य कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को गंभीरता से आपके अधिकारी ठान ले, जिससे बहुत लोग जो निरपराध लोग हैं वो अपराधी बनकर न जायें। जेल की सजा न काटें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा। द्वारिकाधीश जी, आप बोलेंगे? चलिए, इनको बोलने दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे थोड़ा सा..।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा एक और विषय बचा है।

अध्यक्ष महोदय :- बचा है?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विषय और बचा है और वह यह है कि 3 हजार की आबादी वाले गांव को स्टेडियम बनाने का शासन का नियम है और दिया जाता रहा। तो 3 हजार की आबादी से तो आबादी अब बहुत बढ़ गयी है, उसको भी स्टेडियम के लिए 50 हजार रूपये दिया जाता है। दूसरा विषय सांसद आदर्श गांव का है और विधायक आदर्श गांव का है। 15 वें वित्त की राशि आप जिला पंचायत, जनपद पंचायत को देते हैं तो आदर्श गांव के लिए प्रदेश के लिए सांसद के

लिए 50 लाख और विधायक के लिए 50 लाख । पिछले समय आप भी रहे विधायकों को राशि इस सरकार ने नहीं दी। आप विधायकों के लिए आदर्श गांव के लिए राशि दें, यह सुनिश्चित हो, ऐसी अनुशंसा विधायकों से होती है और वैसी ही सांसदों से। तो आदर्श गांव को भी ध्यान देंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नियमानुसार शुक्रवार को अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित हैं । अत: मैं श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर शेष चर्चा अगले कार्य दिवस मंगलवार 20 फरवरी, 2024 को रखूंगा । अब मैं अशासकीय कार्य लूंगा ।

समय
2.56 बजे

अशासकीय संकल्प

(1) शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाना.

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का यह मत है कि शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश के एक मात्र संस्कृत विश्वविद्यालय के 50 वें वर्ष को हम मनाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी को ले गए थे । उस सभा में मैंने आपके सामने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को भेजने से लेकर करने दोनों में से जो उचित होगा, यह मांग की थी । उस मांग को करते हुए भी मैं जानता था कि उस समय चुनौती दूसरी थी । आपको दूसरे विषयों के बहुत सारे युनिवर्सिटी बनाने थे और आपने उनका बनाया भी । अध्यक्ष महोदय, आज का जो दौर है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति अपनी जड़ों की ओर लौटने का और उस पर गर्व करने का दिन है और विषय है । खासकर जब 22 जनवरी, 2024 को भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई । रामायण में एक प्रसंग है 12 बजे जब अभिजीत मुहुर्त हुआ तो उस समय सारे देवी देवता और ग्रह नक्षत्र राम जन्म देखने के लिए अयोध्या में एकत्र थे । 22 जनवरी, 2024 को भारत की एकात्मता को पूरी दुनिया टी.व्ही. में साढ़े ग्यारह बजे से दो बजे तक देख रही थी और सारे लोग सनातन को जानने के लिए उत्सुक थे कि सनातन है क्या चीज ? आज

मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं । सम संस्कार कृति इति संस्कृत: अर्थात् जो समान रूप से सबमें संस्कार को करे वह संस्कृत है । अर्थात् एक संस्कारिक भाषा । अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण भारत में 28 राज्य हैं जिनमें से 15 राज्यों में अपने राज्य स्तरीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं । हमारे राज्य में 24 साल बाद भी हम गठित नहीं कर पाए । अब सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जिसका विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में नहीं है और वह क्यों नहीं है, उसकी जरूरत क्यों है, उस बात पर आगे बोलूंगा । देश को 1987 के बाद लगभग 37 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भी भारत का ज्ञान एवं संस्कृत भाषा पर जोर दिया गया है । अत: यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो । जिसमें संस्कृत भाषा में उपलब्ध भारत के ज्ञान का अध्ययन और अध्यापन हो सके । इस नीति के अनुसार नीति की भावना और प्रयोजन, क्रियान्वयन हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अत: इसमें केन्द्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी, समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत होगी । समवर्ती सूची में शिक्षा है यह सब जानते हैं, यहां हो सकती है । अभी 22 जनवरी के बाद एकात्मता का भाव हुआ, उससे दुनिया में क्या घट रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मंदिर प्रबंधन कोर्स, एक नई चीज । बम्बई विश्वविद्यालय में हाल में मंदिर प्रबंधन कोर्स शुरू किया । इस कोर्स के पाठ्यक्रम को डिजाईन करने के लिए उन्होंने प्रतिष्ठित Oxford university के Centre for Hindu studies विभाग के साथ समझौता किया।

समय :

3:00 बजे

मंदिर प्रबंधन एक नया विषय आ गया, आज तक प्रबंधन नाम की कोई चीज नहीं थी। एम.बी.ए. या जो-जो प्रदर्शन करते थे। आयोध्या में बन रहे राम मंदिर की चर्चा लखनऊ विश्वविद्यालय भी प्रभु श्री राम, उनकी वंशावली और राम नगरी आयोध्या के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, यह लखनऊ विश्वविद्यालय ने संकल्प लिया है। Hindu University of America. America Florida के Orlando स्थित Hindu University of America में पुराणों और सनातन धर्म से जुड़े कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। Hindu studies के तहत् जहां कई तरह के कोर्स हैं, जैसे Master of arts in studies, MA Programme in Hindu studies. Certificate Programme in Hindu studies, Certificate program इन भगवत गीता संस्कृत, Certificate in Hindu civilization आदि। ऐसे कोर्स विदेश में भी पढ़ाए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के सामने एक दूसरी चुनौती है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल प्रदेश है। लॉ एंड आर्डर के पहले एक विभाग में चर्चा करते हुए हमने कहा था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी 10 साल में बदल जाएगी। लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, जबर्दस्ती करवाया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है या उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनको किसी तरह के अंधविश्वास से उलझाकर उनको बताया जा रहा है कि इस धर्म में यह कमजोरी है, उसमें ऐसा

हो सकता है। मैं किसी धर्म विशेष का नाम लेकर कोई बात नहीं कहूंगा। लेकिन जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, शासकीय स्तर पर एस.पी. ने भी चिंता व्यक्त की। मदरसों में किन बच्चों को एडमिशन दिया गया, रायपुर शहर में ही यह उदाहरण हमारे सामने आया। यह तो छत्तीसगढ़ के छोटे-छोटे उदाहरण है। संस्कृत संपूर्ण राष्ट्रीयता के एकात्मकता के भाव में आज विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत जो संस्कार की भाषा मानी जाती है, भारत के ज्ञान को जानने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की पीढ़ी भी जाने। जो वैदिक संस्कार लुप्त हो रहे हैं, जो कर्मकांड लुप्त हो रहे हैं, मैंने जैसे अध्ययन का नया क्षेत्र बताया, गीता पर स्टडीज, मंदिर अध्ययन पर स्टडीज और भी जो नई चीजें हैं, वह संस्कृत के माध्यम से संपादित हों और उसमें नई पीढ़ी जुड़े। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ में भी अवसर हो। आज आप देखिएगा कि आयोध्या के राम मंदिर में तीन हजार वैदिकपाठी लोगों में से 17-18 लोगों का चयन किया गया और उनको भी विशिष्ट अध्ययन के लिए, प्रशिक्षण करवाने के लिए तिरूपति भेजा गया। हमारे यहां भी मंदिर बन रहे हैं, लोगों की जरूरत है, बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग आधुनिकता के चक्कर में पूजापाट की वृत्ति से दूर हो रहे हैं। हमको अपने कर्मकांड के लिए अच्छे विद्वान लोगों की भी कमी हो रही है। इन संस्कारों से दूर होने के कारण हमारी पूजा पद्धति, हमारी सनातन पद्धति हमसे दूर होती जा रही है। हम उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की विशिष्ट जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए, मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय में गंभीरता से विचार करें और उनको मेरे से ज्यादा मालूम है कि संस्कृत किस तरह की भाषा है और विश्व में किस तरह से ज्ञान की रोशनी फैलाई और संस्कृत में अपने ग्रंथों के कारण ही भारत विश्व गुरू किसी समय कहलाया। जितने प्राचीन ज्ञान हैं, यदि उसके स्त्रोत कहीं न कहीं से मिलते हैं तो वह संस्कृत में मिलते हैं। चाहे आपरेशन हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे वेद हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, सारी चीजों की जननी संस्कृत रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे ज्ञान की ध्वजा फिर से पूरी दुनिया में लहराये, उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका हो, संस्कृत भाषा फिर से प्रतिष्ठित हो, आमजन की भाषा हो, हमारी विरासत और संस्कृति मजबूत हो, उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका हो और यहां के एकमात्र कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दें। यूटीडी में भी अन्य विषयों की संख्या बढ़ाएं, उसको यूटीडी को विस्तार देते हुए संख्या बढ़ाएं। जैसे आज उन्होंने घोषणा की कि हम छत्तीसगढ़ी में एम.ए. पास लोगों को भी रोजगार देंगे। संस्कृत के भी प्रथिमा, मध्यमा, उत्तमा, उसके बाद जो शास्त्री और आचार्य होंगे, उनके लिए भी वे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इस आशा के साथ अपील करते हुए, आग्रह करते हुए, विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हुए, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि उसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने की अवश्य काम करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी का यह संकल्प कि शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। संस्कृत पूरे भाषाओं की जननी है। हमारे धर्मग्रंथ, जिनको हम सब आस्था से देखते हैं उनकी गांव-गांव में भागवत की कथा होती है। कहीं उसे छत्तीसगढ़ी में वाचते हैं तो कहीं तमिल में वाचते हैं और कभी उसे उड़िया भाषा में explain करते हैं, लेकिन वह मूलत: संस्कृत में हैं। वह हजारों-लाखों श्लोकों से बने हुए हैं। पुराने जमाने में हमारे भगवान आपस में हिन्दी में बात नहीं करते थे। उस ग्रंथ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उस समय संस्कृत भाषा के आधार पर विचारों का आदान-प्रदान होता होगा। हमने उनको अपनी सुविधा के अनुसार बाद में अन्य भाषाओं में explain किया।

अध्यक्ष महोदय :- आप मोहले जी से पूछ लीजिए कि भगवान किस भाषा में बोलते थे। वह बता देंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान किस भाषा में बोलते थे, उसको मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यह भगवान जिस भाषा में बोल रहे हैं, उसको मैं जानता हूं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी की एक अलग भाषा है, जिसको पूरा प्रदेश जानता है। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर सबका जड़ संस्कृत है। मैं आपको इसके दो-चार फायदे भी बताना चाहता हूं। एक तो आपने अभी देखा ही होगा कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे राम आएंगे। वर्तमान में पूरा देश राममय वातावरण में है। संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के गांवों में जब हम कभी-कभी किसी प्रकाण्ड विद्वान या पंडित जी के बारे में पूछते थे तो उनके बारे में यह विशेषता बताई जाती थी कि वह काशी से पढ़कर आये हैं। मतलब, वह धर्मग्रंथों के बारे में बहुत जानते हैं। आज की तारीख में यदि मैं सच कहूं तो पूजा-पाठ और अन्य कार्यों के लिए धार्मिक विधि-विधान करने वालों की संख्या बहुत कम है। वह डिमाण्ड में चल रहे हैं। यहां से पढ़कर अमेरिका में जो प्रकाण्ड विद्वान या ब्राम्हण देवता या इस ज्ञान के देवता गये हैं, उनका भी विदेशों में अमेरिका और इंग्लैण्ड में appointment होता है कि आज की तारीख में आप मेरे घर में कथा कहने आएंगे। यदि आप संस्कृत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाएंगे तो इसका फैलाव होगा। जब यह फैलेगा और लोग संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे तो संस्कृत में नौकरी मिलने की भी गारंटी होगी। जो संस्कृत में पढ़कर आएंगे, उनको मंदिरों में तनख्वाह देकर रखने का प्रावधान हो गया है। इससे लोगों में संस्कृत के प्रति रूचि बढ़ेगी। संस्कृत के माध्यम से न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि संस्कृति, संस्कार और अपने धर्म के बारे में भी लोग पढ़ सकेंगे। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। जैसे कि मरदसे में क्या शिक्षा दी जाती है ? मदरसे में प्रमुखता से उनका एक पाठ तो यही होता है कि वह अपने धर्मग्रंथों के बारे में पढ़ें। वैसे ही हम लोगों को संस्कृत की पढ़ाई को भी प्राथमिकता देनी है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय खुल गये हैं।

जैसे खेलकूल विश्वविद्यालय, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, पशुधन विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय और अभी कुछ-कुछ विश्वविद्यालय खुलने वाले हैं। आप संस्कृत और संस्कार के लिए एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलिये। पूरे देश में यह एक उदाहरण होगा। बहुत पहले जब पवन दीवान जी मंत्री थे तो एक सभा में संस्कृत में ही भाषण हो रहा था। वह भाषण हिन्दी में नहीं हो रहा था। जो उस सभा का संचालन कर रहा था, वह भी संस्कृत में बोल रहा था, उस सभा में जो अतिथि बैठे थे, वह भी संस्कृत में बात कर रहे थे और पवन दीवान जी ने भी संस्कृत में भाषण दिया था। यह बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि संस्कृत में थोड़ा कठिन होता है। गोमती बहन जी बता रही हैं कि संस्कृत विज्ञान की भाषा है। अध्यक्ष महोदय, हम इस संकल्प का समर्थन करते हैं। हम माननीय मंत्री जी से यह जरूर चाहेंगे कि इस प्रदेश में एक ऐसा विश्वविद्यालय खुले, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण हो और पूरे देश के लोग यहां आकर शिक्षा ग्रहण करें। इससे रोजगार भी मिलेगा, धर्म ग्रंथों के बारे में रिसर्च भी होगा । प्रचार, प्रसार होगा और संस्कृत का एक क्लास तो मैंने भी पढ़ी थी - अहम्, आवाम्, वयम् टाईप का । वह थोड़ा कठिन था इसलिए उसको नहीं पढ़ पाया, पर मैं इसका महत्व समझ रहा हूं । मंत्री जी, इसको कर दीजिए न, क्या दिक्कत है ? इसको स्वीकारिए और विचार करिए । कभी मौका मिले तो कर दीजिएगा । अध्यक्ष जी, मैं इनके बहुत अच्छा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया कि श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प "शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाये"। मैं इसके समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, यह श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास जी दूध का सेवन किया करते थे इसलिए इस मठ को दूधाधारी मठ कहा जाने लगा और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए इस मंदिर ट्रस्ट ने भूमि दान की और भवन का निर्माण किया, जहां पर संस्कृत महाविद्यालय बना । संस्कृत महाविद्यालय बनाने का जो श्रेय जाता है, वह दूधाधारी मठ जो ट्रस्ट है, उन्होंने भूमि भी दी और भवन भी बनाया । नयापारा में रामचन्द्र संस्कृत पाठशाला, राजिम में पंडित मुक्तानंद त्रिपाठी जी का गुरूकुल था, बिलासपुर में वेंकटेश मंदिर संस्कृत स्कूल, धमतरी में मराठापारा में संस्कृत महाविद्यालय है । यहां के छात्र स्कूल की पढ़ाई या ऐसे संस्कृत महाविद्यालय में आगे की पढ़ाई के विषय में सोचते थे तो उसकी व्यवस्था करने के लिए इस महाविद्यालय की स्थापना की गई और इस महाविद्यालय का अपना समृद्ध इतिहास है । वर्तमान में यहां पर गुढ़ियारी कॉलेज को शिफ्ट किया गया है, गुढ़ियारी कॉलेज का अध्ययन का काम वहां होता है । मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह भी करूंगा कि गुढ़ियारी कॉलेज के लिए उचित व्यवस्था भी करें और यह ऐसा महाविद्यालय रहा है, जहां के छात्र

श्री डी.पी. मिश्रा जी जो बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम हुआ । रामखिलावन शुक्ल जी संस्कृत के बड़े विद्वान हुए । पंडित रामेश्वर शर्मा जी बड़े विद्वान थे और इस सदन के विधायक के रूप में रहे श्री राजेश्री महंत रामसुन्दर दास जी, जिन्होंने इस सदन की भी शोभा बढ़ाई। ऐसे लोग इस संस्कृत महाविद्यालय के छात्र रहे हैं । भगवान रजनीश ओशो जैसे लोगों ने इस महाविद्यालय में एक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को बचाना हमारी परम्परा को सहेजने, संवर्धन करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा ।

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः । पूरी दुनिया की शांति और उसकी समृद्धि के लिए जो संदेश देने का काम है, वह हिन्दुस्तान ने दिया है । इस महाविद्यालय की एक विशेष बात और है । इस महाविद्यालय में संरक्षित करके रखी गई पाण्डुलिपियां जो हैं, वह पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यहां पर जो भोज-पत्र हैं, उन पर बहुत सारे शोध के कार्य चल रहे हैं। आज पूरी दुनिया संस्कृत के ग्रंथों की तरफ जा रही है । ऐसे में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जहां हमारी पुरानी धरोहर इतनी अच्छी तरीके से रखी गई है । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो अशासकीय संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि "शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाये"। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा, जिसकी बिल्डिंग, पूरा कैम्पस तैयार मिलेगा । सरकार के ऊपर ज्यादा बोझ भी नहीं आएगा और आपको एक विकसित कैम्पस मिलेगा, जहां पर आप विश्वविद्यालय आसानी से शुरू कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि यथाशीघ्र यह कदम उठायी जाये । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, श्री अजय चन्द्राकर अशासकीय संकल्प लाया गया है कि सदन का यह मत है कि " शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाय।" अध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृत के बारे में बस इतना कहना चाहती हूं कि यह छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य अपनी संस्कृति से ही जाना जाता है। हम अपने संस्कृति को देखें, हम अपने इतिहास को पीछे पलटकर देखते हैं तो उसमें हमारे जितने भी शास्त्र हैं, रामायण हैं, महाभारत हैं, वेद हैं, इन सभी में संस्कृत के ही श्लोक हैं और संस्कृत में लिखा गया है। यह बहुत ही अच्छा संकल्प है। मैं कहना चाहती हूं कि संस्कृत भाषा को आज के युवा भूल चुके हैं। यदि इस भाषा को उनके लिए अपग्रेड किया जा रहा है तो मैं इसका समर्थन करती हूं। यह छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत अच्छा संकल्प है। मैं इसका समर्थन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री अजय चन्द्राकर जी ने अशासकीय संकल्प लाया है कि सदन का यह मत है कि " शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाय।" मैं इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज एक बहुत अच्छी पहल इस विधानसभा में की गई है, जो संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने की दिशा में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन में गिना जायेगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और आग्रह कर रहा हूं। पहले जब हम स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तो कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा बारहवीं तक संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में रहा करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संस्कृत विषय की पढ़ाई को बंद कर दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पुन: फिर से संस्कृत को कक्षा छठवीं से बारहवीं तक के पाठ्यक्रमों में संस्कृत विषय को जोड़ने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी कदम उठायेंगे। इससे हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल में बच्चें पढ़ाई करेंगे, तभी विश्वविद्यालय की महत्ता बढ़ती जायेगी। इसके साथ-साथ मैं एक और आग्रह करूंगा जो हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, अभी हमारे युवा धर्म की ओर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं न कहीं वैदिक संस्कृत का अभाव है। इसे भी पाठ्यक्रमों में जोड़ा जाये जिससे पूजा पद्धत्ति में आसानी हो सके। मैं आपसे यही आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाय।" का एक अशासकीय संकल्प माननीय अजय चन्द्राकर जी द्वारा लाया तब मुझे श्रीमती सुषमा स्वराज जी एक बहुत अच्छा भाषण याद आता है। उनको जब हम youtube पर सुनते हैं तो यह बात समझ में आती है कि विश्व की सभी भाषाओं की समीक्षा करने के बाद वर्तमान तकनीकी युग में कम्प्यूटर हमारे जीवन का साधन है, ऐसे कम्प्यूटर में अगर कोई एक भाषा तकनीकी तौर पर फिट होती है तो वह संस्कृत भाषा है और पूर्णत: वैज्ञानिक भाषा है और आज भी प्रासंगिक है। ऐसी तकनीकी व्यवस्था को उन्नत करने और संस्कृत भाषा को सुदृढ़ करने में अगर छत्तीसगढ़ राज्य का कोई सहयोग हो तो अपने आप में अतुलनीय विषय होगा। अध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से इस अशासकीय संकल्प पर अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने यहां जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है, मुझे उसकी मजबूरी में तारीफ करना पड़ रहा है। मैं उनका ध्यान एक बात की ओर ले जाऊंगा कि दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर के बारे में आपने कहा कि यह एक मात्र महाविद्यालय है। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूं कि रायगढ़ जिले के सामरबार में हमारे गहिरा गुरू जी का संस्कृत का महाविद्यालय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं नहीं जानता था, मैं स्कूल है, समझता था।

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं-नहीं, महाविद्यालय है, जिसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे बड़े अभाव में जी रहे हैं। उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिये, लेकिन आपको वहां भी ध्यान देना चाहिए। वहां पर जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं, वह अधिकतर आदिवासी हैं । आपने सुना होगा कि जिस दिन शपथ ग्रहण यहां हो रहा था, यहां बहुत सारे लोग संस्कृत में शपथ लिये हैं ।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- सभापति महोदय, मैं खुद पढ़ी हूँ, संस्कृत विद्यालय में पढ़ी हूँ । मैं देख रही थी ।

डॉ.चरणदास महंत :- मैं तुम्हारा ही नाम लेने वाला था । तुम इधर नहीं देखते हो, हम लोग इधर देखते हैं । हमारे कई विधायकगण संस्कृत में शिक्षा प्राप्त किये हैं । आपको इस बात का ध्यान दिलाते हुये कि सामरबहार में स्थित महाविद्यालय को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करायें । मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी के इस बात पर सहमति व्यक्त कर रहा हूँ कि इस संस्कृत महाविद्यालय रायपुर को महाविद्यालय का दर्जा दिया जाये और महाविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही यहां भी कुछ आदिवासी बच्चे पढ़ सकें, इसकी भी व्यवस्था करें । आदिवासी बच्चे, आदिवासी क्षेत्र में पढ़ेंगे और शहरी क्षेत्र में सिर्फ ब्राम्हण लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिये । यहां पर मिलीजुली व्यवस्था होनी चाहिये । मैं आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । हमारे दल की ओर से समर्थन करता हूँ । मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इसे स्वीकार करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक शब्द आप भी घटा दीजिए, चूंकि आपने समर्थन किया है तो मजबूरी में प्रशंसा हटा दीजिए, प्रशंसा करने में क्या मजबूरी है ? यह तो राज्य का हित है ।

डॉ.चरणदास महंत :- मजबूरी इसलिये है कि आप हमारी बातों में कभी सहमति नहीं करते हैं । हम आपकी बात में बिना कहे सहमति व्यक्त करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने भाषण देते हुये आपके दो-तीन विधायकों की प्रशंसा की है ।

डॉ.चरणदास महंत :- मेरी तो नहीं करते ना ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे साहब, आपसे तो मेरे अवैध संबंध है ना ? उसको जाहिर क्यों करते हो ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो वोट डलवाओ । आपके लिये तो प्रचण्ड बहुमत से समर्थन हैं । आपके तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है ? दिक्कत बाकी जगह है, उसको समझ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है, फिर बोल लीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले बोल लें, फिर आग्रह करना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट का आग्रह है, फिर बोल लेना और थोड़ा वेट कर देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, उसको बनाने के लिये सिर्फ लेजिसलेशन की जरूरत है । आप डिपार्टमेंट भले ही बाद में खोल लें । उसके लिये सिर्फ वर्टिकल भवन बना लेंगे । जमीन भी आपको नई नहीं लेनी है, सिर्फ लेजिसलेशन की जरूरत है । अभी लेजिसलेशन का दर्जा भर मिलेगा । इस सत्र में भी नहीं मिलेगा, आप घोषणा करेंगे तो अगले सत्र में लेजिसलेट होगा । उसके पास जमीन पर्याप्त है । उसके लिये एकाध बिल्डिंग नया डिपार्टमेंट खोलेंगे, बनाने की जरूरत पड़ेगी । आपके विपक्ष का भी समर्थन मिल गया, भाषण भी जोरदार दीजिए, घोषणा भी जोरदार करिये । आपसे यह आग्रह है ।

डॉ.चरणदास महंत :- मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहा हूँ, वैसे मेरा प्रस्ताव है कि माननीय चन्द्राकर जी के पास बहुत सारी जमीन है, उसमें वह आपको जमीन उपलब्ध करा देंगे । आगे जो बनना है, उस बारे में भी चार्ज उन्हीं को दे दीजिएगा, ताकि वह भी पूरा कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- पहला वाईस चांसलर यही रहेगा क्या ?

डॉ.चरणदास महंत :- इसी को बना दीजिए । यहां बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बाकी लोगों को खिसिया रहे हैं, मंत्री लोगों को धमकी दे रहे हैं, उससे अच्छा वाईस चांसलर बना दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

धर्मस्य एवं संस्कृति मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि वह हमारे देश की और पूरे विश्व की सबसे पुरातन भाषा वेद भाषा, शास्त्रों की भाषा, सनातन की भाषा, हमारे रामायण की भाषा, हमारे गीता की भाषा, हमारे वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद की भाषा, अगर हम कहें तो यह देश बहुभाषी देश है । बहुभाषी देश होने के बाद भी पूजा के या शास्त्रों के श्लोक पढ़े जाते हैं तो चाहे वह तमिल हो, चाहे तेलगू हो, चाहे आन्ध्रप्रदेश के हों, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, किसी भी भाषा के लोग हों, जब पढ़ते हैं तो संस्कृत के श्लोकों को संस्कृत में ही पढ़ते हैं।इसका अनुवाद अभी तक किसी दूसरी भाषा में नहीं हुआ है । कई बार जब हम तमिल, तेलगू, आन्ध्रियन, वहां के पंडित वेदपाठी जब संस्कृत के श्लोक

पढ़ते हैं तो बहुत कर्णप्रिय होते हैं । यह ऐसी भाषा है, जिस भाषा को हमने देव भाषा भी कहा है, जिस भाषा को हमने वेद भाषा भी कहा है और यह निश्चित रूप से अच्छा संकल्प है, अच्छा प्रस्ताव है, दूधाधारी मठ ने सिर्फ संस्कृत कालेज को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल के संस्थान है, जिनके लिये उन्होंने जमीनें दी है, शायद पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा धर्म संस्थान है, जिसने शिक्षा के विकास के लिये काम किया। (मेजों की थपथपाहट) आज जो डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, उसकी जमीन भी उन्हीं के द्वारा दी गयी है। ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे संस्थान हैं। परंतु इस संकल्प की जो गति है, संकल्प के पीछे जो भावना है, हम उससे पूरी तरह सहमत है। हमारा जो उच्च शिक्षा अनुदान आयोग और नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं खोलना है। हमको बहु विषय के विश्वविद्यालय खोलने चाहिए। यदि इसकी बात है तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर माननीय अजय चन्द्राकर जी का जो संकल्प है, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। हम आपकी भावना से सहमत है और हम पूरे सदन की भावना से सहमत है। अगर आप इस अशासकीय संकल्प को वापस ले ले, तो हम आपकी भावना से सहमत होते हुए आने वाले समय में इसके ऊपर विचार करेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह आपका वक्तव्य है इसलिये मैं आपकी बात को तर्क वितर्क में नहीं लाऊंगा कि नई शिक्षा नीति उसके बारे में क्या कहती है। दुर्भाग्य से मैं आज नई शिक्षा नीति की किताब को नहीं ला पाया। एक बात यह है कि नई शिक्षा नीति में इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप नये विश्वविद्यालय न खोलेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत कम संकल्प ऐसे होते हैं, जो सर्वसम्मत होते हैं, आज इसको विपक्ष ने भी खुलकर समर्थन दिया। तीसरी बात यह है कि आपने भी सैद्धांतिक रूप से इसकी सहमति दी, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। चौथी बात यह है कि इसमें सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं आना है, आपको सिर्फ लेजिस्लेशन करना है। यदि वह सरकार के ऊपर है कि नया डिपार्टमेंट कब खोलेगी, नई बिल्डिंग कब बनायेगी, नई संरचना कब बनायेगी, तो उनको सिर्फ रजिस्ट्रार के एक-आत पद क्रियेट करने पड़ेंगे, जो प्रशासकीय चीजें हैं, सिर्फ उनका अतिरिक्त व्यय आयेगा। बाकी आप जब विस्तार करेंगे तब व्यय आयेगा। अभी सिर्फ लेजिस्लेशन और प्रशासकीय स्टाफ का व्यय आयेगा। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप सनातन प्रेमी व्यक्ति है, आपने कुंभ के माध्यम से पूरे देश भर के साधू-संतों, सनातनियों को एकत्र करके छत्तीसगढ़ को पहचान दी है, तो हम संस्कृत भाषा में तर्क-वितर्क तो छोड़ देते हैं । हम सब नई शिक्षा नीति से सहमत कराने चले जायेंगे कि 18 राज्यों में हैं और छत्तीसगढ़ 19वां राज्य बन रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिये गर्व का विषय है। आप खुले दिल से बोलिये कि आप बनायेंगे और इस साल वित्तीय बोझ है तो अगले साल बनाईयेगा। आप कौन-सा अभी तत्काल बनायेंगे, उसको अगले साल बना दीजियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य के प्रस्ताव से असहमत नहीं है। परंतु इसको संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की बजाये संशोधन करके इसमें सनातन, धर्म, अध्यात्म, वेद, धर्म दर्शन तुलनात्मक अध्ययन, इन सब को शामिल करते हुए इसका नाम इस प्रकार से संस्कृत विश्वविद्यलाय रखकर इसे बहु-विषय के आधार पर बनायेंगे तो मैं इस सदन में माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत होते हुए कहना चाहूंगा और यदि सदस्य भी मेरी इस भावना से सहमत है तो वह अपनी सहमति व्यक्त कर दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, मैं हैदराबाद में एक हॉस्पिटल गया था, उसका नाम ज्वाईंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल था। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ ज्वाईंट रिप्लेसमेंट करते हैं। वहां कार्डियक, लिवर, किडनी और हार्ट का भी डिपार्टमेंट था। इसी प्रकार माननीय सदस्य का संस्कृत नाम को जोड़ देने से आशय यह है कि संस्कृत के संग संस्कार, कथा और वे दो-चार जो शब्द बोले हैं, उसमें दो-चार और जोड़ लीजिये, लेकिन उस पिक्चर की हेडिंग वही रहने दीजिये। जैसे जो फिल्में होती हैं, उसमें पात्र अलग-अलग, मल्टीस्टार रहते हैं। आप बॉबी जैसे संस्कृत महाविद्यालय लिख दीजिये या जवान फिल्म, ऐसा जो कुछ भी लिखा जाता है, वैसे ही लिखकर उसमें सारी चीजों को समाहित करिये। लेकिन उसका जो टाईटल है, वह मेन रहना चाहिए। उसमें संस्कृत से शुरू करके उसके आगे जोड़ दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, देखिये। छत्तीसगढ़ की धरा बहुत ही उर्वर है। मैं बृजमोहन जी की बात से सहमत हूं। यदि वह तुलनात्मक धर्म दर्शन करेंगे तो छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा ? माननीय उप मुख्यमंत्री जी, रजनीश यही रहे । उन्होंने वर्ष 1957-58 में इसी संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया । महर्षि महेश योगी यहीं पैदा हुए। विशिष्ट, शुद्ध विशिष्टता, दैत्व, भारतीय दर्शन का एक प्रमुख अंग है। वल्लाभाचार्य जी ने प्रतिपादित किया, वह छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए। बौद्ध की शून्यवाद जो महायान शाखा है, उसके प्रवर्तक नागार्जुन यहीं सिरपुर में शिक्षक रहे, यह स्थापित तथ्य है। यहां इतने बड़े-बड़े लोग रहे और यहां उन्होंने समाधि ली, बोध लिया, आपके तुलनात्मक अध्ययन से यह दुनिया को मालूम पड़ता है तो एक शब्द भर में हमें क्या आपत्ति हो सकती है। यहां संस्कृत का अध्ययन हो, छत्तीसगढ़ में जिनका-जिनका योगदान है, उनका अध्ययन हो, समकालीन दौर में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही, यदि इसका अध्ययन होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यहां संस्कृत के विभाग ज्यादा होंगे और बाकी के एक-एक विभाग होंगे और क्या है। जैसे माननीय धर्मजीत सिंह जी ने दूसरी भाषा में बताने की कोशिश की तो हम आपके संशोधन से पूरी तरह सहमत हैं, आप हमारे आशा से सहमत हैं तो नाम में क्या रखा है ? उस दिन भी मैंने कहा था। मैंने हेमलेट, विलियम शेक्सपियर का उदाहरण दिया था कि नाम में क्या रखा है ? यह अपेक्षा आपसे ही हो सकती है। यह बन सकता है तो अभी बन सकता है, यह बाद में नहीं बन सकेगा, मैं यह भी बता देता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसका नाम बाद में तय कर लेंगे। सनातन धर्म, अध्यात्म, वेद, संस्कृति, तुलनात्मक धर्म दर्शन और संस्कृत इसके साथ में जोड़ते हुए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना को करने के लिए ..।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय मंत्री जी, उसमें आप ज्योतिष भी जोड़ दीजिएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो उसके विषय होंगे। मेन विषय मिलाकर तुलनात्मक धर्म दर्शन, सनातन तुलनात्मक धर्म दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति संस्थान इस प्रकार का उसका नाम होगा। हम उसको बाद में और मूर्धन्य लोगों से बातचीत कर, जो उसके विद्वान हैं हम उनसे बातचीत करकर, आपकी भावना से सहमत होते हुए, इस विश्वविद्यालय के नाम के अंत में संस्कृत विश्वविद्यालय होगा। मैं इस बात पर सहमति देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है कि जिस संस्थान ने उस भूमि को दिया है, उस भवन को बनवाया है, उसमें उनका भी नाम रहे।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह तो परमानेंट है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्वान और समर्पित उच्च शिक्षा मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ और विपक्ष को भी धन्यवाद् देता हूँ जिन्होंने इस अशासकीय संकल्प को सर्वसम्मत किया। आपने इस सर्वसम्मत भावना का सम्मान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद् देता हूँ। आपके कार्यकाल में एक दिन में तीन विश्वविद्यालय का legislate हुआ था। आज विधान सभा में इतिहास बन रहा है कि एक विश्वविद्यालय बनाने की एक संकल्प के माध्यम से घोषणा हो गई। यह बहुत अद्भुत क्षण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन सबको यह भी मालूम होना चाहिए कि माननीय बृजमोहन जी को महामण्डलेश्वर की उपाधि भी मिल चुकी है। (मेजों की थपथपाहट) वह महामण्डलेश्वर भी हैं, इसलिए उनका संस्कृत के लिए बहुत प्रेम है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाये।"

इसका पूर्ण नाम क्या है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें संसोधन, इसमें अंतिम शब्द संस्कृत का जोड़ते हुए, शासन इस पर निर्णय करेगा कि इसलिए इस संकल्प को स्वीकार करते हुए, शासन को यह अधिकार होगा कि वह उसमें तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं अन्य विषयों के साथ में इसके नाम को जोड़ सके। आप यह शासन को अधिकार दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- हम संकल्प को एज इट इज पारित करते हैं। ठीक है।

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि क्योंकि सदन में माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। इसलिए इस संकल्प को अगले शुक्रवार को ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर ऑफ कौंसिल की संविधान में Joint Responsibility है आपको भी शासन पक्ष की ओर से समय में सूचना नहीं दी गई थी कि आज यह संकल्प लिया जायेगा। जब तत्काल पुकार हुआ तब शासन पक्ष की ओर से इस बात का आग्रह हो रहा है इसलिए इसमें मेरा आग्रह है कि मंत्रिमण्डल के सामूहिक उत्तदायित्व को ध्यान में रखते हुए, शासन आज ही इसमें इस संकल्प को ले, मैं ऐसा आपसे आग्रह करता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का वातावरण बहुत सुखद वातावरण है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक अनूठा संकल्प पारित हुआ है। तुलनात्मक धर्म, दर्शन, अध्यात्म, वेद, पुराण, संस्कृत, ज्योतिष को लेकर यहां पर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। हम सब जब अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो हम अपने मन को प्रफुल्लित और उत्साहित लेकर यहां से प्रस्थान करें। इसलिए मेरा आग्रह है कि आज हम किसी वाद-विवाद में जाने की बजाय इस दूसरे संकल्प को हम अगली तिथि पर अगले शुक्रवार को ले लें। मैं शासन की तरफ से यह बोल रहा हूं कि अगले शुक्रवार को शासन इसका जवाब देगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रश्न दिवस था। वह संकल्प भी लिये हैं। यदि उनका ज्यादा बिजनेस हो गया है तो मंडी बोर्ड के अधिकारी भी आ चुके हैं। दूसरा यहां पर दो माननीय उप-मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, वह इस संकल्प को ले सकते हैं। यह तो संयुक्त जिम्मेदारी का विषय है। यदि एक मंत्री व्यस्त हैं, ज्यादा बिजनेस हो गया है तो यहां पर माननीय 4-5 मंत्री उपस्थित हैं। इस संकल्प को कोई भी ले सकता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई कारण नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं सब बिजनेस को ले सकता हूं, सबका जवाब दे सकता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब जैसी आसंदी व्यवस्था दे। आसंदी की व्यवस्था आ रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज एक इतना महत्वपूर्ण संकल्प पारित हुआ है, जिस संकल्प की शायद बाकी सदस्य कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां पर हम अपने वेद, पुराण का अध्ययन करेंगे। इन्होंने अभी उल्लेख किया कि 22 जनवरी को रामलला आये हैं।

<u>अशासकीय संकल्प क्रमांक-2 को आगामी कार्य दिवस में लिया जाना।</u>

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी हो गया। आप भी बैठ जाईये। मेरे पास माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी का पत्र आया है। इस पत्र में उन्होंने अपने मुख्यालय से बाहर जाने के विषय में सूचित किया है। मुझे लगता है कि श्री अजय चन्द्राकर जी के अशासकीय संकल्प क्रमांक 2 को आगामी कार्य दिवस में लिया जायेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपरान्ह 3 बजकर 37 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही, मंगलवार दिनांक, 20 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 01, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 16 फरवरी, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं